झारखण्ड सरकार

JHARKHAND GUIDELINES FOR FOSTER CARE

झारखण्ड पालन पोषण देखरेख दिशा–निर्देश

2018

Jharkhand State Child Protection Society

Department of Woman & Child Development and Social Security

संचिका.संख्या- म०स०/आई सी पी एस (फोस्टर केयर)-42/17 912

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

झारखण्ड, रांची

राँची/दिनांक- 22·03·2018

संकल्प

विषय: झारखण्ड राज्य के अधीन विषम परिस्थितियों मे मौजूद 18 वर्ष तक के बच्चे (बालक/ बालिका) के पालन पोषण देखरेख एवं प्रायोजन (स्पोंसरशिप) हेतु दिशा निर्देशिका की स्वीकृति |

झारखण्ड राज्य के अधीन विषम परिस्थितियों मे मौजूद 18 वर्ष तक के बच्चे (बालक/ बालिका) के पारिवारिक पालन पोषण एवं देखरेख तथा प्रायोजन (स्पोंसरशिप) के संबंध में सम्यक विचारोंपरांत झारखण्ड बाल प्रायोजन (स्पोंसरशिप) दिशा निर्देश- 2018 तथा झारखण्ड पालन पोषण देखरेख दिशा निर्देश- 2018 अंगीकृत (परिशिष्ट I एवं II में संलग्न) किया गया है, जिसके द्वारा निर्णित है कि:-

2. 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे (बालक/ बालिका) जिनके परिवार की वार्षिक कुल आय रुपये 75000/- से ज्यादा नहीं होनी चाहिए | ऐसे बच्चे, जिनके माता- पिता की मृत्यु हो चुकी है या माता- पिता द्वारा बच्चे का परित्याग किया गया है और रिश्तेदार की देख- रेख में रह रहे है | ऐसे बच्चे, जिनके माता- पिता असक्षम है या गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जिसमें एच.आई.बी/ एड्स/लेप्रोसी एवं शतप्रतिशत विकलांगता भी शामिल है अथवा माता/पिता अथवा दोनों कारागृह में है | बाल विवाह, बाल श्रम, बाल तस्करी या अन्य दुर्व्यवहार से प्रभावित बच्चे अथवा ऐसे बच्चे, जिन्हें किसी भी प्रकार की पुनर्वास सहायता की आवश्यकता है | इस संदर्भ में 'प्रायोजन' से तात्पर्य बच्चों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से उनकी चिकित्सा, पोषण, शिक्षा एवं विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनके परिवार को अनुपूरक सहायता या वित्तीय या अन्य माध्यमों से सहायता का प्रावधान है | माता-पिता अथवा उपयुक्त व्यक्ति जिसको प्रायोजन के अंतर्गत बच्चा दिया जा रहा है उनसे बचनबद्धता प्राप्त की जायेगी|

इस प्रायोजन कार्यक्रम के तहत परिवार के अधिकतम 3 बच्चे (बालिका को प्राथमिकता) को वित्तीय सहायता के रूप में 2000/- रुपये प्रतिमाह प्रति बच्चे के दर से दिये जायेंगे | इस राशि का प्रत्येक 3 वर्ष में समीक्षा की जायेगी | एक बच्चे को अधिकतम 3 वर्ष तक लाभान्वित किया जा सकता है परन्तु विशेष परिस्थिति में निदेशक, समेकित बाल संरक्षण योजना की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से समीक्षोपरांत अधिकतम एक अवधि के लिये अनुमोदित किया जायेगा | प्रायोजन की अवधि सामान्य रूप से 3 वर्षों से अधिक नहीं होगी | प्रायोजन के समाप्ति से पूर्व परिवार को बच्चों की देख-रेख करने हेतु आर्थिक एवं अन्य रूप से सशक्त बनाये जाने के प्रयास किये जायेंगे |

प्रत्येक जिले के प्रायोजन अनुमोदन के लिए प्रायोजन एवं पालन पोषण देख-रेख अनुमोदन समिति का गठन जिला बाल संरक्षण अधिकारी की अध्यक्षता में किया जायेगा | समिति द्वारा प्रत्येक माह बैठक का आयोजन कर अनुश्रवण की कार्रवाई की जायेगी |

22/3/18

3. पालन पोषण देख- रेख एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें एक बच्चे को घर जैसे पारिवारिक माहौल में वैकल्पिक देखभाल के उद्देश्य से बच्चे के निकटतम/अन्य परिवारों के सदस्यों के साथ देखभाल और संरक्षण हेतु रखा जाता है |

यदि किसी मामले में बच्चे की देखभाल करने हेतु कोई संबंधी/अभिभावक उपलब्ध नहीं है या देखभाल करने हेतु इच्छुक नहीं है तो ऐसे बच्चे को ऐसे परिवार के साथ रखा जाता है, जो बच्चे के सांस्कृतिक, जातिगत या समुदाय/ गोत्र से संबंध रखते हों, जिसमें बच्चे के पड़ोसी, माता-पिता के मित्र या समुदाय का अन्य कोई सदस्य जिससे बच्चे के माता पिता परिचित हो, सम्मिलित है | परन्तु ऐसी परिस्थिति में जबकि बच्चों (बालक/ बालिका) का जाति या धर्म स्पष्ट रूप से परिलक्षित नहीं हो तो बाल कल्याण समिति उपलब्ध तथ्यों का विश्लेषण कर यथोचित निर्णय लेंगी |

बच्चों के सर्वोतम हित को प्राथमिकता प्रदान करते हुए ऐसे परिवार जो संलग्न मार्गनिदेशिका में निहित परिस्थिति अथवा वातावरण उपलब्ध कराने में सक्षम हों, उस प्रकार के परिवारों को ही पालन पोषण का उत्तरदायित्व प्रदान किया जायेगा |

पालन पोषण देखरेख उपलब्ध कराने वाले परिवार द्वारा बच्चे को पर्याप्त भोजन, कपडे, आश्रय एवं शिक्षा प्रदान करने सहित बच्चे के समग्र शारीरिक, भावनात्मक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए देखरेख, समर्थन एवं उपचार प्रदान किया जायेगा |

पालन पोषण देखरेख प्रदान करने वाले परिवार में पति- पत्नी दोनों का भारतीय नागरिक होना तथा दोनों की आयु का 35 वर्ष से अधिक होना आवश्यक है | इसके अतिरिक्त दोनों का बच्चे के पालन पोषण देखरेख प्रदान करने के लिए इच्छुक होना भी आवश्यक है |

जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम के प्रशासनिक कार्यों एवं बाल संरक्षण सहित सम्बंधित सभी गतिविधियों को सम्पादित किया जायेगा | बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चे को दी जाने वाली देखरेख के स्तर की समीक्षा करने के पश्चात पालन पोषण देखरेख में स्थापन के विस्तार आदेश दिये जायेंगे तथा देखरेख असंतोषजनक पाये जाने के मामले में स्थापन की समाप्ति तथा वैकल्पिक पुनर्वास की व्यवस्था का निर्माण किया जायेगा |

उचित अनुमोदन के उपरांत बच्चे की देखरेख हेतु वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध करने की स्थिति में पालन पोषण करने वाले माता पिता को वित्तीय सहायता के रूप में न्यूनतम 2000/- रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा |

4. समेकित बाल संरक्षण योजना (आई सी पी एस) योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में पालन पोषण देखरेख तथा प्रायोजन (स्पोंसरशिप) हेतु 10(दस) लाख रूपए की राशि प्रावधानित है | इस निमित मार्ग निर्देशक नहीं रहने की स्थिति में राशि खर्च नहीं हो पाती है |

यह केन्द्र प्रायोजित योजना है | इसके अनुसार केन्द्रांश तथा राज्यांश की राशि क्रमशः 60: 40 है | झारखण्ड राज्य के 24 जिलों को दिये जाने वाली कुल राशि 2 करोड़ 40 लाख रुपये मात्र है | इसके अंतर्गत केन्द्रांश 1 करोड़ 44 लाख रुपये तथा राज्यांश के रूप में 96 लाख रुपये का व्ययन होगा |

22/3/18

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि अनुलग्नक सहित इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये तथा महालेखाकार (ले एवं ह) झारखण्ड का कार्या· राँची को प्रेषित किया जाये ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से
22/3/18
(विनय कुमार चौबे)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक:- म०स०/आई सी पी एस (फोस्टर केयर)-42/17 912 दिनांक- 22.03.2018
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, हिनू, राँची को सूचनार्थ एवं अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि इसकी 200 मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भेजने की कृपा की जाय ।

22/3/18
(विनय कुमार चौबे)
सचिव

ज्ञापांक:- म०स०/आई सी पी एस (फोस्टर केयर)-42/17 912 दिनांक- 22.03.2018
प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, झारखण्ड/ विकास आयुक्त, झारखण्ड/ महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, राजभवन, झारखण्ड, राँची/ महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय/ सभी विभागीय प्रधान सचिव/अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, झारखण्ड , राँची/ निदेशक- सह- सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण संस्था, झारखण्ड , राँची/ सभी सचिव, झारखण्ड/ राज्य निःशक्तता आयुक्त, झारखण्ड/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/ सभी उपायुक्त, झारखण्ड/ सभी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, झारखण्ड/ माननीय मंत्री, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/ निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, राँची/ निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड, राँची/ अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, भारत सरकार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

22/3/18
(विनय कुमार चौबे)
सचिव

झारखण्ड पालन पोषण देखरेख दिशा–निर्देश, 2018

भारत में एक पूर्ण विकसित एवं सुदृढ़ परिवार प्रणाली मौजूद है तथा कई क्षेत्रों में पारंपरिक संयुक्त परिवार प्रणाली आज भी बहुत मजबूत है तथा इसी वजह से बच्चे की उसके अपने भाई–बहन, चचेरे भाई–बहन और दादा–दादी के साथ परवरिश होती है। देश मे "संयुक्त परिवार" शब्द का प्रयोग सामान्यतः "विस्तारित परिवार" के संदर्भ में किया जाता है। अगर माता–पिता बीमार होने या किसी अन्य कारण से बच्चें की देखभाल करने में असमर्थ हैं तो, ऐसी स्थिति में संयुक्त परिवार में रिश्तेदारों द्वारा बच्चे की देखभाल की जाती हैं।

वर्तमान दिशा–निर्देश का उद्देश्य हमारी सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में सन्निहित अनौपचारिक परिवार प्रणालियों को संस्थागत बनाना नहीं है, इसलिए इस दिशा–निर्देश में ऐसी व्यवस्थाओं को शामिल नहीं किया गया है। यदि विस्तारित परिवार को बच्चे की देखभाल के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, तो किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रायोजन कार्यक्रम से सहायता प्रदान की जा सकती है या परिवार को मजबूत बनाने वाली अन्य सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों से भी जोड़ा जा सकता है।

प्रस्तुत पालन पोषण देखरेख दिशाा निर्देशों का उद्वेश्य पारिवारिक देखभाल से वंचित अथवा ऐसी जोखिम की संभावना वाले बच्चों को, जिनकी देखभाल तथा उनका संरक्षण आवश्यक हो, उन्हें असम्बद्ध परिवार पालन पोषण अथवा सामूहिक पालन पोषण की अभिरक्षा में रखना है।

इन दिशा–निर्देशों को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 44 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के नियम 23 तथा संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अधिवेशन, 1989 के तहत् शक्ति प्रदान की गई हैं। इन दिशा–निर्देशों में किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत तैयार किये गये दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 में प्रावधानित दत्तक ग्रहण पूर्व पालन पोषण देखरेख को सम्मिलित नही किया गया है।

अध्याय–1: प्रारम्भिक

1.1 संक्षिप्त शीर्षक :–

ये दिशा–निर्देश झारखण्ड पालन पोषण देखरेख (Foster Care) दिशा–निर्देश, 2018 कहलायेंगे।

1.2 परिभाषाएं :–

A. इन दिशा–निर्देशों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(i) "परित्यक्त बच्चा" से अभिप्रेत है अपने जैविक या दत्तकग्राही माता–पिता या संरक्षक द्वारा परित्यक्त ऐसा बच्चा जिसे समिति द्वारा सम्यक जांच के पश्चात परित्यक्त घोषित किया गया हो;

(ii) "अधिनियम" से अभिप्रेत है किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 है;

(iii) "दत्तकग्रहण" से अभिप्रेत है ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से दत्तक बच्चा अपने जैविक माता–पिता से स्थायी रूप से अलग होकर जैविक बच्चे के रूप में प्राप्त सभी अधिकारों, विशेषाधिकारों एवं उत्तरदायित्वों सहित माता पिता का वैध बच्चा होगा।

(iv) पश्चातवर्ती देखरेख" से अभिप्रेत ऐसे व्यक्ति की वित्तीय अथवा अन्य सहायता का प्रावधान करना है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है, लेकिन इक्कीस वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, तथा समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए किसी संस्थागत देखरेख का त्याग कर रहा हो।

(v) "बच्चे का सर्वोत्तम हित" से अभिप्रेत है बच्चे के मूलभूत अधिकारों एवं जरूरतों के संबंध में तथा उसकी पहचान, सामाजिक कल्याण और भौतिक, भावनात्मक एवं बौद्धिक विकास की पूर्ति के लिए निर्णय लेने का आधार सुनिश्चित करना ;

(vi) "देखरेख करने वाला" से अभिप्रेत है, उपयुक्त सुविधा में सामूहिक पालन पोषण देखरेख में रखे गये बच्चे की देखरेख एवं संरक्षण के लिए नियुक्त समस्त कार्मिक ;

(vii) "बाल देखरेख संस्थान" से अभिप्रेत है किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत् ऐसे बच्चे, जिन्हें देखरेख और संरक्षण की जरूरत है, को देखरेख एवं संरक्षण उपलब्ध कराने हेतु पंजीकृत बालगृह, खुला आश्रय, सम्प्रेक्षण गृह, विशेष गृह, विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी एवं उन बालकों की, जिन्हें ऐसी जरूरत है, प्रदान करने के लिए इस अधिनियम के अधीन मान्यता प्राप्त कोई उपयुक्त सुविधा ;

(viii) "बच्चा" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है (किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार);

33

(ix) "समिति" से अभिप्रेत है किशोर न्याय अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत गठित बाल कल्याण समिति ;

(x) "बाल अधिकार अधिवेशन" से अभिप्रेत है, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अधिवेशन, 1989;

(xi) "जिला बाल संरक्षण इकाई" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 106 के तहत् राज्य सरकार द्वारा जिले में स्थापित बाल संरक्षण इकाई;

(xii) "उपयुक्त सुविधा" से अभिप्रेत है, किसी सरकारी संगठन या रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक या गैर–सरकारी संगठन द्वारा चलाया जा रहा ऐसा सुविधा तंत्र जो किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए एक बच्चे की अस्थायी रूप से जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं एवं ऐसी सुविधा को समिति द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु उपयुक्तता की मान्यता दी गई हो;

(xiii) "पालन पोषण देखरेख" से अभिप्रेत है समिति द्वारा बच्चे की वैकल्पिक देखरेख के उद्देश्य से उसके जैविक परिवार से अलग एक परिवारिक घरेलू वातावरण में स्थापन करना, जिसका ऐसी देखरेख प्रदान करने हेतु चयन, योग्य, अनुमोदन एवं पर्यवेक्षण किया गया हो;

(xiv) "पालन पोषण परिवार" से अभिप्रेत है ऐसा परिवार जिसे जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा अधिनियम की धारा 44 के अधीन पालन पोषण देखरेख के लिए बच्चों को रखने हेतु उपयुक्त पाया गया है ;

(xv) "सामूहिक पालन पोषण देखरेख" से अभिप्रेत है बिना माता–पिता की देखरेख वाले तथा देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की एक परिवार जैसी देखरेख के लिए उपयुक्त सुविधा हो। इसका उद्देश्य बच्चे को व्यक्तिगत देखरेख के साथ–साथ अपनेपन का एहसास, पहचान एवं भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करना है;

(xvi) "संरक्षक" से अभिप्रेत है, किसी बच्चे के संबंध में बच्चे के नैसर्गिक संरक्षक या अन्य व्यक्ति या समिति जिसकी वास्तविक देखरेख के लिए यथास्थिति द्वारा कार्यवाहियों के दौरान संरक्षक के रूप में मान्यता प्रदान की गई है;

(xvii) "गृह अध्ययन रिपोर्ट" से अभिप्रेत है ऐसा रिपोर्ट जिसमें भावी पालन पोषण माता–पिता के विवरण का उल्लेख हो तथा इस विवरण में उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, पारिवारिक पृष्ठभूमि, घर का विवरण, जीवन स्तर, परिवार के सदस्यों के बीच वर्तमान रिश्ते, स्वास्थ्य की स्थिति इत्यादि सम्मिलित होगा;

(xviii) "रिश्तेदार द्वारा देखभाल" से अभिप्रेत है बच्चे की विस्तारित या संयुक्त परिवार के भीतर देखभाल;

(xix) "अनाथ" से अभिप्रेत है ऐसा बच्चा –

(i) जिसके जैविक या दत्तक माता–पिता या विधिक संरक्षक नहीं हैं या

(ii) जिसका विधिक संरक्षक बच्चे की देखरेख करने का इच्छुक नहीं है या देखरेख करने में सक्षम नहीं है;

(xx) "दत्तक ग्रहण पूर्व पालन पोषण देखरेख" से अभिप्रेत है वह स्थिति जब दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा दत्तक ग्रहण के लंबित आदेश तक बच्चें को भावी दत्तक माता–पिता की अभिरक्षा में दिया जाना है;

(xxi) "विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी" से अभिप्रेत है राज्य सरकार या अधिनियम की धारा 65 के अधीन मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक या गैर–सरकारी संगठन द्वारा स्थापित संस्थान, जहां बाल कल्याण समिति के आदेश से अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बच्चे को दत्तक ग्रहण हेतु रखा जाता हैं;

(xxii) "राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 67 के अधीन दत्तक ग्रहण एवं उससे संबंधित मामलों के संबंध में स्थापित एजेंसी;

(xxiii) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है संघ शासित प्रदेश के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत् राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उस संघ शासित प्रदेश का प्रशासक;

(xxiv) "अभ्यर्पित बच्चा" से अभिप्रेत है ऐसा बच्चा, जिसके माता–पिता अथवा संरक्षक द्वारा, ऐसे शारीरिक भावनात्मक एवं सामाजिक कारक जो उनके नियंत्रण से परे है, के कारण त्याग दिया गया हैं और समिति द्वारा ऐसा घोषित किया गया है;

B.

i. "मामला कार्यकर्ता" से अभिप्रेत है, पंजीकृत स्वयंसेवी या गैर–सरकारी संगठन का ऐसा प्रतिनिधि, जो कि बोर्ड या समिति में बच्चे के साथ रहेगा तथा बोर्ड या समिति द्वारा उसे सौंपे गये कार्य करेगा;

ii. "बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना एवं मार्गदर्शन प्रणाली" से अभिप्रेत ऐसी ऑनलाइन प्रणाली, जो दत्तक ग्रहण कार्यक्रम को सरल बनायेगी तथा इसकी निगरानी करेगी;

iii. "बाल अध्ययन रिपोर्ट" से अभिप्रेत है वह रिपोर्ट, जिसमें बच्चे का विवरण यथा जन्म–तिथि एवं सामाजिक पृष्ठभूमि का उल्लेख

iv. "व्यक्तिगत देखरेख योजना" से अभिप्रेत है, बच्चे की आयु, लिंग एवं विशिष्ट आवश्यकताओं पर आधारित एक व्यापक विकास योजना तथा बच्चे के प्रकरण का विवरण, जिसे बच्चे के खोये आत्मसम्मान, गरिमा एवं स्वाभिमान को फिर से प्राप्त करने तथा उक्त योजना के अनुसार उसकी एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में परवरिश करने के उद्देश्य से बच्चे के साथ परामर्श करके तैयार किया गया हैं। इस योजना में बच्चे की निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति को सम्मिलित किया जायेगा। जो निम्न तक सीमित है, अर्थात्–

a. स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी आवश्यकताएं (विशेष आवश्यकताओं सहित)

b. भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं;

c. शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताएं;
d. अवकाश, सृजनात्मकता एवं खेलकूद;
e. सभी प्रकार के शोषण, उपेक्षा एवं अत्याचार से संरक्षण;
f. प्रत्यावर्तन एवं अनुवर्तन;
g. समाज की मुख्यधारा से जोड़ना;
h. जीवन कौशल प्रशिक्षण;

v. इस दिशा–निर्देश में प्रयुक्त सभी शब्दों एवं अभिव्यक्तियाँ, जो परिभाषित नहीं है, उनका अर्थ वहीं होगा, जो किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं इससे संगत नियम में हैं।

1.3. प्रस्तावना–

I. गैर–औपचारिक संबंध :–

झारखण्ड में अनौपचारिक रिश्तेदारी में देखभाल प्रणाली मजबूत है। ऐसे बच्चें, जिनका परिवार नहीं हैं या उनका परिवार बच्चें की देखभाल करने में असमर्थ है उन्हें विस्तारित या संयुक्त परिवार के सदस्यों द्वारा ऐसे बच्चे को देखभाल उपलब्ध करवाई जा रही हैं। यदि किसी मामले में बच्चें की देखभाल करने हेतु कोई रिश्तेदार उपलब्ध नहीं है या देखभाल करने का इच्छुक नहीं है तो ऐसे बच्चे की ऐसे परिवार के साथ रखा जाता है, जो बच्चे के सांस्कृतिक, जातिगत या समुदाय/गोत्र से संबंध रखता हो, जिसमें बच्चे का पड़ौसी, माता–पिता के दोस्त, या समुदाय का अन्य कोई सदस्य जिसको बच्चें के माता–पिता जानते हो, सम्मिलित है। इस तरह की व्यवस्था को इन दिशा–निर्देशों में निरूपित नहीं किया गया है, इस तरह की व्यवस्था हमारे सामाजिक परिवेश में सन्निहित है। इस तरह की गैर– औपचारिक रिश्तेदारी में देखरेख यथावत रहेगी, यह हमारे देश में एक जातिगत परम्परा है, इसलिए इसे इन दिशा–निदेर्शो में सम्मिलित नहीं किया गया है। यदि किसी स्थिति में गैर–औपचारिक रिश्तेदारी में बच्चे की देखरेख करने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता है तो उसे इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रायोजन कार्यक्रम के तहत् वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी या परिवार को मजबूत बनाने के लिए अन्य सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों से जोड़ा जायेगा।

II. राष्ट्रीय बाल नीति, 2013 :–

वर्ष 2013 में अपनाई गई राष्ट्रीय बाल नीति की मान्यता है कि सभी बच्चों को पारिवारिक माहौल में विकास का हंसी खुशी के वातावरण में, प्यार और समझ का अधिकार है। परिवार तथा परिवार का माहौल बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिये बहुत अनुकूल है और उन्हें अपने माता–पिता से अलग नहीं होना चाहिएं, जब तक कि ऐसा करना उनके हित में आवश्यक न हों।

III. बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य–योजना, 2016 :–

वर्ष 2016 में अपनाई गई बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य–योजना में गैर–संस्थागत देखभाल के महत्व पर जोर दिया गया है। इस कार्य–योजना में पूर्ववर्तिता से बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर उन्हें गोद देने, पालन पोषण देखरेख और प्रायोजन को सम्मिलित किया गया है। यह बच्चों को उनके परिवारों में देखभाल और संरक्षण के लिए समुदाय आधारित व्यवस्था को महत्व देती हैं तथा जागरूकता, नीति निर्माण, स्थापित एजेंसी एवं अन्तर्राज्यीय सहयोग के माध्यम से इन व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए कार्य–योजना प्रदान करती है।

1.4 पालन पोषण देखरेख :–

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 44 के अनुसार देखेरख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को देखरेख और संरक्षण हेतु बाल कल्याण समिति के आदेश से पालन पोषण देखरेख में स्थापन किया जा सकता है, जिसके अन्तर्गत सामूहिक पालन पोषण भी शामिल है। पालन पोषण देखरेख के तहत् बच्चे का स्थापन निम्नानुसार किया जा सकता है –

(a) बच्चें के जैविक या दत्तक माता–पिता को छोड़कर कोई ऐसा परिवार, जिसका बच्चे से कोई संबंध नहीं हैं तथा ऐसे परिवार को बच्चे की एक अल्पावधि या दीर्घावधि के लिए देखरेख हेतु उपयुक्त माना गया है।
(b) अधिनियम के अन्तर्गत सामूहिक पालन पोषण देखरेख के लिए मान्यता प्राप्त उचित सुविधा में।
(c) पालन पोषण देखभाल करने वाले परिवार में जैविक बच्चों सहित बच्चों की संख्या 4 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
(d) सामूहिक पालन पोषण देखरेख में रहने वाले बच्चों की संख्या किसी भी समयावधि में 8 से अधिक नहीं होनी चाहिए, अपवादात्मक स्थिति में भी बच्चों की संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

1.4.1 पालन पोषण देखरेख एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें एक बच्चे को घर जैसे पारिवारिक माहौल में वैकल्पिक देखभाल के उद्देश्य से बच्चे को असंबंधित परिवारों के सदस्यों के साथ देखभाल और संरक्षण हेतु अल्पावधि या दीर्घावधि के लिए रखा जाता है।

1.4.1.1 बच्चे को पालन पोषण देखरेख में रखते समय ऐसे परिवार को प्राथमिकता दी जायेगी, जो बच्चे के सामाजिक, सांस्कृतिक, जातिगत या समुदाय/गोत्र से संबंध रखते हैं। बच्चे की आवश्यकताओं के अनुसार पालन पोषण देखरेख अल्पावधि या विस्तृत अवधि

के लिए हो सकती है। वैसे परिस्थितियों का निर्धारण, जिनमें पालन पोषण देखरेख की जिम्मेदारी दी जा सकती है, बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रत्येक मामले के मूल्याकंन के आधार पर किया जाएगा।

परिभाषाएं :–

i. अल्पावधि के लिए पालन पोषण देखरेख से अभिप्रेत है वह अवधि जो 1 वर्ष से अधिक न हो।
ii. समिति द्वारा बच्चे के पालन पोषण देखरेख की दीर्घावधि को एक वर्ष से अधिक तक बढ़ाया जा सकता है, समिति द्वारा इस अवधि का निर्धारण पालन पोषण करने वाले माता–पिता के साथ बच्चे को रखने की क्षमता के मूल्यांकन के आधार पर कर यह कालावधि बच्चे के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक बढ़ायी जा सकती है।

1.4.1.2 सामूहिक पालन पोषण देखरेख को, बिना माता–पिता की देखरेख वाले, देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपयुक्त सुविधा में एक पारिवार जैसी देखरेख रूप में परिभाषित किया गया है। इसका उद्देश्य बच्चे की व्यक्तिगत देखरेख एवं अपनेपन का एहसास, पहचान एवं भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करना है।

गलियों से लाए गए बच्चों को पालन पोषण देखरेख में भेजने से पूर्व सामूहिक पालन पोषण देखरेख उन बच्चों के लिए एक उपर्युक्त आवर्तक व्यवस्था के रूप में काम करती है। उन्हें यहाँ रखने पर समूह से परिवारिक देखरेख में बिना किसी कठिनाई के भेजने में मदद मिलती है। इन्हें यहाँ रखने का उदेश्य उन्हें फुटपाथ की संस्कृति से अलग करना है। यह बच्चे को वैकल्पिक देखरेख प्रदान करने में, उस बच्चे को संस्थागत संस्कारो से अलग करने का कार्य भी करता है।

अतः सामूहिक पालन पोषण देखरेख उस पारिवारिक व्यवस्था की तरह काम करता है जहाँ असम्बद्ध बच्चों को उचित सुविधा में पालन पोषण देखरेखकर्ता की देखरेख में रखा जाता है।

1.4.1.3 देश भर में सामूहिक पालन पोषण देखरेख के विभिन्न मॉडल समूह कार्यरत हैं। इनके द्वारा सीमित सख्या में बच्चों को अल्पावधि या दीर्घावधि सुरक्षा एवं स्थिरता प्रदान करने के लिए पारिवारिक व्यवस्था या पारिवारिक वातावरण जैसी सुविधा देने का कार्य किया जा रहा है। किन्तु इन सभी का किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत उपयुक्त सुविधा के लिए पंजीकृत होना एवं बाल कल्याण समिति के आदेश पर बच्चों का स्थापन होना आवश्यक है।

1.5 पालन पोषण देखरेख के मूलभूत सिद्धान्त :–

i. पारिवारिक या परिवार जैसा वातावरण बच्चें के लिए सबसे आनन्दमय होता है और ऐसे वातावरण में विकास प्रत्येक बच्चे का अधिकार है।

ii. ऐसा मानते हुए कि प्रत्येक बच्चें को एक पारिवारिक वातावरण में बढ़ने का अधिकार है, एक योजनाबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से बच्चे के जैविक परिवार को सुदृढ़ बनाकर, बच्चे को उसके जैविक परिवार के साथ फिर से जोड़ने हेतु हर सम्भव प्रयास किया जाना आवश्यक हैं।

iii. इन दिशा–निर्देशों के अंतर्गत बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षा को सुनिश्चित करते हुए आवश्यक एवं उचित सिद्धान्तों के आधार पर मामला दर मामला सभी निर्णय, पहल एवं दृष्टिकोण अपनाये जायेगें। इस प्रक्रिया में बच्चें के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखा जायेगा तथा बच्चों को पूरी प्रक्रिया से अवगत तथा इसके लिए तैयार किया जायेगा।

iv. इन दिशा–निर्देशों के अंतर्गत बाल अधिकारों का सम्मान करते हुए तथा बच्चे की क्षमता के आधार पर उसके विचारों को महत्व देते हुए सभी निर्णय, पहल एवं दृष्टिकोण अपनाये जायेगें। इस प्रकिया में बच्चे एवं बच्चे के परिवारों/कानूनी अभिभावकों (जहां उपलब्ध हों) की पूर्ण भागीदारी आवश्यक है।

v. बच्चे के भाई–बहन एवं जुड़वा को एक ही परिवार में पालन पोषण देखरेख या उपयुक्त सुविधा में रखा जाना चाहिए, ऐसे मामलों में परिवार एवं उपयुक्त सुविधा में रखे जाने वाले बच्चों की संख्या की सीमा में छूट दी जा सकती है।

1.6. परिवार या सामूहिक पोषण–देखरेख में बच्चें का स्थापन :–

i. एक बच्चे की पारिवारिक पालन पोषण देखरेख या उपयुक्त सुविधा में सामूहिक पालन पोषण देखभाल में स्थापन की उपयुक्तता का निर्धारण बाल कल्याण समिति द्वारा पूर्व में बच्चें के किये गये पालन पोषण, बच्चें के सर्वोत्तम हित एवं बच्चें की प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा। उक्त निर्णय के दौरान निम्नलिखित कारकों को भी ध्यान में रखा जायेगा –

- बच्चे के कटु अनुभव का स्तर (तस्करी/बाल–श्रम से मुक्त बच्चे, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, बाल विवाह से पीड़ित बच्चे इत्यादि)
- मादक पदार्थो की लत का विवरण
- विकलांगता का स्तर एवं प्रकार
- सामाजिक व्यवहार,
- किसी भी विशेष देखभाल की आवश्यकता, लाइलाज बीमारी इत्यादि एवं
- बच्चे की संस्थागत देखरेख अलग करने की आवश्यकता
- सुविधाओं की उपलब्धता
- प्रवासी (घुमंतु) परिवारों के बच्चे (मौसमी प्रवासन)
- संस्थान/बाल देखरेख संस्थान में भाई–बहन का होना

ii. प्रकरण के अनुसार बच्चे या माता–पिता/अभिभावक की पसंद या सहमति

iii. वैकल्पिक उपलब्धता।
iv. विकल्प की उपयुक्तता।

1.7. पालन पोषण देखरेख की पात्रता रखने वाले बच्चें :–

0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे, जिन्हें बाल कल्याण समिति द्वारा दत्तक ग्रहण हेतु विधिक रूप से स्वतंत्र माना गया है या दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित किया गया है, उनका यथासंभव पालन पोषण देखरेख में स्थापन नहीं किया जाएगा। ऐसे बच्चों को दत्तक ग्रहण विनियमन के अनुसार दत्तक ग्रहण के माध्यम से एक स्थायी परिवार प्रदान किया जाएगा।

(a) ऐसे बच्चे जिनका बाल कल्याण समिति द्वारा दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करने के पश्चात भी दत्तक ग्रहण नहीं हुआ हैं –

(1) निम्नलिखित कोटियों के ऐसे बच्चों को निम्नलिखित परिस्थितियों में पालन पोषण देखरेख के लिए माना जा सकता है –

i. यदि 6 से 8 वर्ष की आयु वर्ग के दत्तक ग्रहण में देने योग्य बच्चों को बाल कल्याण समिति द्वारा दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित किए जाने के 2 वर्ष के पश्चात देश में या देश के बाहर दत्तक ग्रहण के तहत् एक परिवार नहीं मिल पाया है, ऐसे बच्चों को पारिवारिक पालन पोषण देखरेख या सामूहिक पालन पोषण देखरेख में स्थापन हेतु योग्य माना जायेगा। बाल कल्याण समिति द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई या विशेष दत्तक ग्रहण एंजेंसी की अनुशंसा के आधार पर ऐसे बच्चों को उसके मामले में यथा स्थिति पारिवारिक पालन पोषण देखरेख में प्राथमिकता दी जायेगी।
ii. यदि 8 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के ऐसे बच्चे, जिन्हें दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित किए जाने के 1 वर्ष के भीतर किसी भावी दत्तक माता–पिता द्वारा चयनित नहीं किया गया है, बाल कल्याण समिति द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई या विशेष दत्तक ग्रहण एंजेंसी की अनुशंसा के आधार पर ऐसे बच्चों को उसके मामले में यथा स्थिति पारिवारिक पालन पोषण देखरेख या सामूहिक पालन पोषण देखरेख में स्थापन हेतु योग्य माना जायेगा।
iii. किसी भी आयु वर्ग के विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जिन्हें बाल कल्याण समिति द्वारा दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित किए जाने के 1 वर्ष के पश्चात भी देश में या देश के बाहर दत्तक ग्रहण के तहत् एक परिवार नहीं मिल पाया है, बाल कल्याण समिति द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई या विशेष दत्तक ग्रहण एंजेंसी की अनुशंसा एवं ऐसे बच्चों की देखरेख के लिए पारिवारिक पालन पोषण देखरेख उपलब्ध कराने वाले परिवार की उपयुक्तता के समर्थन हेतु गृह अध्ययन रिपोर्ट एवं सामूहिक पालन पोषण देखरेख उपलब्ध कराने वाली उपयुक्त

सुविधा में सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर ऐसे बच्चों को उनके मामले में यथा स्थिति पारिवारिक पालन पोषण देखरेख या सामुहिक पालन पोषण देखरेख में स्थापन हेतु योग्य माना जायेगा। झारखण्ड में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पारिवारिक पालन पोषण देखरेख में प्राथमिकता दी जायेगी। राज्य द्वारा विशेष सामुहिक पालन पोषण देखरेख को प्रोत्साहन करने सहित विषम परिस्थितियों में मौजूद बच्चों हेतु इस तरह की देखरेख व्यवस्था करने हेतु प्रोत्साहन के अतिरिक्त प्रयास किये जायेगें।

(a) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का पारिवारिक पालन पोषण देखरेख में स्थापन का निर्धारण पालन पोषण उपलब्ध कराने वाले परिवार की बच्चे का प्रबंधन करने की क्षमता के आधार पर किया जायेगा।

(b) इसी प्रकार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का सामूहिक पालन पोषण देखरेख में स्थापन का निर्धारण उपयुक्त सुविधा में ऐसे बच्चों हेतु आवश्यक सुविधा की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।

(b) ऐसे बच्चे, जिन्हें बाल कल्याण समिति द्वारा दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित नहीं किया गया हैं–

दत्तक ग्रहण पूर्व पालन पोषण देखरेख के अतिरिक्त यदि एक बच्चा पालन पोषण देखरेख उपलब्ध कराने वाले परिवार के साथ न्यूनतम 5 वर्ष रहता है, तो ऐसे परिवार द्वारा बच्चें के दत्तक ग्रहण के लिए आवेदन किया जा सकता है। पालन पोषण देखरेख उपलब्ध कराने वाले ऐसे माता–पिता द्वारा दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 के तहत् निर्मित बाल दत्तक संसाधन सूचना एवं मार्गदर्शन प्रणाली पर एक अलग से पृष्ठ पंजीकृत करना होगा।

(c) ऐसे बच्चे, जिन्हें संस्थागत देखरेख सेवाओं से अलग किया जा सकता है –

i. बाल देखरेख संस्थानों में रह रहे 6 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के ऐसे बच्चे, जिन्हें दत्तक ग्रहण हेतु विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित नहीं किया गया है, ऐसे बच्चों का संस्थान में निर्मित व्यक्तिगत देखरेख योजना के आधार पर पालन पोषण देखरेख में स्थापन किया जा सकता है।

ii. लाइलाज बीमारी से ग्रसित ऐसे माता–पिता, जो अपने बच्चे की देखभाल करने में असमर्थ हैं तथा अपने बच्चे की देखभाल के लिए बाल कल्याण समिति या जिला बाल संरक्षण इकाई के समक्ष अनुरोध प्रस्तुत किया है।

iii. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा चिन्हित ऐसे बच्चें –

- जिनके माता–पिता मानसिक रूप से बीमार है तथा बच्चें की देखभाल करने में असमर्थ है।
- जिनके माता या पिता या दोनो जेल में हैं।

4-1

- ऐसे बच्चे, जो शारीरिक, भावनात्मक या यौन शोषण, प्राकृतिक/मानव निर्मित आपदाओं, कृषि संकट एवं घरेलू हिंसा इत्यादि से पीड़ित हैं।

1.8. पालन पोषण करने वाले परिवार/उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्त्ता के अधिकार–

1.8.1. पालन पोषण देखरेख के तहत् बच्चे के अधिकार –

i. बाल कल्याण समिति द्वारा जिला एवं राज्य के पदाधिकारियों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित किया जायेगा, कि पालन पोषण देखरेख में रखे गये बच्चे के सर्वोत्तम हित का समर्थन करते हुए तथा यथासंभव बच्चे के विचारों का ध्यान स्थापन एवं व्यक्तिगत देखभाल योजना तैयार करते समय रखा जायेगा।
ii. बच्चा अपने जैविक परिवार की स्थिति की जानकारी प्राप्त करेगा एवं वह अपने परिवारों के सदस्यों से मिल सकता हैं।
iii. बच्चें के हित के आधार पर उसका जैविक परिवार के साथ संपर्क कराया जायेगा।
iv. बच्चों द्वारा अपने विकास के लिए सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त की जायेगी तथा उन तक पहुंच बनाई जायेगी।
v. बच्चे के जीवित रहने, विकास, संरक्षण एवं सहभागिता के अधिकारों को संरक्षित किया जायेगा।

1.8.2. पालन पोषण करने वाले माता–पिता के अधिकार निम्नानुसार हैं –

i. सुनवाई एवं सम्मान का अधिकार
ii. उनके सामाजिक मूल के आधार पर भेदभाव नहीं करने का अधिकार
iii. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम 44 (V) में निर्धारित प्रकिया के अन्तर्गत एक बच्चें को गोद लेने का अधिकार

1.8.3. उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ता के अधिकार –

i. सुनवाई एवं सम्मान का अधिकार
ii. उनके सामाजिक मूल के आधार पर भेदभाव नहीं करने का अधिकार
iii. प्रशिक्षण एवं परामर्श प्राप्त करने का अधिकार

1.9. पालन पोषण देखरेख उपलब्ध कराने वाले परिवार/उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ता की देखरेख में रखे गये बच्चे के प्रति जिम्मेदारियां निम्नलिखित है –

1.9.1. पालन पोषण देखरेख उपलब्ध कराने वाले परिवार द्वारा यह किया जायेगा –

- बच्चे को पर्याप्त भोजन, कपड़े, आश्रय एवं शिक्षा प्रदान करना।
- बच्चे को समग्र शारीरिक, भावनात्मक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए देखरेख, समर्थन एवं उपचार प्रदान करना।

42

- बच्चे की आयु, विकास की आवश्यकताओं एवं बच्चे की रूचि के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना।
- बच्चें की उच्च शिक्षा की आवश्यकता के अनुसार सहयोग करना।
- बच्चे का शोषण, दुर्व्यवहार, नुकसान, उपेक्षा एवं दुरूपयोग से संरक्षण सुनिश्चित करना तथा यह हमेशा पता रखना कि बच्चा कहां है।
- बच्चे एवं उसके जैविक परिवार या अभिभावक की गोपनीयता का सम्मान करना। उनके बारे में प्रदान की गई जानकारी गोपनीय है तथा पूर्व सहमति के बिना किसी अन्य पक्ष को इसकी जानकारी नहीं देना।
- आपातकालीन परिस्थितियों में उपचार उपलब्ध कराना तथा जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति एवं बच्चे के जैविक परिवार को सूचित करना। आवश्यकतानुसार समिति द्वारा उपयुक्त आदेश जारी किये जा सकते हैं।
- बाल कल्याण समिति एवं बच्चे के जैविक परिवार के साथ घर एवं विद्यालय में समायोजन कर बच्चें की प्रगति से संबंधित जानकारी साझा करना तथा समय–समय पर चर्चा करना। समिति के निर्देशानुसार बच्चे को समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
- घर के दौरे (विजिट) के दौरान बच्चें एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्मिकों के मध्य संपर्क कराने में सहयोग करना।
- बच्चें के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए बाल कल्याण समिति की परामर्श से बच्चे एवं उसके जैविक परिवार के मध्य संपर्क कराने में सहयोग करना।
- पालन पोषण देखरेखकर्ता द्वारा अपने जैविक बच्चे एवं पालन पोषण देखरेख में रखे गये बच्चे के मध्य या पालन पोषण देखरेख प्राप्त कर रहे बच्चों के मध्य भेदभाव नहीं करना।
- यह सुनिश्चित करना कि बच्चा कहां है तथा प्रत्येक समय बच्चे की जानकारी रखना, जिसमें बच्चे की छुट्टी की योजना में परिवर्तन तथा बच्चे के पलायन (भाग जाने) करने की घटना की समिति को सूचना देना भी सम्मिलित हैं।
- बच्चे को किसी प्रकार की गंभीर घटनाओं जैसे चोंट (आकस्मिक या गैर आकस्मिक) लगने, किसी व्यक्ति द्वारा कथित रूप (गाली देना/अपशब्द बोलना) से दुरूपयोग करने एवं बच्चे द्वारा किसी प्रकार का आपराधिक एवं स्वयं को हानि पहुंचाने वाला व्यवहार करने पर जिला बाल संरक्षण इकाई को सूचित करना।
- बाल कल्याण समिति के आदेश पर बच्चें की अभिरक्षा का त्याग करना।
- पालन पोषण देखरेख प्रदान करने वाले परिवार द्वारा अगर बच्चें को किसी अन्य स्थान पर परिवार द्वारा किसी दूसरी जगह स्थानान्तरित किया जाता है, तो इस संबंध में पालन पोषण देखरेख देखरेख प्रदान करने वाले परिवार द्वारा बाल कल्याण समिति से अनुमति लेनी होगी तथा सूचित किया जायेगा।

43

- बाल कल्याण समिति एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के साथ एक बंधपत्र पर हस्ताक्षर करना।

1.9.2. उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ता की जिम्मेदारी :–

उपयुक्त सुविधा में भोजन, बोर्डिंग, आवास, शिक्षा प्रदान करने एवं देखरेख के मानकों को बनाए रखने के अतिरिक्त देखरेख प्रदानकर्ता द्वारा यह किया जायेगा–

- बाल कल्याण समिति एवं बच्चे के जैविक परिवार के साथ घर एवं विद्यालय में समायोजन में बच्चें की प्रगति से संबंधित जानकारी साझा करना तथा समय–समय पर चर्चा करना। समिति के निर्देशानुसार बच्चे को समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
- घर के दौरे (विजिट) के दौरान बच्चें एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्मिकों के मध्य संपर्क कराने में सहयोग करना।
- बच्चें के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए बाल कल्याण समिति की परामर्श से बच्चे एवं उसके जैविक परिवार के मध्य संपर्क कराने में सहयोग करना।
- चिकित्सा के गंभीर मामले, जैसे शल्य प्रकिया एवं ऐनिस्थेसिया के उपयोग के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से समिति से अग्रिम अनुमोदन प्राप्त करना।
- यह सुनिश्चित करना कि बच्चा कहां है तथा प्रत्येक समय बच्चे की जानकारी रखना, जिसमें बच्चे की छुट्टी की योजना में परिवर्तन तथा बच्चे के पलायन (भाग जाने) करने की घटना की समिति को सूचना देना भी सम्मिलित हैं।
- बच्चे को किसी प्रकार भी गंभीर घटनाओं जैसे चोट (आकस्मिक या गैर आकस्मिक) लगने, किसी व्यक्ति द्वारा कथित रूप (गाली देना/अपशब्द बोलना) से दुरूपयोग करने एवं बच्चे द्वारा किसी प्रकार का आपराधिक एवं स्वयं को हानि पहुंचाने वाला व्यवहार करने पर जिला बाल संरक्षण इकाई को सूचित करना।
- बच्चे को जीवन कौशल, व्यवसायिक एवं उच्च शिक्षा तथा कौशल विकास प्रशिक्षण (14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को) उपलब्ध कराने के प्रयास में सहयोग करना।
- बच्चें को आत्मनिर्भर बनने हेतु तैयार करना (17 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को)।
- बच्चें को परामर्श सहायता उपलब्ध कराना।
- कम से कम 2 वर्ष में 1 बार बच्चें का अनुवर्तन (फॉलोअप) करना तथा अनुवर्तन (फॉलोअप) रिपोर्ट बाल कल्याण समिति के साथ साझा करने हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई को प्रस्तुत करना।

1.10. पालन पोषण देखरेख प्रदान करने वाले परिवार के चयन हेतु मानदंड –

1.10.1. अधिनियम की धारा 44 (2) के अनुसार पालन पोषण देखरेख प्रदान करने वाले परिवार का चयन परिवार की योग्यता, आशय, क्षमता एवं बच्चों की देखभाल करने के पूर्व अनुभव के आधार पर किया जायेगा।

जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पालन पोषण देखरेख प्रदान करने वाले परिवार का चयन करते समय निम्नलिखित मानदंडो पर विचार किया जा सकता है :–

(i) पति–पत्नी दोनों का भारतीय नागरिक होना

(ii) पति–पत्नी दोनो का बच्चें की पालन पोषण देखरेख प्रदान करने के लिए इच्छुक होना

(iii) पति–पत्नी दोनो की आयु का 35 वर्ष से अधिक होना तथा उनका शारीरिक, भावनात्मक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना

(iv) आमतौर पर पालन पोषण देखरेख प्रदान करने वाले परिवार की कोई आय होनी चाहिए, जिससे वे बच्चों की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो।

(v) एक परिसर में रहने वाले पालन पोषण देखरेख प्रदान करने वाले परिवार के सदस्यों की चिकित्सीय रिपोर्ट प्राप्त की जानी चाहिएं, जिनमें ह्यूमन इम्यूनोंडेफीसिएंसी वायरय (एच.आई.वी), तपेदिक (टी.बी), एवं हेपेटाइटिस बी, अन्य वंशानुगत रोग, कैंसर इत्यादी सम्मिलित है, ताकि उनके चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ होने को निर्धारित किया जा सके।

(vi) उपयुक्त जगह एवं आधारभूत सुविधाएं होनी चाहिए,

(vii) निर्धारित नियमों का पालन करना चाहिए, जिसमें डॉक्टर के नियमित दौरे, बच्चे के स्वास्थ्य का रखरखाव एवं उसकी रिपोर्ट सम्मिलित है।

(viii) जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा आयोजित पालन पोषण देखरेख आमुखीकरण कार्यक्रमों में भाग लेना।

(ix) किसी प्रकार की आपराधिक दोषसिद्धि या अभियोग का नही होना चाहिए,

(x) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं किशोर न्याय निमय के अनुसार एक अकेले पुरूष को एक बालिका को पालन पोषण देखरेख के लिए केवल उसी स्थिति में दिया जायेगा, जब उनके बीच आयु का अन्तर 21 वर्ष से अधिक हो।

(xi) एक संगठन/गैर–सरकारी संगठन, जिसके द्वारा किसी बाल देखरेख संस्थान का संचालन किया जा रहा है, सामूहिक पालन पोषण देखरेख सुविधा का संचालन नही कर सकेगा।

1.10.2 सामूहिक पालन पोषण देखरेख हेतु उपयुक्त सुविधा के चयन हेतु मानदंड़ –

जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा सामूहिक पालन पोषण देखरेख हेतु उपयुक्त सुविधा का चयन करते समय निम्नलिखित मानदंडो पर विचार किया जा सकता है :–

(i) अधिनियम के तहत संस्था का पंजीकृत होना।

(ii) बाल कल्याण समिति द्वारा सामूहिक पालन पोषण देखरेख में बच्चों का स्थापन के लिए उपयुक्त सुविधा के रूप में मान्यता प्राप्त होना।

(iii) स्वयंसेवी संगठन के रूप में नीति आयोग की वेबसाइट पर पंजीकृत होना।

(iv) बाल संरक्षण नीति का होना।

(v) उपयुक्त सुविधा में सभी देखरेख प्रदानकर्ताओं की चिकित्सीय रिपोर्ट प्राप्त की जानी चाहिए, जिनमें ह्यूमन इम्यूनोंडेफीसिएंसी वायरय (एच.आई.वी), तपेदिक (टी.बी), एवं हेपेटाइटिस बी, अन्य वंशानुगत रोग, कैंसर इत्यादी सम्मिलित है, ताकि उनके चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ होने को निर्धारित किया जा सके।

(vi) देखरेख प्रदानकर्ता पर किसी प्रकार की आपराधिक दोषसिद्धि या अभियोग का नही होना चाहिए,

(vii) जगह की आवश्यकता – बच्चों के समूह के आवास लिए में (अधिकतम 8 बच्चों के लिए) पर्याप्त उपयुक्त सुविधाएं हो, अगर बालक–बालिका दोनों के लिए एक साथ उपयुक्त सुविधा है, तो उनकी निजता को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुविधाओं एवं स्थान का होना।

(viii) पर्याप्त जगह एवं उचित सुविधाओं का होना।

(ix) घर में व्यवस्थित रसोई, बालक–बालिका के लिए अलग–अलग शौचालय एवं बाथरूम होने चाहिए। कम से कम प्रत्येक 4 बच्चों पर 1 अलग शौचालय होना चाहिए।

(x) परिसर दिखने में संस्थागत के बजाय घर जैसा होना चाहिए तथा पारिवारिक वातावरण होना चाहिए।

(xi) सामूहिक पालन पोषण देखरेख की उपयुक्त सुविधा का मौजूदा आबादी के आस–पास होना, जिससे स्थानीय संपर्क को प्रोत्साहित किया जा सके।

(xii) देखरेख प्रदानकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता के आधार पर की जायेगी।

(xiii) आमतौर पर उनका बच्चों के साथ समाननुभूति तथा जुडाव वाले संबंध होने चाहिये।

(xiv) प्रत्येक सामूहिक पालन पोषण देखरेख की उपयुक्त सुविधा के पालन पोषण देखरेख प्रदानकर्ता को सेवा पूर्व प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा।

(xv) देखरेख प्रदानकर्ता की सेवानिवृति की नीति होनी चाहिए।

46

अध्याय 2 : पालन पोषण देखरेख में बच्चों के स्थापन से संबंधित प्रक्रियाएं

एक जिले में पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम को कियान्वित करने के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई नोडल प्राधिकरण है। जिले में पालन पोषण देखरेख में बच्चे के स्थापन से संबंधित सभी निर्णय बाल कल्याण समिति द्वारा इकाई की अनुशंसा, प्रायोजन एवं पालन पोषण देखरेख अनुमोदन समिति की भागीदारी के साथ लिये जायेगें।

2.1. बाल देखरेख संस्थाओं में रहने वाले बच्चों के स्थापन की प्रक्रिया :–

2.1.1. व्यक्तिगत देखरेख योजना तैयार करना –

i. मामला कार्यकर्त्ता/सामाजिक कार्यकर्त्ता/परिवीक्षा अधिकारी के द्वारा प्रत्येक बच्चे की किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 में निर्धारित प्रारूप 7 के अनुसार व्यक्तिगत देखरेख योजना तैयार की जाएगी।
ii. व्यक्तिगत देखरेख योजना को समय–समय पर बच्चें की आवश्यकता एवं बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए समीक्षा एवं समायोजित किया जायेगा।

2.1.2. बाल अध्ययन रिपोर्ट तैयार करना –

पालन पोषण देखरेख में स्थापन हेतु चिन्हित प्रत्येक बच्चे की किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 में निर्धारित प्रारूप 31 के अनुसार विस्तृत बाल अध्ययन रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

2.1.3. पालन पोषण देखरेख में बच्चे के स्थापन की अनुशंसा –

i. व्यक्तिगत देखरेख योजना एवं बाल अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर बाल देखरेख संस्थान के बाल कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्त्ता द्वारा ऐसे बच्चे की अनुशंसा की जायेगी, जिनको पालन पोषण देखरेख के तहत् लाभान्वित किया जा सकता है।
ii. बाल देखरेख संस्थान के प्रभारी द्वारा इन दिशा–निर्देशों के पैरा 1.5 में चिन्हित ऐसे बच्चे, जिन्हें दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करने के पश्चात भी दत्तक ग्रहण में नहीं दिया गया है, के सहित पालन पोषण देखरेख हेतु पात्रता रखने वाले बच्चों की सूची जिला बाल संरक्षण इकाई को अग्रेसित की जाएगी।

2.1.4 जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पालन पोषण देखरेख प्रदान करने वाले परिवार की पहचान करना –

i. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा ऐसे परिवारों/व्यक्तियों की पहचान की जायेगी, जो बच्चे की प्राथमिकता के साथ बच्चे के पालन पोषण देखरेख करने के इच्छुक हैं। इस प्रयोजन के लिए इकाई द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों में समय–समय पर

47

विज्ञापन प्रकाशित कर पारिवारिक पालन पोषण देखरेख हेतु आवेदन प्राप्त किये जायेगें। विज्ञापन की प्रतिकिया में पालन पोषण प्रदान करने वाले परिवार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला आदर्श प्रार्थना पत्र प्रारूप–क संलग्न हैं।

ii. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा इन दिशा–निर्देशों के अध्याय–1 के पैरा 10.1 के मानदंडो के आधार पर आवेदकों का चयन किया जायेगा। पालन पोषण प्रदान करने वाले परिवार के साथ साक्षात्कार आयोजित किया जायेगा, जो कि भावी पालन पोषण प्रदान करने वाले परिवार के मूल्यांकन में सहायक होगा। पालन पोषण प्रदान करने वाले परिवार की मूल्यांकन रिपोर्ट प्रारूप–ख तैयार की जायेगी।

iii. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पालन पोषण प्रदान करने वाले परिवार द्वारा संदर्भ हेतु उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार समुदाय के 2 सम्मानित व्यक्तियों से पुष्टि की जायेगी।

iv. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा भावी पालन पोषण प्रदान करने वाले परिवार का आकंलन करने के पश्चात, ऐसे परिवार का बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम तथा बच्चें के पालन पोषण देखरेख के लिए मिलने वाले भुगतान पर निर्भर नहीं होना सुनिश्चित करने हेतु पालन पोषण प्रदान करने वाले परिवार की आर्थिक स्थिति की जांच जायेगी। मूल्यांकन के बाद सभी मानदंड से संतुष्ट है, केवल वित्तिय सहायता की आवश्यकता है, और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है, तब भी मामला इस प्रयोजन हेतु जिले में गठित प्रायोजन एवं पालन पोषण देखरेख अनुमोदन समिति द्वारा अनुशंसित किया जायेगा इसके बाद बाल कल्याण समिति द्वारा अंतिम आदेश जारी किया जायेगा। विशेषकर उच्च अध्ययन के मामलों में आवश्यकतानुसार बाद में भी वित्तिय सहायता प्रदान की जा सकेगी।

v. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा भावी पालन पोषण प्रदान करने वाले परिवार का एक रोस्टर/पैनल तैयार किया जायेगा तथा प्रत्येक वर्ष इन परिवारों द्वारा प्रदान की जा सकने वाली पोषण देखरेख का विवरण बाल कल्याण समिति को पालन पोषण देखरेख में बच्चों के स्थापन हेतु अग्रेसित की जायेगी।

vi. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बच्चे के पालन पोषण देखरेख में स्थापन की तैयारी की जायेगी। पालन पोषण करने वाले माता–पिता एवं पालन पोषण में दिये जाने वाले बच्चें को आपस में मिलाने की प्रक्रिया आरम्भ की जायेगी तथा इसकी एक रिपोर्ट भी तैयार की जायेगी। जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा इन रिपोर्ट्स को आपस में मिलाने की प्रक्रिया के दौरान तैयार किया जायेगा तथा पत्र के साथ बाल कल्याण समिति को प्रस्तुत की जायेगी।

vii. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बाल कल्याण समिति को अग्रेसित करने से पूर्व पालन पोषण हेतु चिन्हित परिवार को संबंधित विषय (जैसे पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चें, बच्चे की संभावित पृष्ठभूमि, पालन पोषण देखरेख/अभिभावक क्या है तथा एक पालन पोषण प्रदान करने वाले माता–पिता से अपेक्षाएं) से आमुखीकरण कराया जायेगा। इसे प्रमाणित करते हुए बाल कल्याण समिति को अग्रेसित किये जाने वाले दस्तावेज में सम्मिलित किया जायेगा।

48

2.1.5. पालन पोषण करने वाले परिवार का गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करना–

बाल कल्याण समिति द्वारा भावी पालन पोषण करने वाले परिवार की सूची प्राप्त होने पर जिला बाल संरक्षण इकाई को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के प्रारूप 30 में गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिये जायेगें।

2.1.6. पालन पोषण करने वाले परिवार के साथ बच्चें का मिलान कराना –

जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पालन पोषण करने वाले परिवार की गृह अध्ययन रिपोर्ट एवं बच्चे की बाल अध्ययन रिपोर्ट तथा मिलान रिपोर्ट के आधार पर भावी पालन पोषण करने वाले परिवार के साथ बच्चे के स्थापन करने की अनुशंसा की जायेगी तथा बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चें के स्थापन के लिए आदेश जारी किये जायेगें।

2.1.7. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा उपयुक्त सुविधा की पहचान करना –

(i) जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा इन दिशा–निर्देशों के अध्याय 1 के पैरा 10.2 के मानदंडो के आधार पर बच्चों को रखने हेतु इच्छुक उपयुक्त सुविधा की पहचान की जायेगी।

(ii) इसी तरह, जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा उपयुक्त सुविधा का संचालन करने वाले संगठन के पदाधिकारियों एवं सामूहिक पालन पोषण देखरेख में देखरेख प्रदानकर्ताओं का साक्षात्कार किया जायेगा तथा इसी दौरान सुविधाओं एवं देखरेख प्रदानकर्ताओं का मूल्यांकन किया जायेगा।

(iii) जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा सामूहिक पालन पोषण देखरेख के माध्यम से संचालित उपयुक्त सुविधा के संदर्भ हेतु उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार समुदाय के सम्मानित 2 व्यक्तियों से पुष्टि की जायेगी।

(iv) जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा इन दिशा–निर्देशों के पैरा 10.2 के अनुसार किशोर न्याय अधिनियम के तहत् पंजीयन, उपयुक्त सुविधा के रूप में मान्यता, बाल सुरक्षा नीति, देखरेख प्रदानकर्ताओं की चिकित्सा रिपोर्ट, पुलिस सत्यापन इत्यादि का प्रति–परीक्षण किया जायेगा।

(v) नीति आयोग पोर्टल पर पंजीकरण की भी जांच की जायेगी (यदि लागू हो)।

(vi) यदि विदेश से धन/राशि प्राप्त किया जा रहा है, तो एफ.सी.आर.ए पंजीकरण की जांच करना।

(vii) जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बाल कल्याण समिति को अग्रेसित करने से पूर्व उपयुक्त सुविधा के मुख्य देखरेख प्रदानकर्ता को संबंधित विषय (जैसे पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चें, बच्चे की संभावित पृष्ठभूमि, पालन पोषण देखरेख/अभिभावक क्या है तथा एक पालन पोषण प्रदान करने वाले माता–पिता से अपेक्षाएं)

49

से आमुखीकरण कराया जायेगा। इसे प्रमाणित करते हुए बाल कल्याण समिति को अग्रेसित किये जाने वाले दस्तावेज में सम्मिलित किया जायेगा।

2.1. 8.उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्त्ता का बच्चें से मिलान कराना :–

जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा उपयुक्त सुविधा के निरीक्षण, बच्चे की बाल अध्ययन रिपोर्ट तथा उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ताओं के साथ बच्चे की अनुकूलता के आधार पर सामूहिक पालन पोषण देखरेख में बच्चे स्थापन करने की अनुशंसा की जायेगी।

2.1.9.समिति द्वारा बच्चे के पालन पोषण देखरेख में स्थापन के अन्तिम आदेश से पूर्व की प्रक्रिया :–

बच्चे के स्थापन को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ एवं विशेष प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा बाल मैत्री तरीके से संभाला जायेगा।

(a) पालन पोषण करने वाले परिवार के साथ बच्चे का स्थापन :–

i. भावी पालन पोषण करने वाले परिवार के साथ बच्चे के मिलान के पश्चात बाल कल्याण समिति द्वारा अंतरिम आदेश के माध्यम से बच्चे एवं पालन पोषण करने वाले परिवार को एक माह की अवधि के लिए सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में बातचीत करने हेतु एक छोटी मीटिंग करने की अनुमति दी जायेगी। इसके पश्चात बच्चे द्वारा पालन पोषण करने वाले परिवार की घर की विजिट कराई जायेगी तथा परिवार के अन्य परिवार से मिलवाया जायेगा।

ii. समिति के अंतरिम आदेश के पश्चात जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पालन पोषण करने वाले परिवार के साथ बच्चे की अनुकूलता का मूल्यांकन एवं पालन पोषण करने वाले परिवार को वित्तीय सहायता की आवश्यकता है या नहीं, मूल्यांकन रिपोर्ट 15 दिन के भीतर बाल कल्याण समिति को प्रस्तुत की जायेगी।

iii. यदि पालन पोषण करने वाले परिवार को वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, तो ऐसे मामलों में जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान हेतु प्रक्रिया आरम्भ की जायेगी तथा 30 दिनों के भीतर प्रायोजन एवं पालन पोषण देखरेख अनुमोदन समिति से अनुशंसा प्राप्त की जायेगी एवं मामले को पुनः बाल कल्याण समिति को अंतिम आदेश हेतु भेजा जायेगा।

(b) उपयुक्त सुविधा में सामूहिक पालन पोषण देखरेख में बच्चे का स्थापन :–

उपयुक्त सुविधा के भावी देखरेख प्रदानकर्ता के साथ एक बच्चे के मिलान के पश्चात बाल कल्याण समिति द्वारा अंतरिम आदेश के माध्यम से बच्चे एवं देखरेख प्रदानकर्ता को सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में बातचीत करने हेतु एक छोटी मीटिंग करने की अनुमति दी जायेगी। इसके पश्चात बच्चे द्वारा उपयुक्त सुविधा की विजिट कराई जायेगी तथा बच्चों से मिलवाया जायेगा।

2.1.10. बाल कल्याण समिति द्वारा अंतिम स्थापन आदेश :–

i. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा प्रस्तुत अनुकूलता की रिपोर्ट की समीक्षा के पश्चात बाल कल्याण समिति द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 में निर्धारित प्रारूप 32 में बच्चे के पारिवारिक पालन पोषण देखरेख या उपयुक्त सुविधा में सामूहिक पालन पोषण देखरेख में स्थापन हेतु अंतिम आदेश दिये जायेगें तथा उचित कार्यवाही हेतु इसकी प्रति जिला बाल संरक्षण इकाई को प्रेषित की जायेगी।
ii. ऐसे मामलों में जहां कोई वित्तीय सहायता की आवश्यकता नहीं है, बाल कल्याण समिति द्वारा अंतरिम आदेश पारित के 60 दिनों के भीतर अंतिम आदेश प्रायोजन एवं पालन पोषण देखरेख अनुमोदन समिति की सिफारिश के आधार पर दिये जायेगें।
iii. ऐसे मामलों में जहां वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, बाल कल्याण समिति द्वारा सामान्यतः अंतरिम आदेश पारित करने के 75 दिनों के भीतर अंतिम आदेश पारित किया जायेगा।
iv. पंजीकृत बाल देखरेख संस्थान के अन्तर्गत उपयुक्त सुविधा में हर एक बच्चे के लिए प्रतिमाह 2000 रूपये प्रतिमाह का प्रावधान है एवं बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहयोग दिया जा सकता है। उपयुक्त सुविधा राज्य सरकार से मामले के आधार पर अतिरिक्त राशि के लिए अनुरोध कर सकती है।

2. 1.11 पालन पोषन करने वाले माता–पिता/देखरेख प्रदानकर्ता द्वारा वचनबद्धता –

पालन पोषन करने वाले माता–पिता एवं उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ता द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 में निर्धारित प्रारूप 33 में बच्चे की पालन पोषण देखरेख करने हेतु बंधपत्र पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी।

51

2.2. समुदाय में रहने वाले बच्चों के स्थापन की प्रक्रिया :–

2.1. पालन पोषण देखरेख के लिए पात्र बच्चों की पहचान करना –

जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम की जागरूकता पैदा की जायेगी तथा माता–पिता की सहायता के बिना जीवन यापन करने वाले बच्चों की पहचान की जायेगी। ऐसे बच्चों की सूची तैयार कर उनकी परिस्थितियों का पता लगाया जायेगा तथा जिले की आवश्यकताओं का मूल्यांकन आयोजित किया जायेगा। ऐसे बच्चों का बाल अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर पालन पोषण देखरेख में स्थापन हेतु चयन किया जा सकता है।

2.2.2. आगे की प्रक्रिया –

बाल अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने हेतु आगे की प्रक्रिया में, पालन पोषण देखरेख हेतु बच्चे की पहचान एवं अनुशंसा, पालन पोषण करने वाले परिवारों एवं उपयुक्त सुविधाओं की पहचान, भावी पालन पोषण करने वाले परिवार का गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करना, बच्चों के मिलान, पालन पोषण देखरेख में स्थापन एवं इस अध्याय के पैरा 2.1.1 से 2.1.11 के अनुसार उपयुक्त सुविधा का सामूहिक पालन पोषण देखरेख में देखरेख प्रदानकर्ताओं एवं पालन पोषण करने वाले माता–पिता का बंधपत्र पर हस्ताक्षर होना सम्मिलित हैं।

2.2.3. पालन पोषण करने वाले माता–पिता/उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ताओं द्वारा स्वप्रेरणा से देखरेखः–

बच्चे को तत्काल देखरेख की आवश्यकता की स्थिति में उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ता एवं पालन पोषण करने वाले परिवार द्वारा स्वप्रेरणा से बच्चे की देखरेख कर सकते हैं तथा उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ बच्चे को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता हैं। बाल कल्याण समिति द्वारा आवश्यक आंकलन के पश्चात निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार उपयुक्त सुविधा का सामूहिक पालन पोषण देखरेख या पारिवारिक पालन पोषण देखरेख बच्चे के स्थापन के लिए 60 दिनों के भीतर निर्णय लिया जायेगा। बाल कल्याण समिति द्वारा दिये गए, स्वप्रेरणा देखेरख के अन्तर्गत वंचित बच्चों की आबादी आती है, जिन्हें विशेष परिवार आधारित देखरेख सेवाओं की आवश्यकता होती है, जैसे– तस्करी वाले बच्चें, यौन हिंसाओं या दुर्व्यवहार वाले बच्चें, हिंसा से प्रभावित बच्चें, सड़क पर रहने वाले बच्चें इत्यादि शामिल है। बच्चों का संस्थागत व्यवस्था में स्थापन आघात नहीं हो।

2.2.4. संस्थागत देखरेख से विस्थापित बच्चों की काउंसलिंग (परामर्श) :–

बच्चें को संस्थागत देखरेख से परिवार या उपयुक्त सुविधा में ले जाने के कारण हुये वातावरण परिवर्तन के लिए तैयार करना सबसे महत्वपूर्ण है। एक नया स्थापन बच्चे के लिए तनावपूर्ण हो सकता है तथा इसे दूर करने के लिए बच्चे को गहन काउंसलिंग (परामर्श) की आवश्यकता होती है।

पालन पोषण करने वाले परिवार या उपयुक्त सुविधा में बच्चे का अंतिम स्थापन से पहले की अंतरिम अवधि बहुत महत्वपूर्ण होती है तथा इसे प्रशिक्षित पेशवरों द्वारा

देखरेख के साथ संभाला जाना चाहिए। बच्चे को इसके लिए तैयारी का प्रकार, बच्चे की उम्र एवं पालन पोषण देखरेख में बच्चे का स्थापन के कारण पर निर्भर होता है। खासकर पुराने बच्चों के मामले में या विषम परिस्थितियों के कारण बच्चें का जैविक परिवार से अलग होने पर निर्भर करता है।

इसलिए, ऐसे बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जिनके जैविक माता–पिता जेल में है या लंबे समय से अस्पताल में भर्ती है तथा इन बच्चों को अपने जैविक माता–पिता के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए प्रत्येक अवसर दिये जाने की आवश्यकता है। इस अवधि में बच्चे के साथ समग्र समायोजन के लिए पालन पोषण करने वाले परिवार (उनके जैविक बच्चों सहित) को परामर्श एवं मार्गदर्शन भी शामिल होगा।

2.2.5 उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्त्ताओं की काउंसलिंग (परामर्श) –

उपयुक्त सुविधा की सामूहिक पालन पोषण देखरेख के देखरेख प्रदानकर्ता को काउंसलिंग (परामर्श) प्रदान की जायेगी, जिससे उन्हें एक बच्चे की देखरेख की समस्त जिम्मेदारियों के निवर्हन हेतु सक्षम बनाया जा सके।

इन उपयुक्त सुविधाओं में देखरेख प्रदानकर्ताओं के साथ उनके जैविक बच्चे भी हो सकते है, देखरेख प्रदानकर्ताओं के साथ उन बच्चों की काउंसलिंग (परामर्श) होनी चाहिए, ताकि वे सामूहिक पालन पोषण देखरेख में रह रहे अन्य बच्चों के साथ समयोजन कर सके।

2.2.6.बच्चे एवं उसके जैविक माता–पिता की काउंसलिंग (परामर्श) :–

ऐसा मानते हुए कि प्रत्येक बच्चें को एक पारिवारिक वातावरण में बढ़ने का अधिकार है, एक योजनाबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से बच्चे के जैविक परिवार को सुदृढ़ बनाकर, बच्चे को उसके जैविक परिवार के साथ फिर से जोड़ने हेतु हर सम्भव प्रयास किया जाना आवश्यक हैं। बच्चे के जैविक माता–पिता (अगर जीवित है और उपलब्ध है) तो उनकी बच्चों को वापस लेने के लिए सक्षम बनाने हेतु काउंसलिंग (परामर्श) उपलब्ध करायी जायेगी।

स्थापन से पूर्व एवं स्थापन के दौरान जैविक माता–पिता एवं पालन पोषण करने वाले परिवार या उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ता की काउंसलिंग (परामर्श) तथा मिलान की प्रक्रिया के दौरान काउंसलिंग (परामर्श) उपलब्ध कराने के लिए मॉड्यूल/ पेम्पलेंट **मॉडल प्रारूप ग–1 से ग–4** में क्रमशः तैयार किये गए है।

2.3. पालन पोषण देखरेख की शुरूआत :–

उचित अनुमोदन के पश्चात जहां भी बच्चे की देखरेख हेतु वित्तीय सहायता का अनुरोध किया गया है या जब इस तरह की सहायता का अनुरोध नहीं किया गया है, तो जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पालन पोषण करने वाले परिवार के निवास तक बच्चे के मार्गरक्षण की व्यवस्था की जायेगी। वित्तीय सहायता राशि प्रत्येक 3 माह के प्रारम्भ में सीधे ही जिला बाल संरक्षण इकाई के बैंक खाते से बच्चे के नाम के पोस्ट ऑफिस खाते/बैंक बचत खाते स्थानान्तरित की जायेगी, इस खाते का संचालन बच्चें

एवं पालन पोषण करने वाले माता या पिता द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। उपयुक्त सुविधा में ऐसा कोई भी बैंक खाता नहीं खोला जायेगा।

इसी प्रकार जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा उपयुक्त सुविधा की सामूहिक पालन पोषण देखरेख तक बच्चे के मार्गरक्षण की व्यवस्था की जायेगी।

जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पालन पोषण करने वाले परिवार या उपयुक्त सुविधा के नजदीकी विद्यालय में बच्चे का नामांकन करवाने हेतू सहयोग उपलब्ध कराया जायेगा। (अगर ऐसा अनुरोध किया गया है, तो)

2.4. वित्तीय सहायता :–

उचित अनुमोदन के पश्चात बच्चे की देखरेख हेतु वित्तीय सहायता हेतु अनुरोध करने की स्थिति में पालन पोषण करने वाले माता–पिता को वित्तीय सहायता के रूप में न्यूनतम 2000 रूपयें प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। यह वित्तीय सहायता किशोर न्याय निधि या केन्द्रीय एवं राज्य सरकार की किसी अन्य योजना या कार्यक्रम से भी प्रदान की जा सकती है। सामूहिक पालन पोषण देखरेख में रखे गए बच्चों के लिए भी 2000 रूपये का वित्तीय मानदंड लागू होगा। यह वित्तीय सहायता राशि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक 3 वर्षों में संशोधित की जा सकती है।

2.5. प्रायोजन एवं पालन पोषण देखरेख अनुमोदन समिति (एस.एफ.सी.ए.सी) :–

राज्य सरकार प्रायोजन एवं पालन पोषण देखरेख निधि/कोष की समीक्षा एवं स्वीकृति हेतु प्रत्येक जिले में एक प्रायोजन एवं पालन पोषण देखरेख अनुमोदन समिति की स्थापना कर सकती है। प्रायोजन एवं पालन पोषण देखरेख अनुमोदन समिति द्वारा प्रत्येक माह अपनी बैठके आयोजित की जायेगी। असाधारण मामलों के अतिरिक्त प्रत्येक मामले का निपटारा 75 दिनों के भीतर किया जायेगा एवं किसी भी मामले के निपटान आवेदन प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम तीन महीने में किया जायेगा।

2.6. बचाव –

i. एक समय में एक परिवार में दो से अधिक बच्चों को नहीं रखा जायेगा।
ii. केवल भाई–बहनों के अपवादात्मक प्रकरणों में, उन्हें प्राथमिकता से एक साथ एक ही परिवार या उपयुक्त सुविधा में रखा जायेगा।
iii. जहां उचित एवं आवश्यक है पालन पोषण देखरेख हेतु जैविक माता–पिता की सहमति प्राप्त की जायेगी।
iv. यदि पालन पोषण करने वाले परिवार विशेष आवश्यकता वाला जैविक बच्चा है, तो ऐसे परिवार में पालन पोषण हेतु किसी विशेष आवश्यकता वाले बच्चें का स्थापन नहीं किया जायेगा। इसके स्थान पर विशेष जरूरत वाले बच्चे का स्थापन विशेष सुविधाओं वाली उपयुक्त सुविधा में किया जायेगा।

v. यथासंभव बच्चों को उसके सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश एवं जाति से संबंध रखने वाले पालन पोषण करने वाले परिवारों में स्थापन किया जायेगा।

vi. यथासंभव बालक या बालिकाओं हेतु संचालित सामूहिक पालन पोषण देखरेख यदि अपनी सेवाओं का विस्तार भाई–बहनों की देखरेख तक करते है, तो यह स्थिति लागू नहीं होगी।

vii. यथासंभव सामूहिक पालन पोषण देखरेख में 7 से 11 वर्ष एवं 12 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग–अलग सुविधाएं संचालित की जायेगी।

अध्याय 3: निगरानी और समीक्षा

3.1 स्थापन की निगरानी

जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल कल्याण समिति द्वारा स्वयं या बाल देखरेख संस्थान के कार्यकर्ताओं के माध्यम से स्थापन में बच्चे के सर्वोत्तम हित की आवधिक समीक्षा की जायेगी तथा बच्चे के पालन पोषण देखरेख में स्थापन के विस्तार एवं समाप्त करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के प्रारूप 34 के अनुसार पालन पोषण देखरेख में रखे गये प्रत्येक बच्चे का रिकॉर्ड संधारित किया जायेगा।

बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चे के हित में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के प्रारूप 35 के अनुसार पालन पोषण करने वाले परिवार एवं उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ता का मासिक निरीक्षण किया जायेगा।

पालन पोषण देखरेख में स्थापन के लिए निगरानी टूल्सः प्रारूप घ (1–2) के अनुसार पालन पोषण देखरेख में रखे गये बच्चों द्वारा अत्याचार, दुर्व्यवहार एवं शोषण के सबंध में की गई शिकायत की जांच करना एवं हस्तक्षेप की निगरानी करना।

पालन पोषण देखरेख के लिए शिकायत हेतु प्रारूप ड़ (1) में तथा जॉच के लिए प्रारूप ड़ (2) तैयार किये गये हैं। उक्त संबंध में कम्प्यूटरीकृत डाटा संधारित किया जायेगा।

3.2 बच्चे की प्रगति पर नजर रखना

जिला बाल संरक्षण इकाई या गैर सरकारी संगठन या इकाई द्वारा चिन्हित सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा पालन पोषण करने वाले परिवार का प्रथम माह में साप्ताहिक तथा आगामी 6 माह तक प्रत्येक माह तथा उसके पश्चात पालन पोषण देखरेख पूर्व होने तक वार्षिक स्तर पर दौरे एवं निम्नानुसार रिकॉर्ड संधारण सुनिश्चित किया जायेगाः–

- पालन पोषण देखरेख के तहत प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत देखरेख योजना तैयार की जायेगी तथा उसे नियमित संधारित किया जाएगा।

- प्रथम त्रैमास में मासिक स्तर पर विद्यालय का दौरा तथा उसके पश्चात 3 वर्ष तक त्रैमासिक दौरा एवं उसके पश्चात पालन पोषण देखभाल देखरेख में स्थापन पूरा होने तक प्रत्येक 6 माह में दौरा किया जायेगा।
- बच्चे के दस्तावेज के रूप में विद्यालय की उपस्थिति प्रमाण पत्र एवं प्रगति पत्र (रिपोर्ट कार्ड) प्राप्त एवं संधारित किये जायेगे।
- बच्चे के सामान्य हित सहित स्वास्थ्य एवं सामान्य पारिवारिक वातावरण को भी ध्यान रखा जायेगा।
- बच्चे की प्रगति के आधार पर पालन पोषण देखरेख का विस्तार या समाप्त करने की अनुशंसा की जायेगी।

3.3 जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा संधारित किये जाने वाले रिकॉर्ड –

जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा निम्नलिखित वास्तविक या कम्प्यूटरीकृत रिकॉर्ड संधारित किये जायेगे:–

(i) पालन पोषण देखभाल कार्यक्रम के तहत् बच्चों का एक मास्टर रजिस्टर तैयार किया जायेगा, जिसमें निम्न सहित सम्पूर्ण प्रक्रियाओं का अलग–अलग चित्रण किया जायेगा–

a. पालन पोषण देखरेख में रखे गये बच्चे का विवरण :–

- बच्चे, उपयुक्त पालन पोषण करने वाले माता–पिता/सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ता एवं बच्चे जैविक माता–पिता (यदि उपलब्ध है, तो) का फोटो एवं स्थापन के समय बच्चे की आयु (जन्म प्रमाण पत्र की प्रति, यदि उपलब्ध हो तो)
- लिंग
- अभिभावको की स्थिति
- प्रत्येक वर्ष नवीन फोटो
- बच्चे का आधार कार्ड

b. स्थापन का विवरण :–

- व्यक्तिगत या सामूहिक
- बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार स्थापन की तिथि
- बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार स्थापन की अवधि
- स्थापन की अवधि विस्तार या निरस्तीकरण का कारण एवं तिथि, यदि लागू हो,

c. प्रायोजन एवं पालन पोषण देखभाल अनुमोदन समिति की बैठक विवरण के अनुसार वित्तीय सहायता एवं कारणों सहित पालन पोषण अनुदान के वितरण का विवरण।

56

(ii) पालन पोषण देखरेख में रखे गये प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत केस फाइल संधारित की जायेगी, जिसमें निम्न को सम्मिलित किया जायेगा –

- बच्चे के परामर्श का स्रोत
- बच्चे के जैविक परिवार के गृह अध्ययन रिपोर्ट तथा फोटो (यदि लागू हो)
- पालन पोषण करने वाले परिवार के फोटो सहित गृह अध्ययन रिपोर्ट
- पालन पोषण करने वाले परिवार/उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ता के साथ बच्चे के मिलान की रिपोर्ट
- बाल अध्ययन रिपोर्ट
- व्यक्तिगत देखभाल योजना
- बाल कल्याण समिति का पालन पोषण देखभाल स्थापन के संबंध में आदेश
- बच्चे के संबंध में पालन पोषण करने वाले परिवार, जैविक परिवार एवं बच्चे के विद्यालय सहित प्रत्येक दौरे का विवरण (संख्या एवं महत्वपूर्ण विवरण सहित)
- बच्चे के स्थापन के बारे में बच्चे द्वारा दिये गए सुझाव, विचार एवं उसके अनुभव इत्यादि का विवरण
- बच्चे के स्थापन की समीक्षा का विवरण, जिसमें अवलोकन, विस्तार, देखभाल योजना सहित गुणवत्ता की अनुपालना, बच्चे के विकास के मापदण्ड़, बच्चे की शैक्षणिक प्रगति एवं पारिवारिक वातावरण में कोई बदलाव इत्यादि का रिकार्ड संधारित करना।
- स्थापन का विस्तार एवं समाप्ति, समाप्ति के कारण एवं तिथि
- बच्चे के पालन पोषण देखभाल परिवार में स्थापन के दौरे के रिकार्ड संधारण का प्रारूप प्रारूप च के अनुसार किया जायेगा।

3.4 प्रायोजन एवं पालन पोषण देखभाल अनुमोदन समिति को त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना –

जिला बाल संरक्षण इकाई या इकाई द्वारा नामित या इकाई द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक बच्चे की त्रैमासिक रिपोर्ट समीक्षा हेतु प्रायोजन पालन पोषण देखभाल अनुमोदन समिति तथा अनुशंसा हेतु बाल कल्याण समिति को प्रस्तुत की जायेगी।

3.5 पालन पोषण देखरेख की समाप्ति –

i. बाल कल्याण समिति को प्रायोजन एवं पालन पोषण देखभाल अनुमोदन समिति की अनुशंसाओं एवं जिला बाल संरक्षण इकाई की रिपोर्ट पर विचार के पश्चात पालन पोषण देखभाल स्थापन को समाप्त करने का अधिकार होगा।
ii. बाल कल्याण समिति द्वारा पालन पोषण करने वाले परिवारों/उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ताओं के विचारों को ध्यान में रखते हुए पालन पोषण देखरेख स्थापन की समाप्ति के पूर्व लिखित रूप में नोटिस दिया जायेगा।
iii. बाल कल्याण समिति द्वारा समीक्षा आयोजित करने एवं पालन पोषण करने वाले परिवारों/उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ताओं को उचित नोटिस देने के

57

पश्चात स्थापन समाप्त किये जाने के कारण एवं तिथि को लेखबद्ध करते हुए आदेश जारी करने के साथ बच्चे किसी अन्य उपयुक्त पालन पोषण देखरेख परिवार या उपयुक्त सुविधा की सामूहिक देखभाल पालन पोषण या बाल देखरेख संस्थान में स्थापन आदेश जारी किये जायेगें।

iv. निम्नलिखित मामलों में पालन पोषण देखरेख की समाप्ति की जा सकती है –

- बच्चे के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पालन पोषण देखरेख को समाप्त माना जायेगा तथा बच्चे के पास पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम का उपयोग करने का विकल्प होता हैं तथा बच्चे एवं पालन पोषण करने वाले माता के नाम से वित्तीय सहायता के स्थानान्तरण हेतु खोले गये संयुक्त बैंक खाते को बच्चे के नाम में स्थानांतरित किया जाएगा।
- जिन बच्चों को उनके जैविक माता–पिता के पालन पोषण हेतु उपलब्ध नहीं होने (जैसे– जेल में बन्द होने या किसी मानसिक बीमारी के कारण किसी संस्थान में आवासरत होने) के कारण पालन पोषण देखरेख में रखा गया था, ऐसे बच्चों के जैविक माता–पिता के जेल छूट जाने/स्वस्थ होने के पश्चात बाल कल्याण समिति से बच्चों को अपने पास रखने हेतु अनुरोध किया गया है, तथा समिति बच्चें को उसके जैविक माता–पिता से पुर्नमिलन को उपयुक्त मानती है, तो समिति द्वारा बच्चे के संबंध में विशिष्ट आदेश पारित किया जा सकता हैं।
- यदि 6 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के विधिक रूप से स्वतंत्र बच्चे, जिन्हें पालन पोषण देखरेख में स्थापन के दौरान उपयुक्त दत्तक परिवार मिल जाता है, तो बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चे की सहमति प्राप्त करने के पश्चात उसकी पालन पोषण देखरेख समाप्त कर सकती है तथा उसे दत्तक ग्रहण हेतु पुनः विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी में भेजा जायेगा।
- यदि पालन पोषण देखरेख के संबंध में बच्चें या उसके रिश्तेदारों या समुदाय के सदस्यों के द्वारा शिकायत की गई है, तो जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा उचित जांच के पश्चात पालन पोषण करने वाले परिवार या उपयुक्त सुविधा दौरे (विजिट) के दौरान निम्नलिखित को ध्यान में रखा जायेगा –
  - बच्चे ने स्कूल जाना बंद कर दिया है या स्कूल में बच्चे की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है (विशेष परिस्थितियां जैसे– विकलांगता या बच्चे की बीमारी को अपवाद माना जायेगा)।
  - यदि पालन पोषण देखरेख में बच्चे के शारीरिक, भावनात्मक, लैंगिंक शोषण या उपेक्षा की गई है/की जा रही है।
  - यदि श्रम विधियों के उल्लंघन में श्रम करवाया गया है/जा रहा हैं।
  - पालन पोषण करने वाले परिवार या उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ता द्वारा बच्चें को मिलने वाली पालन पोषण वित्तीय सहायता का दुरूपयोग किया गया हैं।

58

- यदि पालन पोषण देखरेख के संबंध में बच्चें, पालन पोषण करने वाले माता–पिता/उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ता या रिश्तेदारों कोई शिकायत या अनुरोध किया गया है या जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पालन पोषण करने वाले परिवार या उपयुक्त सुविधा दौरे (विजिट) के दौरान ध्यान में आने पर –
    - पालन पोषण करने वाले माता–पिता या उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ता एवं काउंसलिंग (परामर्श) के पश्चात बच्चें के स्थापन समायोजन स्थापित करने में असमर्थ है।
    - पालन पोषण करने वाले माता–पिता या उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ता लम्बे समय तक बच्चे की सामाजिक, भावनात्मक एवं विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त रूप से उपयुक्त नहीं हैं।
    - एक उपयुक्त सुविधा में बच्चा समायोजित करने में असमर्थ है तथा उसे विशेष सहायता की आवश्यकता है जैसे – नशामुक्ति की सुविधा।

- पालन पोषण करने वाले माता–पिता की मृत्यु, तलाक या अलग होने की स्थिति में बच्चे को बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चे को किसी अन्य पालन पोषण करने वाले परिवार एवं उपयुक्त सुविधा में स्थापन आदेश दिये जाने तक बच्चे को वापस बाल देखरेख संस्थान में भेज दिया जाएगा।

अध्याय 4: प्राधिकरण एवं एंजेंसियों की भूमिका

4.1. जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) की भूमिका :–

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत प्रत्येक जिले में बच्चो के संरक्षण हेतु उपाय करने के लिए एक मूलभूत इकाई के रूप में जिला बाल संरक्षण इकाई की स्थापित की गई हैं। इस इकाई द्वारा जिला स्तर पर बाल अधिकारों एवं संरक्षण से संबंधित समस्त गतिविधियों का कियान्वयन एवं समन्वयन किया जायेगा। यह इकाई द्वारा संबंधित जिले के उपायुक्त के सम्पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में 12 सदस्यों की टीम के साथ कार्य करेगी। जिला बाल संरक्षण इकाई में संरक्षण अधिकारी (संस्थागत देखरेख) एवं संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख) सहित 12 कार्मिक होगें। यह इकाई विशेष रूप से निम्नलिखित गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होगी :–

- पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम के प्रशासनिक कार्यों सहित बाल संरक्षण संबंधित सभी गतिविधियों का संपादन करना।
- निम्नलिखित मानदंडो के आधार पर पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम पर काम करने वाले उचित स्वयसेवी संस्था/स्वैच्छिक संगठन/पालन पोषण देखरेख पर कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्त्ता की पहचान कर एक पैनल तैयार किया जायेगा, जिसमें स्वयंसेवी संस्था का सोसाइटी के पंजीकरण अधिनियम या भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन, समुदायिक नेतृत्व की पहल पर काम करने का अनुभव, अधिकतर परिवार को सुदृढ बनाने एवं गैर–संस्थागत देखभाल कार्यक्रम एवं संस्था/संगठन में बाल संरक्षण नीति का होना सम्मिलित हैं।
- पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम से संबंधित सभी सूचनाओं का संधारण करना एवं जिले में सभी बाल देखरेख संस्थानों एवं विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी के लिए संपर्क केन्द्र के रूप में कार्य करना।
- जिले में संस्थानों एवं विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी की सहायता से पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम पर हितधारकों जैसे बाल कल्याण समिति, स्वयंसेवी संस्था, पालन पोषण करने वाले परिवार/उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ता इत्यादि के लिए एडवोकेसी, प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- पारिवारिक पालन पोषण देखरेख हेतु चयनित भावी माता–पिता एवं उपयुक्त सुविधा की सामूहिक पालन पोषण देखरेख का अलग–अलग रोस्टर संधारित करना।
- बच्चे के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पालन पोषण देखरेख (पारिवारिक एवं सामूहिक पालन पोषण देखरेख) में रखे गये बच्चे सहित पालन पोषण करने वाले परिवार/उपयुक्त सुविधा के विवरण का डाटाबेस राज्य सरकार द्वारा तैयार किये गये इलेक्ट्रोनिक पोर्टल पर संधारित करना।
- बच्चे के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर संयुक्त बैंक खाते को बच्चे के नाम स्थानांतिरत करना।

- पालन पोषण करने वाले माता–पिता का आधार नबंर पंजीकरण कराना सुनिश्चित करना, ताकि इससे स्थापन के दौरान एवं स्थापन के पश्चात बच्चें को आसानी से खोजा जा सके। यदि माता–पिता पहले से ही पंजीकृत आधार नम्बर है, तो उनके आधार विवरणों से बच्चे को जोड़ना चाहिए।
- जांच/अन्वेषण एवं हस्तक्षेप के माध्यम सें शिकायतों तक पहुचंना।
- जिले में नियमित रूप से पालन पोषण देखेरख कार्यक्रम की निगरानी एवं मूल्यांकन करना।
- अध्याय 3 के पैरा 3.5 में उल्लेखित एक या अधिक कारणों के लिए बाल कल्याण समिति को पालन पोषण देखरेख स्थापन की समाप्ति हेतु अनुशंसा की करना।
- यदि बच्चे की प्रगति संतोषजनक है एवं बच्चे को उसके जैविक माता–पिता के साथ रखने सहित अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में पालन पोषण देखरेख स्थापन की अवधि का विस्तार किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा जिनका पालन पोषण देखरेख में रखे गये 15 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों का कौशल विकास कार्यक्रम से जोडना तथा नौकरी दिलाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा परिवारों को पालन पोषण देखरेख हेतु प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों तथा सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) की गतिविधियों का आयोजन किया जायेगा।
- जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा प्रतिवर्ष पालन पोषण करने वाले माता–पिता की संवादात्मक समूह बैठक आयोजित की जायेगी।
- पालन पोषण देखरेख में रखे बच्चों से संबंधित जानकारी मासिक स्तर पर बाल संरक्षण सूचना प्रंबंधन प्रणाली (सीपी एमआईएस) में अपलोड की जायेगी।
- जिला बाल संरक्षण इकाई के काउंसलर (परामर्शदाता) द्वारा पालन पोषण देखरेख में रखे गए बच्चों को काउंसलिंग (परामर्श) सेवाएं प्रदान की जायेगी। यदि बच्चे को विशेष काउंसलिंग (परामर्श), मनोरोग एवं मनौवैज्ञानिक सहायता की आवश्यकता है तो जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग किया जायेगा तथा ऐसी व्यवस्थाओं की स्थापना करना।

4.2. **जिला बाल संरक्षण अधिकारी (डीसीपीओ) की भूमिका :–**

- जिला बाल संरक्षण अधिकारी पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा तथा चालू प्रकरणों में संरक्षण अधिकारी (गैर–संस्थागत देखरेख) से नियमित रिपोर्ट प्राप्त की जायेगी।
- पारिवारिक एवं सामूहिक पालन पोषण देखरेख के लिए चयनित भावी पालन पोषण करने वाले परिवार/उपयुक्त सुविधाओं का एक रोस्टर संधारित किया जायेगा।
- जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा समय–समय पर संरक्षण अधिकारी, परामर्शदाता एवं जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यरत अन्य कार्मिकों द्वारा किये

61

गये केस प्रबंधन का आंकलन किया जायेगा, ताकि समय पर नियमों का अनुपालन किया जा सके।

- जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा पारिवारिक एवं सामूहिक पालन पोषण देखरेख हेतु चयनित पालन पोषण करने वाले माता–पिता/उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ता की पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चे के प्रति जिम्मेदारियों एवं सहयोग हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया जायेगा।
- जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा प्रायोजन एवं पालन पोषण देखरेख अनुमोदन समिति को एक त्रैमासिक रिपोर्ट एवं स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।

4.3. संरक्षण अधिकारी (संस्थागत देखरेख) एवं संरक्षण अधिकारी (गैर–संस्थागत देखरेख) की भूमिका :–

- संरक्षण अधिकारी (गैर–संस्थागत देखरेख) व्यक्तिगत एवं सामूहिक पालन–पोषण देखरेख के प्रकरणों को लेने के लिए जिम्मेदार है। इन दिशा–निर्देशों के पैरा 2.1 के अनुसार संरक्षण अधिकारी (संस्थागत देखरेख) द्वारा बाल देखरेख संस्थाओं में रहने वाले बच्चों के मामलों की पहचान में सहयोग प्रदान किया जायेगा।
- संरक्षण अधिकारी (संस्थागत देखरेख) एवं संरक्षण अधिकारी (गैर–संस्थागत देखरेख) द्वारा बच्चों की पात्रता के लिए दस्तावेजों की जांच की जायेगी एवं दोनों द्वारा बच्चे या बच्चों के सर्वोत्तम हित में समन्वयन के साथ कार्य किया जायेगा।
- संरक्षण अधिकारी (संस्थागत देखरेख) द्वारा बाल संरक्षण समस्याओं के विभिन्न आयाम, सहयोग की आवश्यकता वाले बच्चों की संख्या, संस्थान में रहने वाले बच्चों की संख्या, बच्चों की आवश्यकता के अनुसार सेवाओं का प्रकार डाटा एकत्रित एवं संकलित किया जायेगा।
- संरक्षण अधिकारी (संस्थागत देखरेख) द्वारा राज्य सरकार द्वारा स्थापित पोर्टल पर समस्त संस्थागत देखरेख कार्यक्रमों के चाइल्ड ट्रेकिंग सिस्टम की स्थापन एवं प्रबंधन सुनिश्चित किया जायेगा।
- संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख) पालन पोषण करने वाले परिवार की गृह अध्ययन रिपोर्ट एवं बच्चे से मेल खाने वाले पालन पोषण करने वाले परिवार एवं बच्चे की आवश्कयताओं के अनुसार उपयुक्त सुविधा के आंकलन हेतु जिम्मेदार हैं।
- संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख) द्वारा ऐसे बच्चे, जिनके माता–पिता जेल में है, तक पहुंचकर बच्चे के पालन पोषण देखरेख में स्थापन के लिए उनकी सहमति प्राप्त की जायेगी।
- संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख) द्वारा लाइलाज बीमारी से ग्रसित ऐसे बच्चे, जिनके माता–पिता द्वारा बाल कल्याण समिति के समक्ष अपने बच्चों के लिए पालन पोषण देखरेख के लिए से जोड़ने के लिए प्राप्त अनुरोध को सुगम बनाया जायेगा।

- संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख) द्वारा बाल देखरेख संस्थाओं द्वारा पालन पोषण देखरेख हेतु अनुशंसित बच्चों एवं ऐसे बच्चे जो संस्थागत देखरेख में नहीं है, की संयुक्त सूची तैयार की जाएगी।
- केवल ऐसे मामले जहां पालन पोषण करने वाले माता–पिता द्वारा बच्चे के स्थापन हेतु वित्तीय सहायता का अनुरोध किया गया है एवं गैर–औपचारिक रिश्तों में बच्चे की देखरेख हेतु प्रायोजन की आवश्यकता के मामलों को प्रति माह प्रायोजन एवं पालन पोषण देखरेख अनुमोदन समिति के समक्ष विचार करने एवं अनुमोदन हेतु रखा जायेगा।
- संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख) द्वारा इन दिशा–निर्देशों के अध्याय–2 के पैरा 3 में निर्धारित प्रकिया के अनुसार पालन पोषण देखरेख की अवधि के दौरान एवं पूर्व बच्चे एवं पालन पोषण करने वाले परिवार को काउंसलिंग (परामर्श) एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख) द्वारा काउंसलर (परामर्शदाता), सामाजिक कार्यकर्ता एवं जिला बाल संरक्षण इकाई में कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ता एवं समुदाय के वॉलिन्टियर्स (स्वयंसेवकों) की सहायता के बच्चें के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पर्यवेक्षण किया जायेगा।
- संबंधित विभाग जैसे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि के साथ समन्वय किया जायेगा।
- बच्चे के जैविक माता–पिता के जीवित रहने की स्थिति में संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख) द्वारा जैविक माता–पिता का निर्धारित दौरों (विजिट) के माध्यम से बच्चे से संपर्क रहना सुनिश्चित किया जायेगा।
- संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख) द्वारा इन दिशा–निर्देशों में निर्धारित प्रकिया के अनुसार पालन पोषण करने वाले परिवार एवं समूह की व्यवस्था एवं समुदाय के नियमित दौरे के माध्यम पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम की निगरानी एवं रिकॉर्ड संधारित किया जायेगा।

4.4. बाल कल्याण समिति की भूमिका :–

- यदि किसी प्रकरण में परिवार द्वारा लाइलाज बीमारी का शिकार होने के कारण सीधे ही बाल कल्याण समिति को अपने बच्चे की पालन पोषण देखरेख हेतु अनुरोध किया गया है या समिति द्वारा स्वप्रेरणा के प्रकरणों में यदि समिति स्थिति की आवश्यकता से सहमत है, तो जिला बाल संरक्षण इकाई को स्वयं या पैनल में रखे गये काउंसलर (परामर्शदाता) के माध्यम से बच्चे की बाल अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने एवं गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करवाने हेतु अनुरोध करेगी।
- भावी पालन पोषण करने वाले परिवारों की गृह अध्ययन रिपोर्ट की जांच एवं उपयुक्त सुविधा की सुविधाओं के विवरण से संतुष्ट होने के पश्चात किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के प्रारूप 32 के अनुसार बच्चे के पालन पोषण देखरेख में स्थापन हेतु आदेश जारी किये जायेगें।
- बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चे की व्यक्तिगत देखरेख योजना का परीक्षण किया जायेगा, माता–पिता की सहमति (यदि आवश्यक हो तथा यदि वित्तीय

सहायता हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई को अनुरोध प्रस्तुत किया गया है, तो प्रायोजन एवं पालन पोषण देखरेख का अनुमोदन एवं समिति स्वयं पालन पोषण देखरेख में स्थापन के लिए उपयुक्तता के संबंध में संतुष्ट होगी।

- बच्चे के समझने में सक्षम होने के मामलें में, बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चे की सहमति प्राप्त करने हेतु बच्चे का साक्षात्कार किया जा सकेगा।
- समिति द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा प्रस्तुत मिलान रिपोर्ट पर विचार किया जायेगा।
- बाल कल्याण समिति द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 में निर्धारित प्रारूप 32 अनुसार बच्चे के पारिवारिक पालन पोषण देखरेख या उपयुक्त सुविधा में सामूहिक पालन पोषण देखरेख में स्थापन हेतु आदेश दिये जायेगें तथा उचित कार्यवाही हेतु इसकी प्रति जिला बाल संरक्षण इकाई को प्रेषित की जायेगी।
- बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चे के उचित देखरेख प्राप्त करने को सुनिश्चित करने हेतु किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 में निर्धारित प्रारूप 35 अनुसार प्रथम त्रैमास में मासिक स्तर पर तथा उसके पश्चात प्रत्येक 6 माह में एक बार पालन पोषण करने वाले परिवार एवं उपयुक्त सुविधा के दौरे किये जायेगें।
- बच्चे को दी जाने वाली देखरेख के स्तर की समीक्षा करने के पश्चात बाल कल्याण समिति द्वारा पालन पोषण देखरेख में स्थापन के विस्तार आदेश दिये जायेगें तथा देखरेख असंतोषजनक पाये जाने के मामले में पालन पोषण देखरेख में स्थापन की समाप्ति के आदेश देकर बच्चे के वैकल्पिक पुनर्वास की व्यवस्था का निर्णय लिया जायेगा।

4.5. पुलिस की भूमिका :–

- पालन पोषण करने वाले माता–पिता को विधिक अभिभावक मान्यता देना।
- भावी पालन पोषण करने वाले परिवार की पृष्ठभूमि की जांच करना।
- शिकायत/जांच प्रक्रियाओं में तत्काल कार्यवाही करना।
- सामुदायिक पहुंच के माध्यम से पालन पोषण देखरेख की जागरूकता फैलाना।

4.6. न्यायपालिका की भूमिका :–

- पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम के प्रचार–प्रसार एवं जागरूकता फैलाने तथा समुदाय स्तर पर कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए पैरा लीगल वॉलेन्टियर को प्रशिक्षित करना।
- उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति द्वारा पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम के कियान्वयन पर निगरानी की जा सकती हैं।

4.7. शिक्षा विभाग की भूमिका :–

- पालन पोषण करने वाले परिवार को विद्यालय (सरकारी विद्यालय, निजी विद्यालय, और किसी अन्य सरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान) में बच्चों को प्रवेश (दाखिला) देने की अनुमति देना। यदि आवश्यक हो, तो इस संबंध में अधिसूचना जारी करना।
- दत्तक/पालन पोषण सेवा/प्रायोजन से जुडे बच्चे के उपर लांछन को कम करने के लिए उन्हें सकिय रूप से शैक्षिक गतिविधियों में व्यस्त रखना।
- पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम सें जुड़े बच्चों पर निगरानी रखने के लिए सामुदायिक स्तर के तंत्र को शामिल करना। बच्चा, विद्यालय में नामांकित है, लेकिन विद्यालय नहीं जा रहा है या छोड चुका है, ऐसा करना पालन पोषण देखरेख की शर्तो का उल्लंघन करना है। इस हेतु विद्यालय प्रबंधन समिति एवं ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति के मध्य समन्वय स्थापित करना।
- पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम के तहत् बच्चे की सरकारी विद्यालय में जाने वाले की उपस्थिति की रिपोर्ट मासिक स्तर पर जिला बाल संरक्षण इकाई को प्रेषित करना।

4.8. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की भूमिका :–

- भावी पालन पोषण करने वाले माता–पिता की 1 महीने के भीतर निःशुल्क चिकित्सा जांच सुनिश्चित जायेगी तथा जिला बाल संरक्षण समिति के साथ रिपोर्ट साझा की जायेगी।
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.बी.एस.के.) की सेवाओं का विस्तार पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम के तहत् लाभान्वित बच्चों को निःशुल्क एवं समय पर उपचार प्रदान करना।
- ए.एन.एम. द्वारा पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम के तहत् लाभान्वित बच्चों की नियमित पोषण जांच करना तथा जांच रिपोर्ट के अनुसार आवश्यक प्रबंध करने हेतु रिपोर्ट जिला बाल संरक्षण समिति के साथ साझा करना।

4.9. गैर–सरकारी संस्थाओं की भूमिका :–

उपायुक्त द्वारा सूचीबद्ध, गैर सरकारी संस्थाओं को जिला बाल संरक्षण इकाई को निम्नानुसार सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है–

- पात्र बच्चों का चयन करना।
- व्यक्तिगत देखरेख योजना, बाल अध्ययन रिपोर्ट एवं गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करना।
- आवश्यतानुसार बच्चे, पालन पोषण करने वाले माता–पिता/उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ता एवं बच्चे के जैविक परिवार के लिए काउंसलिंग (परामर्श) उपलब्ध कराना।
- उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ता का प्रशिक्षण करना।
- सूचना, शिक्षा एवं संचार सामग्री तैयार करना।
- पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम की जागरूकता फैलाना तथा समर्थन करना।
- पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम के तहत् लाभान्वित बच्चे की आवधिक/निरन्तर जांच एवं अनुवर्तन (फॉलोअप) हेतु दौरे (विजिट) करना।

अध्याय 5 : विविध प्रकार

5.1. सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री :–

पालन पोषण करने वाले माता–पिता/उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ता को बच्चें के स्थापन से पहले निम्न विषयों पर सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी) सामग्री प्रदान की जायेगी –

- पालन पोषण करने वाले माता–पिता/उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ता के रूप में चुनौतियां,
- पालन पोषण करने वाले माता–पिता/उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ता के लिए सहयोगी बिंदु
- पालन पोषण करने वाले माता–पिता होने के नाते पुरस्कार,
- पालन पोषण करने वाले माता–पिता होने के सोपान

उक्त दस्तावेजों को इन दिशा–निर्देशों के प्रारूप छ में संलग्न किया गया है। इस सामग्री का उपयोग हैन्डआउड्स, पोस्टर आदि तैयार करने के लिए किया जा सकता है।

5.2. राज्य सरकार द्वारा डाटाबेस संधारित करने में इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप तैयार किया जा सकता है तथा इस संबंध में विस्तृत दिशा दिशा–निर्देश जारी किये जा सकते है।

5.3. दिशा–निर्देशों की व्याख्या एवं छूट :–

इन दिशा–निर्देशों को मौजूदा कानून के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया हैं। इन दिशा–निर्देशों के व्याख्यान हेतु प्रासंगिक कानून को संदर्भित करना है।

5.4. किसी भी अस्पष्टता या विवाद के मामले में, इन दिशा–निर्देशों का व्याख्या करने की शक्ति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार में निहित है।

5.3. दिशा–निर्देशों का संशोधन :–

राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचना/परिपत्रों के माध्यम से दिशा–निर्देशों में यदि आवश्यक हो, संशोधन/दिशा–निर्देशों में अतिरिक्त जुड़ाव किया जा सकता है।

****

67

प्रारूप–7

(किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम–2016)

[नियम 11(3), 13(7); (iv), 13(8)(ii), 19(4), 19(17), 62(6)(vii), 62(6)(x),691(3)]

(वैयक्तिक देखरेख योजना (वै.दे.यो.)

कानून का उल्लंघन करने वाला बालक/देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता रखने वाला बालक

(जो लागू हो सही पर निशान लगाएं)

मामला कार्यकर्ता/बाल कल्याण अधिकारी/परिवीक्षा अधिकारी का नाम .....

वै.दे.यो. तैयार करने की तारीख .....

20..... का मामला/प्रोफाइल संख्या .....

प्र.सू.रि. संख्या .....

धारा के अंतर्गत (अपराध का प्रकार), कानून का उल्लंघन करने वाले बालकों के मामलों में लागू .....

पुलिस स्टेशन का नाम .....

बोर्ड अथवा समिति का पता.....

प्रवेश संख्या (यदि बाल संस्थान में है) .....

प्रवेश की तारीख (यदि बाल संस्थान में है) .....

बालक का ठहरना (प्रवास) (जैसा लागू हो, निशान लगाऐं)

1. अल्पकालिक (6 मास तक)
2. मध्यम कालिक (6 मास से एक वर्ष)
3. दीर्घकालिक (1 वर्ष से अधिक)

क. व्यक्तिगत ब्यौरा (संस्थान में बालक/बालिका की भर्ती पर बच्चा/माता–पिता/दोनों द्वारा उपलब्ध कराया जाए)

1. बालक का नाम .....
2. आयु/जन्म की तारीख .....
3. लिंग : बालक/बालिका .....
4. पिता का नाम .....
5. माता का नाम .....
6. राष्ट्रीयता .....
7. धर्म .....
8. जाति .....
9. बोली जाने वाली भाषा .....
10. शिक्षा का स्तर .....
11. बालक के बचत खाते का ब्यौरा, यदि कोई है, ...
12. बालक की आय तथा सामान (सम्पत्ति) का ब्यौरा, यदि कोई हो .....
13. बालक द्वारा प्राप्त किए गए पुरस्कारों/इनामों का ब्यौरा, यदि कोई हों .....

68

14. केस हिस्ट्री, सामाजिक जांच रिपोर्ट तथा बालक के साथ बातचीत के परिणाम के आधार पर निम्नलिखित संबंधित क्षेत्रों तथा हस्तक्षेपों का ब्योरा :

क्र.सं.	श्रेणी	अपेक्षित क्षेत्र	प्रस्तावित हस्तक्षेप
1.	देखरेख और संरक्षण से बालक की अपेक्षाएं		
2.	स्वास्थ्य और पोषण की जरूरतें		
3.	भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक सहायता जरूरतें		
4.	शैक्षिक एवं प्रशिक्षण जरूरतें		
5.	फुरसत, रचनात्मकता तथा खेल		
6.	आसक्ति तथा अंतर–वैयक्तिक संबंध		
7.	धार्मिक विश्वास		
8.	सभी प्रकार के दुरूपयोग, उपेक्षा तथा दुर्व्यवहार से सुरक्षा के लिए जीवन–कौशल प्रशिक्षण और स्व देखरेख		
9.	आत्मनिर्भर हेतु आजीविका कौशल		
10	अन्य ऐसा कोई महत्वपूर्ण अनुभव जैसे अवैध व्यापार, घरेलू हिंसा, पैतृक–उपेक्षा, स्कूल में भयभीत होना आदि जिसने बालक के विकास पर प्रभाव डाला हो (कृपया निर्दिष्ट करें)।		

ख. बालक की प्रगति रिपोर्ट (पहले 3 मास के लिए प्रत्येक पाक्षिक (15 दिन) में तैयार की जाए तत्पश्चात प्रत्येक माह तैयार की जाए)

(टिप्पणी : प्रगति रिपोर्ट के लिए अलग–अलग शीट का प्रयोग करें)

1. परिवीक्षा अधिकारी / मामला कार्यकर्ता / बाल कल्याण अधिकारी का नाम .....
2. रिपोर्ट की अवधि : दिनांक ..... से दिनांक .....तक
3. प्रवेश संख्या .....
4. बोर्ड अथवा समिति .....
5. प्रोफाइल संख्या .....
6. बालक का नाम .....
7. बालक के रहने की अवधि (जैसा प्रयोज्य हो, भरे)
   - (i) अल्पकालिक (6 मास तक) ☐
   - (ii) मध्यम कालिक (6 मास से एक वर्ष) ☐
   - (iii) दीर्घकालिक (1 वर्ष से अधिक) ☐
8. साक्षात्कार स्थान ..... दिनांक .....

69

9. रिपोर्ट की अवधि के दौरान बालक का सामान्य आचरण तथा प्रगति

10. इस प्रारूप के भाग–क के बिंदु 15 में उल्लेखित प्रस्तावित हस्तक्षेपों के संबंध में की गई प्रगति।

क्र. सं.	श्रेणी	प्रस्तावित हस्तक्षेप	बालक की प्रगति
1.	देखरेख और संरक्षण से बालक की अपेक्षाएं		
2.	स्वास्थ्य और पोषण की जरूरतें		
3.	भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक सहायता की जरूरतें		
4.	शैक्षिक एवं प्रशिक्षण की जरूरतें		
5.	फुरसत, रचनात्मकता तथा खेल		
6.	आसक्ति तथा अंतर–वैयक्तिक संबंध		
7.	धार्मिक विश्वास		
8.	सभी प्रकार के दुरूपयोग, उपेक्षा तथा दुर्व्यवहार से सुरक्षा के लिए जीवन–कौशल प्रशिक्षण और स्व देखरेख		
9.	आत्मनिर्भरता हेतु आजीविका कौशल		
10	अन्य ऐसा कोई महत्वपूर्ण अनुभव जैसे अवैध व्यापार, घरेलू हिंसा, पैतृक–उपेक्षा, स्कूल में भयभीत होना आदि जिसने बालक के विकास पर प्रभाव डाला हो (कृपया निर्दिष्ट करें)।		

11. समिति या बोर्ड अथवा बाल न्यायालय के समक्ष कोई कार्यवाही।

(i) बंध–पत्र की शर्तों में फेर बदल

(ii) बालक के निवास में परिवर्तन

(iii) अन्य मामले, यदि कोई है

12. पर्यवेक्षण पूर्ण होने की अवधि .....

पर्यवेक्षण का परिणाम, टिप्पणी सहित .....

.....

माता–पिता अथवा संरक्षक अथवा उपयुक्त व्यक्ति का नाम और पता जिनकी देखभाल में बच्चे को पर्यवेक्षण के समाप्त होने के बाद रहना है।

नाम : .....

पता : .....

रिपोर्ट की तारीख ..... परिवीक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर .....

ग. समयपूर्व निर्मुक्त होने की रिपोर्ट (निर्मुक्त होने से 15 दिन पूर्व तैयार की जाए)

70

स्थान्तरित स्थान के ब्यौरे तथा स्थानान्तरण के स्थान से निर्मुक्त करने में उत्तरदायी संबंधित प्राधिकारी .....

विभिन्न संस्थाओं/परिवार में बालक के स्थापन के ब्यौरे, ...

लिए गए प्रशिक्षण तथा अर्जित कौशल .....

बालक की अंतिम प्रगति रिपोर्ट (संलग्न की जाए, कृपया भाग–ख देखें) .....

.....

.....

.....

.....

बालक की पुनर्वास तथा पुनः स्थापन की योजना (बालक की प्रगति रिपोर्टों के संदर्भ में तैयार की जाए)

क्र. सं.	श्रेणी	बालक के पुनर्वास तथा प्रत्यावर्तन की योजना
1.	देखरेख तथा संरक्षण से बालक की अपेक्षा	
2.	स्वास्थ्य तथा पोषण की जरूरतें	
3.	भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक सहायता की जरूरतें	
4.	शैक्षिक तथा प्रशिक्षण जरूरतें	
5.	फुरसत, सृजनात्मक तथा खेल	
6.	आसक्ति तथा अंतर–वैयक्तिक संबंध	
7.	धार्मिक विश्वास	
8.	सभी प्रकार के दुरूपयोग, उपेक्षा तथा दुर्व्यवहार से सुरक्षा के लिए जीवन--कौशल प्रशिक्षण और स्वः देखरेख	
9.	आत्मनिर्भर आजीविका कौशल	
10	अन्य कोई	

1. निर्मुक्त होने/स्थानान्तरण/से प्रायोजन की तारीख .....
2. अनुरक्षकों की मांग,यदि अपेक्षित हो .....
3. अनुरक्षक की पहचान का प्रमाण – जैसे ड्राईविंग लाइसेंस, आधार कार्ड .....
4. संभव नियोजन/प्रयोज्यता सहित अनुशंसित पुनर्वास योजना .....
5. रिहाई–पश्चात अनुवर्ती कार्रवाई के लिए परिवीक्षा अधिकारी/गैर–सरकारी संगठन के ब्यौरे .....
6. रिहाई–पश्चात अनुवर्ती कार्रवाई के लिए पहचाने गए गैर--सरकारी संगठन के साथ समझौता ज्ञापन (एक प्रति लगाए) .....
7. प्रायोजकता अभिकरण/वैयक्तिक प्रायोजक के ब्यौरे, यदि कोई हो .....

71

8. प्रायोजकता अभिकरण तथा व्यक्तिगत प्रायोजक के बीच समझौता (एक प्रति लगाएं) ....
9. निर्मुक्ति से पूर्व चिकित्सा जांच रिपोर्ट .....
10. अन्य कोई जानकारी .....

घ. बालक की निर्मुक्ति पश्च / पुनः स्थापना रिपोर्ट

1. बैंक खाते की स्थिति : बंद / अंतरित
2. बालक की आय तथा सम्पत्ति : बालक को अथवा उसके माता–पिता / संरक्षक को सौंपी गई– ..... हां / नहीं
3. परिवीक्षा अधिकारी बालक की रिहाई–पश्चात अनुवर्ती कार्रवाई के लिए पहचाने गए बाल कल्याण अधिकारी / मामला कार्यकर्ता / सामाजिक कार्यकर्ता / गैर–सरकारी संगठन की प्रथम बातचीत की रिपोर्ट .....
4. पुनर्वास तथा पुनःस्थापना योजना के संदर्भ में की गई प्रगति .....
5. बालक के प्रति परिवार का व्यवहार / अभिवृत्ति .....
6. बालक का सामाजिक वातावरण, विशेष रूप से पड़ौसियों / समाज का रूख .....
7. बालक द्वारा अर्जित कौशल का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है .....
.....
8. क्या बालक को एक विद्यालय अथवा किसी व्यवसाय में प्रवेश दिलाया गया है?
विद्यालय / संस्थान / अन्य किसी अभिकरण का नाम तथा दिनांक लिखें ..... हां. नहीं
9. क्रमशः दो मास तथा छह मास के बाद बालक के साथ बातचीत पर दूसरी तथा तीसरी अनुवर्ती कार्रवाई की रिपोर्ट .....
10. सामाजिक मुख्य धारा के प्रति प्रयास / इसके बारे में बच्चे की राय / विचार .....
11. पहचान पत्र तथा प्रतिकर

(अनुदेश : कृपया वास्तविक दस्तावेजों के साथ सत्यान करें)

पहचान पत्र	वर्तमान स्थिति (कृपया जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाएं)		की गई कार्रवाई
	हां	नहीं	
जन्म प्रमाण पत्र			
स्कूल प्रमाण पत्र			
जाति प्रमाण पत्र			
बी.पी.एल. कार्ड			
विकलांगता का प्रमाण पत्र			
टीकाकरण कार्ड			
राशन कार्ड			
आधार कार्ड			
सरकार से प्राप्त हुआ प्रतिकर			

72

परिवीक्षा अधिकारी / बाल कल्याण अधिकारी / मामला कार्यकर्ता के हस्ताक्षर –
मुहर तथा सील जहां उपलब्ध हो

73

प्रारूप–31

[नियम–23(4)]

बाल अध्ययन रिपोर्ट

(किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम–2016)

बाल अध्ययन रिपोर्ट			
क्र.स.	मद	प्रत्युत्तर / प्रतिक्रिया	
1	मूल्यांकन की तारीख		
2	निर्दिष्ट करने का स्त्रोत		
3	बालक का नवीनतम फोटोग्राफ, जिसे समय समय पर अद्यतन (अपडेट) किया जाएगा		बालक का नवीनतम फोटोग्राफ
बालक का ब्यौरा			
4	बालक का नाम		
5	जन्मतिथि		
6	जन्म का स्थान		
7	आयु		
8	राष्ट्रीयता		
9	धर्म		
10	शिक्षा		
11	मातृभाषा		
12	वर्तमान पता		
13	आधार कार्ड संख्या		
14	संपर्क ब्यौरा (क) लैंड लाइन (ख) मोबाइल		
15	स्थापन विवरण यदि बालक संस्था से है क) स्थापन की तारीख ख) बालक का नाम एवं स्थायी विवरण ग) परिवार को छोड़ने का कारण	बालक का दत्तक ग्रहण नहीं किया गया है	

14

16	स्थापन का कारण यदि बाल संस्थान से है	माता अथवा माता–पिता दोनों कारागार में है	☐
		माता–पिता लम्बी बीमारी से पीडित है	☐
		बिखरा हुआ परिवार (अर्थात मादक पदार्थो का सेवन, घरेलू हिंसा दुरूपयोग आदि)	☐
		माता–पिता अलग होने की प्रक्रिया में है	☐
		माता–पिता कानूनी अभिरक्षा के विवाद की प्रक्रिया में है	☐
		प्राकृतिक आपदा	☐
		अन्य	☐

मैं. ..... सामाजिक कार्यकर्ता प्रमाणित करता हूं कि इस प्रारूप में बालक ..... के बारे में दी गई सूचना सही है।

हस्ताक्षर

स्थान : .....

तारीख : .....

नाम : .....

पदनाम: .....

75

प्रारूप–क

(झारखण्ड पालन पोषण देखरेख दिशा–निर्देश, 2018)

आवेदन पत्र

जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा दिये गए विज्ञापन के विरूद्ध पालन पोषण देखरेख करने वाले परिवार अथवा इकाई द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आवेदन पत्र।

फोटो पालन पोषण करने वाले अभिभावक–1	फोटो पालन पोषण करने वाले अभिभावक–2

अ) जिला बाल संरक्षण इकाई का विवरणः–

जिला बाल संरक्षण इकाई का नाम : .....

पता : .....

टेलीफोन : .....

फैक्स् : .....

ई–मेल : .....

आवेदन जमा करने का दिनांक : .....

ब) आवेदक का विवरणः–

	पालन पोषण करने वाले अभिभावक–1	पालन पोषण करने वाले अभिभावक–2
नाम		
जन्म तिथि		
आयु		
शैक्षिक स्थिति		
वैवाहिक स्थिति		
राष्ट्रीयता		
धर्म		
आधार नंबर		
व्यवसाय		
पता		
संम्पर्क नंबर		
जैविक बच्चों की संख्या		
वार्षिक आय		
मातृ भाषा		
अन्य भाषाओं की जानकारी		

76

स) बच्चे को पालन पोषण देखभाल में लेने की प्राथमिकता :

क) आयु वर्ग

(i) 6–9 वर्ष (ii) 10–12 वर्ष (iii) 13–18 वर्ष

ख) अन्य कोई प्राथमिकता

(i) लिंग (ii) धर्म (iii) विकलांगता

ग) देखभाल का प्रकार

(i) अल्पावधि ☐ (ii) दीर्घावधि ☐

द) देखभाल करने की इच्छा रखने का कारण .....

.....

य़) बच्चों के पालन पोषण देखभाल के लिए जैविक बच्चों सहित परिवार के सभी सदस्य सहमत है।

हॉ ☐ नहीं ☐

ऱ) हम सरकार/अभिकरण द्वारा आयोजित सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सहमत है।

हॉ ☐ नहीं ☐

ल) हम बाल संरक्षण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता को हमारे घर में निगरानी दौरे में सहयोग करने और बैठकों में हमारे परिवार के सभी सदस्य उपलब्ध रहेगें आदि के लिए सहमत है।

हॉ ☐ नहीं ☐

दोनो दम्पतियों के द्वारा घोषणाः

हम ..... और ..... घोषणा करते है कि हमारे द्वारा इस आवेदन पत्र में दिया गया विवरण, हमारे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही है। अगर कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो हमारे आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाये।

दिनांक :

स्थान :

दोनो दम्पतियों के नामः

एवं दोनों के हस्ताक्षर :

77

प्रारूप–38

(किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम–2016)

[नियम–27(2)]

सामूहिक पालन पोषण देखरेख के लिए उपयुक्त सुविधा हेतु आवेदन

1.	उपयुक्त सुविधा के लिए संस्था/एजेन्सी/संगठन का ब्यौरा जो मान्यता लेना चाहते है	
1.क	संस्था/अभिकरण/संगठन का नाम	
1.ख	प्रासंगिक अधिनियम के अंतर्गत संस्था/संगठन की पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की तारीख (पंजीकरण के प्रासंगिक दस्तावेज, उपनियम, संघ का ज्ञापन संलग्न करें)	
1.ग	आवेदन/संस्था/संगठन का पूरा पता	
1.घ	एसटीडी कोड/टेलीफोन नम्बर	
1.ड.	एसटीडी कोड/फैक्स नम्बर	
1.च	ई–मेल का पता	
1.छ	क्या संगठन अखिल भारतीय स्तर का है, यदि हां तो अन्य राज्यों में अपनी शाखाओं के पते दें	
1.ज	क्या संगठन को पहले मान्यता से अस्वीकृत किया गया था? यदि हां I. आवेदन संदर्भ संख्या जिसे मान्यता से अस्वीकृत किया था II. अस्वीकृति की तारीख III. किसने मान्यता अस्वीकृत की थी IV. मान्यता अस्वीकृत करने के कारण	
2.	**प्रस्तावित उपयुक्त सुविधा का ब्यौरा :**	
2.क	प्रस्तावित उपयुक्त सुविधा का पूरा पता/स्थान	
2.ख	एसटीडी कोड/टेलीफोन नम्बर	
2.ग	एसटीडी कोड/फैक्स नम्बर	
2.घ	ई–मेल	
3.	**संपर्क (नाम और प्रस्तावित उपयुक्त सुविधा से दूरी):**	
3.क	मुख्य सड़क	
3.ख	बस–स्टैण्ड	
3.ग	रेलवे स्टेशन	

3.घ	कोई अन्य लेण्डमार्क	
4.	अवसंरचनाः	
4.क	कमरों की संख्या (माप के साथ उल्लेख करें)	
4.ख	शौचालयों की संख्या (माप के साथ उल्लेख करें)	
4.ग	रसोई घरों की संख्या (माप के साथ उल्लेख करें)	
4.घ	रोगी उपचार कक्षों की संख्या	
4.ड.	भवन के ब्लू प्रिंट की प्रति संलग्न करें (भवन का प्रामाणिक नक्शा)	
4.च	अप्रत्याशित आपदाओं से निपटने के लिए व्यवस्था, व्यवस्था के प्रकार का भी उल्लेख किया जाए : I. आग II. भूकंप III. कोई अन्य व्यवस्था	
4.छ	पेयजल की व्यवस्था जन – स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई) विभाग का प्रमाण पत्र संलग्न करें	
4.ज	साफ–सफाई एवं स्वच्छता बनाए रखने के लिए व्यवस्था : I. कीट नियंत्रण II. कचरा निस्तारण III. भण्डारण क्षेत्र IV. कोई अन्य व्यवस्था	
4.झ	किराया करारनामा/भवन अनुरक्षण (जो भी लागू हो) (किराया करारनामा की प्रति संलग्न करें)	
5.	**उपयुक्त सुविधा की क्षमता**	
6.	**उपलब्ध सुविधाएं (उस प्रयोजन पर निर्भर करेंगी जिसके लिए उपयुक्त सुविधा के रूप में मान्यता दी जानी है)**	
6.ग	कोई अन्य सुविधा जो बालक के समग्र विकास पर प्रभाव डालेगी	
7.	**कर्मचारी**	
7.क	कर्मचारियों की विस्तृत सूची	
7.ख	भागीदार संगठन का नाम	

79

8.	आवेदक की पृष्ठभूमि :	
8.क	पिछले दो वर्षों के दौरान संगठन के महत्वपूर्ण कार्यकलाप	
8.ख	संलग्न प्रारुप में प्रबंधन समिति/शासी निकाय के सदस्यों की अद्यतन की सूची (वार्षिक बैठक का संकल्प संलग्न करें)	
8.ग	संगठन की परिसंपत्तियों/अवसंरचना की सूची	
8.घ	यदि संगठन विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत पंजीकृत है (पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
8.ड.	पिछले दो वर्षों के दौरान प्राप्त विदेशी अंशदान का ब्यौरा (संगत दस्तावेज संलग्न करें)	
8.च	अनुदान प्राप्ती के अन्य स्त्रोतः की सूची जिसमें योजना/परियोजना का नाम, उद्देश्य एवं राशि का ब्यौरा (यदि कोई हो)	
8.छ	संस्थान के मौजूदा बैंक खाते का ब्यौरा जिसमें बैंक खाता संख्या एवं शाखा कोड सहित विवरण हो	
8.ज	क्या संस्थान प्रस्तावित अनुदान के लिए अलग से बैंक खाता खोलने के लिए सहमत है	
8.झ	पिछले तीन वर्षों के लेखों की फोटोप्रति संलग्न करें : I. लेखा परीक्षा रिपोर्ट II. आय एवं व्यय विवरण III. प्राप्ति एवं भुगतान विवरण IV. संस्थान का तुलन पत्र	

मैंने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 पढ़ लिए हैं और समझ लिए हैं।

..... (संगठन/संस्थान का नाम) ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 के अंतर्गत उपयुक्त सुविधा के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए सभी अपेक्षाओं को पूरा कर लिया है।

80

मैं घोषणा करता/करती हूं कि संगठन से संबद्ध कोई भी व्यक्ति पहले दोषसिद्ध नहीं किया गया है अथवा बाल दुर्व्यवहार के किसी कार्य में अथवा बाल श्रमिकों के नियोजन में अथवा नैतिक चरित्रहीनता से जुड़े किसी अपराध में संलिप्त नहीं रहा है, संस्थान को कभी भी केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।

मैं केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी अधिनियम, नियम, दिशानिर्देशों, अधिसूचनाओं और निर्धारित सभी शर्तों का अनुपालन करने का वचन देता हूं।

मैं समय–समय पर किशोर न्याय बोर्ड अथवा बाल कल्याण समिति द्वारा पारित किए गए आदेशों का अनुपालन करने का वचन देता हूं।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर : .....

नाम :

पदनाम :

पता :

जिला :

दिनांक :

कार्यालय मुहर :

हस्ताक्षर :

गवाह नं. 1: .....

गवाह नं. 2: .....

81

प्रारूप–ख

(झारखण्ड पालन पोषण देखरेख दिशा–निर्देश, 2018)

पालन पोषण देखरेख के आंकलन हेतु प्रारूप

1. आवेदक का विवरण :
   नाम : ..... आयु: ..... व्यवसायः .....
   पता : .....
2. बालक/बालकों का आयु वर्ग, जिन्हे पालन पोषण देखरेख में लेने के लिए अनुरोध किया है। (कृपया, बालक के आयु वर्ग पर √ का निशान लगायें)
   - 6–8 वर्ष ☐
   - 8–10 वर्ष ☐
   - 11–12 वर्ष ☐
   - 12–14 वर्ष ☐
   - 14–16 वर्ष ☐
   - 16–18 वर्ष ☐
3. परिवार, पड़ौसी एवं समुदाय का विवरण :–
4. आवेदक की पहचान का सत्यापन (निवास स्थान, रहने की अवधि, वैवाहिक स्थिति इत्यादि के विशिष्ट दस्तावेजों को दिनांक सहित देखें)
5. पुलिस रिकार्ड, व्यवसाय एवं स्वास्थ्य की जॉच करना।
6. व्यक्तिगत संदर्भ (दोनो व्यक्तियों का) कितने समय से पहचानते है, आवेदकों के साथ कितने समय से रिश्ता/संबंध है, उनकी रूचि, प्रतिभा, आवेदकों का व्यक्तित्व, बालक(कों) की देखभाल करने के लिए उनकी क्षमता इत्यादि के संदर्भ के साथ बातचीत करना।
7. मूल्यांकन करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता का आंकलन

सामाजिक कार्यकर्ता के हस्ताक्षर

87

प्रारूप–30

(किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम–2016)

[नियम–23(9)]

भावी पालन पोषण करने वाले माता–पिता के घर की अध्ययन रिपोर्ट

पंजीकरण की तारीख : .....

आधार कार्ड संख्या : .....

सामाजिक कार्यकर्ता का नाम : .....

घर के दौरे की तारीख : .....

संभावित माता–पिता द्वारा प्रारूप का भाग–1 भरा जाएगा। भाग–II का शेष भाग सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा भावी दत्तक/पालन पोषण करने वाले माता–पिता की उपयुक्तता के बारे में अपनी टिप्पणियों के साथ मूल्यांकन रिपोर्ट करने के लिए भरा जाएगा।

भाग–1 स्वः मूल्यांकन

क. भावी पालन पोषण करने वाले माता–पिता और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारें में सूचना

पालन पोषण करने वाले माता–पिता का विवरणः	
पूरा नाम	
जन्म–तिथि और आयु	
जन्म स्थान	
पूरा पता ई–मेल आईडी सहित (वर्तमान एवं स्थाई पता)	
पहचान पत्र/साक्ष्य	
धर्म	
भाषा/एं	
विवाह की तारीख	
वर्तमान नियोक्ता/व्यवसायिक प्रतिष्ठान का नाम एवं पता	
वार्षिक आय	
स्वास्थ्य की स्थिति	

P/ 83

ख. पारिवारिक पृष्ठभूमि संबंधी सूचना

(1) निम्नलिखित सूचनाओं के साथ भावी पालन पोषण करने वाले माता–पिता की हैसियत और पृष्ठभूमि का संक्षिप्त विवरण दें :

आवदेक / कों के माता–पिता के बारे में ब्यौराः		
पूरा नाम	पिता	माता
आयु		
राष्ट्रीयता / नागरिकता		
व्यवसाय		
पूर्ण व्यवसाय		
वर्तमान निवास		

(2) कृपया अपने संबंधित प्रत्येक / सभी बच्चों (जैविक / दत्तक) के नाम सहित उनके लिंग, शैक्षणिक स्थिति (के.जी. प्रारम्भिक, इत्यादि) और जन्म–तिथि का ब्यौरा देकर निम्नलिखित तालिका को पूरा भरें :

बच्चे का नाम	लिंग	जन्म–तिथि	शैक्षणिक स्थिति

(3) यदि अन्य सदस्य भी रह रहे हों तो उसके संबंध में निम्नलिखित सूचना प्रस्तुतं करें :

नाम	संबंध का प्रकार	आयु	लिंग	व्यवसाय

(4) कृपया वर्णन करें कि पालन पोषण देखरेख करने वाले परिवार के अन्य सदस्यों (दादा–दादी, बच्चों, रिश्तेदारों और अन्य लोगों) को कैसे प्रभावित करेगा :

ग. व्यवसाय / रोजगार (पिछले 05 वर्ष की व्यवसायिक जीविका) का ब्यौरा :

84

पालन पोषण करने वाले पिता			
सगंठन	नियोक्ता का ब्यौरा नाम एवं पता	कार्यरत पद	कब से कब तक
पालन पोषण करने वाली माता			
सगंठन	नियोक्ता का ब्यौरा नाम एवं पता	कार्यरत पद	कब से कब तक

घ. **वित्तीय स्थिति** : (अपने सभी स्त्रोतों से आय जैसे बचत, निवेश, खर्च और अन्य देयताओं और ऋण आदि के सहायक दस्तावेजों सहित संक्षेप में विवरण दें) : .....

.....

ड़ **घर और आस पड़ोस का विवरण (आवास का ब्यौरा और पड़ौसियों से संबंध)**

(1) आपके घर में कितने कमरे है और बच्चे के खेलने का स्थान की उपलब्धता बताएं

.....

(2) कृपया उस पड़ोस का उल्लेख करें जहां आप रहते हैं और उस पहलू को भी शामिल करें, जिसे आप बच्चे के लिए उपयोगी मानते हों.

.....

च. **पालक माता–पिता का देखरेख के लिए व्यवहार और प्रेरणा** :

(1) कृपया उन विकल्पों पर घेरा लगाएं जिन्हें आप उस दृष्टि से सर्वोत्तम मानते हों कि जिस वजह से पालन पोषण देखभाल करना चाहते हैः यदि लागू हो तो एक से अधिक विकल्पों पर घेरा लगा सकते है :

क) अपने अन्य बच्चों के लिए साथी उपलब्ध कराना;

ख) बच्चे को खुशहाल घर प्रदान करना;

ग) अन्य, कृपया उल्लेख करें .....

(2) कृपया उस कथन पर घेरा लगाएं जिसे आप उस दृष्टि से सर्वोत्तम मानते हों कि पालन पोषण देखभाल व्यवस्था से आपके अन्य बच्चों के जीवन में सुधार आएगा, यदि लागू हो तो एक से अधिक विकल्पों पर घेरा लगा सकते है :

P/85

क) वे कम अकेलापन महसूस करेगें ;

ख) वे अधिक उदार बन सकेंगे ;

ग) वे अधिक संवेदनशील बनेगें ;

घ) लागू नहीं होता, क्योकि मेरी कोई अन्य संतान नहीं है ;

ड़) अन्य, कृपया स्पष्ट करें ; .....

छ. **पालन पोषण देखभाल के प्रति दादा–दादी/परिवार के अन्य सदस्यों रिश्तेदारों एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों** का व्यवहार (पालन पोषण के प्रति अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की उस राय का वर्णन करें जो बच्चे के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हों : .....

ज. **बच्चों के लिए भावी पालन पोषण करने वाले माता–पिता की भावी योजना और परिवार में पालन पोषण करना :**

(1) कृपया उल्लेख करें कि बच्चे की देखभाल और जीवन की अन्य प्रतिबद्धताओं जैसे काम–काज आदि की व्यवस्था कैसे करेगें।

(2) जब जब आप कार्य पर हों या परिवार के कार्य से घर से बाहर हों तो बच्चे के देखभाल की जिम्मेदारी कौन लेगा. (घरेलू सहायक, दादा–दादी पति/पत्नी)

(3) कृपया पिता के रूप में स्वः अनुशासनिक दृष्टिकोण का वर्णन करें.

(4) अगर पोषित बालक को परिवार में तालमेल बैठाने में परेशानी होती है तो परिवार में उस बदलाव को आसान बनाने के लिए किए जाने वाले उपायों का उल्लेख करें.

(5) अगर बच्चे को तालमेल बैठाने में परेशानी बनी रहती है तो क्या आप परिवार के साथ विचार विमर्श करने के लिए तैयार है :

क) हां ख) नहीं

(6) क्या आप पालन पोषण प्राप्त करने वाले बालक के उच्चतर व्यावसायिक अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता हेतु तैयार है?

क) हां ख) नहीं

झ. **तैयारी और प्रशिक्षण** (विचार–विनिमय के उन सत्रों का ब्यौरा दें जो पालन पोषण देखभाल, बालक देखभाल, बच्चे की जरूरतों का इंतजाम करने आदि और उनकी क्षमता, ट्रेनिंग अथवा उनकी विशेष जरूरतों, यदि कोई हों, सहित भावी पालन पोषण करने वाले माता–पिता द्वारा प्रशिक्षण लिया गया है:–

86

.....

ञ. स्वास्थ्य स्थिति (मानसिक/भावात्मक और शारीरिक) :– कृपया आवेदक/कों, यदि कोई हो, की मानसिक और शारीरिक स्थिति का विवरण दें कि अगर परिवार के किसी सदस्य को विशेष बीमारी, परिस्थिति या अनेक रोगों से ग्रस्त हो तो इस बात का उल्लेख करें कि परिवार किस प्रकार से उसका सामना करता है और यह प्रस्तावित पालन पोषण देखभाल को कैसे प्रभावित करेगा:–

(1) क्या आप या /आपके पति /आपकी पत्नी किसी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त रहे है? यदि हां, तो ब्यौरा दें।

(2) क्या आप या/आपके पति/आपकी पत्नी इस समय मनोविज्ञानी/मनश्चिकित्सक द्वारा उपचार करा रहे है।

(3) क्या आप इस समय निर्धारित दवा ले रहे है।

(4) क्या इस समय आपके घर में किसी बच्चे की बीमारी का इलाज चल रहा है।

(5) क्या आपके परिवार में सभी सदस्यों का स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का बीमा है।

भावी पालन पोषण देखरेख करने वाले माता–
पिता के हस्ताक्षर

दिनांक :

87

भाग–II सामाजिक कार्यकर्ता की मूल्यांकन रिपोर्ट

(मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता का उपयोग किया जाए)

(एजेन्सी / प्राधिकरण द्वारा इस फोर्म में वर्णित तथ्यों को गोपनीय रखा जाएगा)

1. तथ्यात्मक मूल्यांकन
   1. क्या आपने इस फार्म के भाग–1 के में वर्णित तथ्यों / विषयवस्तु की जांच कर ली है? हां / नहीं
   2. क्या आप प्रलेखों में वर्णित तथ्यों के बारें में और दौरे व साक्षात्कार के समय तथ्यों / टिप्पणियों से संतुष्ट है? हां / नहीं
2. मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन :
   2.1 संभावित पालक माता–पिता से विचार–विमर्श
      (i) क्या आपने पालन पोषण करने वाले भावी माता–पिता से अलग–अलग और संयुक्त रूप से विचार–विमर्श किया?

      (ii) क्या पालन पोषण करने वाले भावी माता–पिता बच्चे का पालन पोषण करने के लिए भली भांति तैयार है?

   2.2 घर के दौरे के निष्कर्ष:
      (i) पालन पोषण करने वाले भावी माता–पिता के घर का आपने दौरा कब किया था? और आपके दौरे के समय कौन–कौन सदस्य उपस्थित थे?

      (ii) घर के दौरान आपने किस–किस से विचार–विमर्श किया था।

      (iii) क्या आपने किसी पड़ौसी / रिश्तेदार से मुलाकात की? विचार–विमर्श के बारें में विस्तृत विवरण दें।

      (iv) क्या बच्चे के लिए घर का वातावरण प्रेरणात्मक है?

      (v) क्या पालन पोषण करने वाले भावी माता–पिता, पालन पोषण करने के लिए भली–भांति तैयार है?

      (vi) क्या पालन पोषण करने वाले भावी माता–पिता को बच्चे को गोद लेने या किसी अन्य मुद्दे के बारें में कोई संदेह है? क्या आपने उनके संदेहों का निवारण कर दिया है?

2.3 पारिवारिक सदस्यों से विचार–विमर्श

(i) क्या आपने पालन पोषण करने वाले भावी माता–पिता के परिवार के अन्य सदस्यों से विचार–विमर्श किया है? उनकी प्रस्तावित पालक देखरेख के बारें में क्या राय है? क्या वे पालक देखभाल व्यवस्था के बारें में सकारात्मक है?

(ii) क्या परिवार में कोई अन्य सदस्य है जिनसे आप बातचीत नहीं कर सके और वह प्रस्तावित पालन पोषण में बहुत बेहतर भूमिका निभा सकते है। यदि ऐसा है तो आपकी बातचीत कैसी रही? क्या उनके विचार आप अपनी योजना में लेना चाहेंगें ?

(iii) क्या आपने घर में उपस्थित बड़े बच्चों के साथ भावी पालन पोषण करने वाले माता–पिता के बारें में बातचीत की है? यदि हां तो उसका विवरण दें।

(iv) क्या आपने परिवार के सदस्यों में विपरीत टिप्पणियां तो नहीं सुनी? यदि हां तो पालन पोषण की प्रक्रिया में उनका कितना प्रभाव पड़ सकता है?

2.4 वित्तीय क्षमता

(i) पालन पोषण करने वाले भावी माता–पिता की वित्तीय स्थिति के बारे में आपके क्या विचार है? क्या वे वित्तीय दृष्टि से अन्य सदस्य को अपने परिवार में शामिल करने में सक्षम है?

(ii) क्या आपने इस अवस्था में कोई संदेहास्पद वित्तीय स्थिति पाई?

(iii) क्या आप उनके लिए किसी वित्तीय सहायता की सिफारिश करते है?

2.5 शारीरिक एवं भावनात्मक क्षमता

(i) क्या पालन पोषण करने वाले भावी माता–पिता, बच्चे की देखभाल करने में शारीरिक एवं भावात्मक दृष्टि से सक्षम है?

(ii) क्या पालन पोषण करने वाले भावी माता–पिता या परिवार के किसी अन्य सदस्य में शारीरिक या मानसिक तौर पर कोई ऐसी स्थिति देखी गई है जो आने वाले बच्चे पर कोई बुरा प्रभाव पड़ने वाला हो? यदि हां तो उसका विवरण दें।

(iii) क्या पालन पोषण करने वाले भावी माता–पिता, बालक की देखरेख करने में भावनात्मक दृष्टिकोण से पूरी तरह तैयार है?

89

3. पालन–पोषण के लिए अनुशंसा

3.1 क्या देखभाल करने के लिए आप पालन पोषण करने वाले भावी माता–पिता के लिए अनुशंसा करते है। पालन पोषण करने वाले माता–पिता के लिए अनुशंसा संबंधी अपने विचार और तर्क का उल्लेख करें।

3.2 यदि आप, देखभाल करने के लिए पालन पोषण करने वाले भावी माता–पिता के लिए अनुशंसा नहीं करते हैं तो इस निष्कर्ष/निर्णय का उचित कारण बताएं।

हस्ताक्षर,
नाम, पदनाम,
कार्यालय मुहर

प्रारूप–32

(किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम–2016)

{नियम–23(15)}

परिवार में पालन पोषण संबंधी देखभाल अथवा सामूहिक पालन पोषण संबंधी देखभाल स्थापन का आदेश

बच्चे/बच्चों का नाम ..... पुत्र/पुत्री श्री .....
और श्रीमती ..... (नाम एवं पता) .....
आयु लगभग ..... है, को किसी परिवार में देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है।

श्री ..... तथा श्रीमती ..... निवासी (पूरा पता एवं संपर्क नम्बर) ..... को वैयक्तिक देखरेख योजना, बाल अध्ययन रिपोर्ट और गृह अध्ययन रिपोर्ट पर विचार करने के बाद पालन पोषण संबंधी देखभाल स्थापन के लिए उपयुक्त व्यक्ति घोषित किया जाता है।

अथवा

बाल देखरेख संस्था (नाम एवं पता) ..... को वैयक्तिक देखरेख योजना और संस्थागत देखरेख योजना के लिए वैयक्तिक देखरेख योजना, बाल अध्ययन रिपोर्ट और गृह अध्ययन रिपोर्ट पर विचार करने के बाद पालन – पोषण संबंधी देखभाल स्थापन के लिए उपयुक्त संस्थान घोषित किया जाता है।

बच्चे का (नाम) ..... को उक्त बाल कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता (नाम तथा संपर्क नम्बर) ..... के पर्यवेक्षण में ..... अवधि के लिए पालन पोषण देखभाल में स्थापन किया जाता है।

अध्यक्ष/सदस्य
बाल कल्याण समिति

प्रारूप–33

(किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम–2016)

{नियम–23(16)}

पालन पोषण करने वाले परिवार/सामूहिक पालन पोषण देखरेख करने वाले संगठन द्वारा

वचनबंध

मैं/हम ..... निवासी, मकान नं. ..... गली ..... गांव/शहर ..... जिला ..... राज्य ...../पालन पोषण देखभाल करने वाले संबंधित संगठन (पता) ..... द्वारा पर चलाए जा रहे पालन पोषण देखरेख गृह से संबद्ध देखरेख प्रदाता एतदद्वारा घोषित करता/करती हूँ/करते हैं कि मैं/हम निम्नलिखित प्रबंधन एवं शर्तों के अधीन बाल कल्याण समिति ..... के आदेशों के अनुसार (बच्चे का नाम) .... आयु ..... की देखरेख का दायित्व संभालने का/की इच्छुक हूँ/के इच्छुक हैं :

i. यदि बालक का आचरण असंतोषजनक हुआ तो मैं/हम तत्काल समिति को सूचित करूंगा/करूंगी/करेंगे।

ii. जब तक यह बालक मेरी/हमारी देखरेख में रहेगा तब तक मैं/हम उसके शिक्षा एवं कल्याण के लिए यथासंभव प्रयास करूंगा/करूंगी/करेंगे और उसके समुचित देखरेख की व्यवस्था करूंगा/करूंगी/करेंगे।

iii. बच्चे के बीमार होने पर उसका निकटवर्ती अस्पताल में समुचित उपचार कराया जाएगा और समिति के समक्ष इसकी रिपोर्ट और उसके स्वस्थ होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

iv. मैं/हम स्थापन पते में कोई परिवर्तन के बारे में समिति को सूचित करूंगा/करूंगी/करेंगे।

v. मैं/हम यह सुनिश्चित करने का यथासंभव प्रयास करूंगा/करूंगी/करेंगे कि बालक के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं हो।

vi. मैं/हम समिति द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करने के लिए सहमति देता/देती हूँ/देते हैं।

vii. मैं/हम जब कभी आवश्यक होगा बालक को समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का वचन देता/देती हूँ/देते हैं।

viii. मैं/हम बालक के मेरे प्रभार अथवा नियंत्रण से बाहर जाने पर समिति को तत्काल सूचित करने का वचन देता/देती हूँ/देते हैं।

तारीख ..... माह .....

आवेदक (कों) के हस्ताक्षर

दो गवाहों के हस्ताक्षर और पता

1. .....
2. .....

(मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए)

अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति

92

प्रारूप–ग–1

(झारखण्ड पालन पोषण देखरेख दिशा–निर्देश, 2018)

स्थापन से पूर्व पालन पोषण देखरेख में दिये जाने वाले बच्चे की परामर्श हेतु प्रारूप
(बच्चे के प्रत्येक परामर्श सत्र के दौरान इस प्रारूप को भरें)

1. प्रारंभिक विवरण :
   (i) बालक का नाम : .....
   (ii) केस संख्या : .....
   (iii) दिनांक : .....
2. परामर्शदाता का विवरण :
   (i) परामर्शदाता का नाम : .....
   (ii) आई.डी. संख्या : .....
   (iii) अन्य पहचान संबंधी सूचना : .....
3. बच्चे एवं उसके भाई–बहन की परामर्श का विवरण : निम्नलिखित को भरें
   (i) नाम : ..... उम्र .....
   (ii) नाम : ..... उम्र .....
   (iii) नाम : ..... उम्र .....
4. परामर्श का स्थान : पता जहां पर परामर्श की गई
5. परामर्श में भाग लेने वाले अन्य व्यक्तियों के नाम जैसे :– (रिश्तेदार, भावी पालन पोषण करने वाले माता–पिता, स्टाफ आदि)
6. परिवार गृह में अन्य बच्चे
   (केवल लिंग, आयु एवं बच्चे के साथ संबंध (जन्म, पालन पोषण प्राप्त करने वाले, दत्तक एवं अन्य)
7. परामर्श सत्र में चर्चा किये जाने वाले मुद्दों / विषय–
   (भावी पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चों को शिक्षित करने के बारे में कि वे एक पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चों से क्या उम्मीद करते है)
   1. क्या बच्चा पालन पोषण देखभाल योजना के बारे समझता है?

      हॉ / नहीं

   (यदि नहीं, तो पालन पोषण देखभाल की अवधारणा, कानूनी पहलुओं और प्रमुख हितधारकों जैसे डीसीपीयू, संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख), डीसीपीओ, सीडब्ल्यूसी, प्रायोजन एवं पालन पोषण देखरेख अनुमोदन समिति इत्यादि द्वारा की जाने वाली प्रक्रियाओं एवं उनकी भूमिकाओं आदि के बारे में समझायें)

93

2. बच्चे अपने वर्तमान स्थापन के बारे में कैसा महसूस कर रहा है?
उत्साहित / घबराया / डरा हुआ / आशंकित / उदासीन / अन्य (इसके अलावा कुछ ओर है तो कृपया समझायें)

(उपरोक्त में से कोई भी, पालन पोषण देखभाल के विचार को सामान्य करने और किसी अन्य अवधारणा एवं गलत जानकारी के बारे में बच्चे के साथ कार्य करना)

3. क्या पालन पोषण देखभाल में जाने वाले बच्चे को अपने अधिकारों और उनकी जिम्मेदारियों की जानकारी है? हॉ / नहीं
(यदि हॉ तो विवरण लिखें)

(कृपया उसकी सुरक्षा के लिए सामान्य मूलभूत अधिकारों के बारे में समझायें। क्या आपने समझाया? उसकी प्रतिक्रिया कैसी थी?)

4. क्या समुदाय में कोई ऐसा व्यक्ति है, जो बच्चे के साथ जुड़े रहने की इच्छा रखता है? हॉ / नहीं
(यदि हॉ तो विवरण लिखें)

5. यदि बच्चे का जैविक परिवार मौजूद है तो क्या बच्चा उनके साथ संबंध बनाए रखना चाहेगा? हॉ / नहीं
(यदि हॉ, तो स्थापन प्रक्रिया मे उन्हे (जैविक परिवार) भी शामिल करने के तरीकों को देखें। क्या उनको सूचीबद्ध किया गया है? यदि हॉ, तो आपकी अगली कार्यवाही क्या है?)

6. स्थापन / नियुक्ति की अनुशंसा :
अल्पावधि / दीर्घावधि
व्यक्तिगत / सामूहिक पालन पोषण देखभाल

7. सामाजिक कार्यकर्ता या फार्म भरने वाले व्यक्ति की सामान्य टिप्पणियां

हस्ताक्षर
सामाजिक कार्यकर्ता या
फार्म भरने वाले व्यक्ति

प्रतिलिपि : अध्यक्ष / सदस्य, बाल कल्याण समिति .....

94

प्रारूप–ग–2

(झारखण्ड पालन पोषण देखरेख दिशा–निर्देश, 2018)

(पालन पोषण देखभाल स्थापन में)
पालन पोषण देखभाल करने वाले माता–पिता / देखभालकर्ता / पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए परामर्श हेतु प्रारूप
(बच्चे की प्रत्येक परामर्श सत्र के दौरान इस प्रारूप को भरें)

1. प्रारंभिक विवरण :
   (i) बालक का नाम : .....
   (ii) केस संख्या : .....
   (iii) दिनांक : .....

2. परामर्शदाता का विवरण :
   (i) परामर्शदाता का नाम : .....
   (ii) आई.डी. संख्या : .....
   (iii) अन्य पहचान संबंधी सूचना : .....

3. बालक एवं भाई–बहन की परामर्शदाता का विवरण : निम्नलिखित को भरें
   (i) नाम : ..... उम्र .....
   (ii) नाम : ..... उम्र .....
   (iii) नाम : ..... उम्र .....

4. परामर्श का स्थान : पता जहां पर परामर्श की गई

5. परामर्श सत्र में भाग लेने वाले अन्य व्यक्तियों के नाम जैसे :– (रिश्तेदार, पालन पोषण प्रदान करने माता–पिता, स्टाफ)

6. स्थापन के प्रकार :–

7. घर / परिवार में अन्य बच्चे
   (केवल लिंग, आयु एवं बच्चे के साथ संबंध (जन्म, पालन पोषण प्राप्त करने, दत्तक एवं अन्य)

8. परामर्श सत्र में निम्न मुद्दो / विषयों पर चर्चा करें।

95

(i) क्या किसी सांस्कृतिक या सजातीय विचारों को चिन्हित किया जाता है, और उनके बारे में बताया गया है।

.....

.....

(ii) क्या बच्चे को पालन पोषण देखरेख परिवार के समुदाय में स्वीकार किया जा रहा है? यदि नही तो क्यों?

.....

.....

(iii) मानसिक स्वास्थ्य/उपचार योजना : क्या बच्चे का स्वास्थ्य ठीक है?

.....

.....

(iv) क्या हाल में पालन पोषण देखरेख अभिभावक(कों) ने बच्चे की मनोदशा या व्यवहार में कोई परिवर्तन देखा है?

.....

.....

(v) क्या पालन पोषण करने वाले अभिभावक बच्चे की मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता या बारंबारता के बारे में कोई प्रश्न है?

.....

.....

(vi) जुडाव/लगावः क्या बच्चा जैविक परिवार या भाई–बहन के बारे में सोचता है या उनके साथ मुलाकात करना चाहता है?

.....

.....

(vii) क्या हाल में बच्चे ने पालन पोषण करने वाले माता–पिता की मनोदशा या व्यवहार में कोई परिवर्तन देखा है?

.....

.....

(viii) पालन पोषण करने वाले माता–पिता बच्चे के विचारों पर जवाब कैसे देते है?

.....

.....

(ix) बच्चे और जैविक परिवार के बीच संबंध बनाये रखने के लिए स्थापन प्रदाता क्या प्रयास कर रहे है? क्या प्रयास किया है और क्या नहीं कर पाये? उन्हे (स्थापन प्रदाता) क्या मदद की आवश्यकता है? (बच्चे ने जैविक परिवार से कितनी बार मुलाकात की है या उसकी जैविक माता–पिता से अंन्तिम मुलाकात कब हुई, बालक को जैविक माता–पिता या भाई–बहन से मिलने पर कैसा लगा, कितने समय तक उनके साथ रहा, जैविक माता–पिता से मुलाकात के समय बच्चे के साथ कौन था)

.....

.....

(x) **शिक्षाः** बच्चा विद्यालय में कैसा प्रदर्शन कर रहा है? सामाजिक और अकादमिक मुद्दो पर विचार करें। सफलता हासिल करने के लिए बच्चे और परिवार को क्या आवश्यकता है? यदि उचित है, तो विद्यालय के बाद के कार्यक्रम और बच्चे की देखभाल करने के समय के बारे में पूछें।

.....

.....

(xi) बच्चे की स्वयं की सोच के अनुसार उसके भविष्य की क्या योजना है?

.....

.....

(xii) **पालन पोषण करने वाले परिवार में सुरक्षा एवं पर्यवेक्षण** : क्या बच्चा घर में सुरक्षित महसूस करता है?

.....

.....

(xiii) क्या सुरक्षित और उपयुक्त अनुशासन किया जाता है?

.....

.....

(xiv) क्या बच्चों के लिए घर में पर्यवेक्षण उचित स्तर पर किया जाता है?

.....

.....

(xv) **बच्चे का व्यवहार और अभिभावकीय कौशलः** बच्चे के अच्छे व्यवहार के लिए क्या किया जा रहा है? क्या कोई भी बच्चा चुनौतीपूर्ण/चिंताजनक व्यवहार प्रदर्शित करता है?

(xvi) पालन पोषण करने वाले माता–पिता, बच्चे के व्यवहार को सफल और सक्षम बनाने के प्रबंधन में कैसा महसूस करते है? उसके लिए क्या करते हैं/क्या नहीं करते हैं?

.....

.....

(xvii) पालन पोषण करने वाले माता–पिता ने मित्रों, विस्तारित परिवार, सहकर्मियों, चर्च, विद्यालय की मदद और सलाह के लिए क्या कदम उठाये है?

.....

.....

(xviii) क्या बच्चे के घर के आस–पास सामाजिक/भावनात्मक सहयोग और जुड़ाव रहता है?

.....

.....

चिन्हित की गई समस्याओं का सारांशः

बच्चे द्वारा बताई जाने वाली आवश्यकता/प्रश्नः (सुरक्षा के मुद्दों सहित)

.....

.....

पालन पोषण करने वाले परिवार द्वारा बताई जाने वाली आवश्यकता/प्रश्नः

.....

.....

प्रारूप भरने वाले सामाजिक कार्यकर्ता या व्यक्ति द्वारा सामान्य टिप्पणीः–

.....

.....

प्रारूप भरने वाले सामाजिक
कार्यकर्ता/व्यक्ति के हस्ताक्षर

प्रतिलिपि : अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति

प्रारूप–ग–3

(झारखण्ड पालन पोषण देखरेख दिशा–निर्देश, 2018)

(पालन पोषण देखभाल में जाने वाले बच्चों के जैविक माता–पिता की परामर्श हेतु प्रारूप)

98

जैविक परिवार के प्रत्येक दौरे के दौरान इस प्रारूप को भरें

1. बालक का नाम : .....
2. जैविक माता–पिता का नाम : .....
3. पता : .....

कृपया निम्न प्रश्नों का उत्तर लिखें:

1. क्या जैविक माता–पिता / परिवार के सदस्य बच्चे के साथ, अधिक एवं कम संम्पर्क में रहना चाहते है?

   .....

   .....

2. क्या जैविक माता–पिता या परिवार के सदस्यों की स्थिति बदल गई है?

   .....

   .....

3. क्या जैविक माता–पिता बच्चे की देखभाल करना चाहते है?
   (यदि हॉ, तो कृपया मामले को कार्यकर्ता, संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख) द्वारा बाल कल्याण समिति को अनुशंसित करें)

   .....

   .....

4. जैविक माता–पिता या परिवार के सदस्यों के साथ बच्चा कैसी प्रतिक्रिया करता है? क्या वे जुड़ने की इच्छा रखते है?

   .....

   .....

5. जैविक माता–पिता / परिवार के सदस्यों की मानसिक और शारीरिक स्थिति कैसी है?

   .....

   .....

6. जैविक माता–पिता / परिवार के सदस्यों ने व्यक्तिगत देखरेख योजना में भाग लिया है? यदि नहीं, तो क्यों और क्या वे भाग लेने में रूचि रखते है?

   .....

   .....

7. अन्य लेख और टिप्पणियां लिखें:

99

.....

.....

8. अगला कदम/अगला दौरा कब तय किया गया है।

.....

.....

हस्ताक्षर

प्रतिलिपि : अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति

प्रारूप–ग–4

(झारखण्ड पालन पोषण देखरेख दिशा–निर्देश, 2018)

(पालन पोषण करने वाले माता–पिता और पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चे के मिलान की प्रक्रिया हेतु प्रारूप)

**मिलान प्रक्रिया के दौरान नियमित भरना और पत्र के साथ बाल कल्याण समिति को प्रस्तुत करना।

1. प्रारंभिक जानकारी:
   (i) केस का नाम और नंबर : .....
   (ii) प्रपत्र भरने का दिनांक : .....
   (iii) बच्चा एवं भाई–बहन का मिलान :

   नाम : ..... उम्र .....
   नाम : ..... उम्र .....
   नाम : ..... उम्र .....

2. संभावित मिलान की जानकारी:
   (i) नाम: .....
   (ii) उपयुक्त व्यक्ति घोषित किया गया है? हॉ/नहीं
   (यदि नहीं तो मिलान क्यों हो रहा है?)
   (iii) पालन पोषण करने वाले माता–पिता का मिलान कैसे किया गया था?

3. सामाजिक कार्यकर्ता/व्यक्ति, प्रपत्र को इस सोच के साथ भरें कि यह एक उपयुक्त मिलान क्यों है?
   .....
   .....

4. क्या जैविक परिवार और अन्य रिश्तेदारों ने इनकार कर दिया है, यदि ऐसा है तो इसके क्या कारण है?
   .....
   .....

5. क्या बच्चे से जुड़े सभी सुरक्षित और उपयुक्त वयस्कों ने इनकार कर दिया है, यदि ऐसा है तो इसके क्या कारण है?
   .....
   .....

101

6. यदि नहीं, उपर्युक्त दोनों, जो अन्य देखरेखकर्ताओं द्वारा माना गया, बच्चों के साथ मिलान क्यों नहीं किया गया?

.....

.....

7. उपरोक्त बैठकों के दौरान पालन पोषण करने वाले माता–पिता के लिए बच्चे की प्रतिक्रिया क्या है?

.....

.....

8. उपर्युक्त दौरे के अनुसार, सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा चिन्हित किये गये जोखिमों के बारे में उनके विचार क्या है?

.....

.....

9. चिन्हित किये गये जोखिमो के लिए सामाजिक कार्यकर्ता की योजना क्या है?

.....

.....

10. बच्चे से मिलने के बाद यह सुनिश्चित करना कि क्या अतिरिक्त सेवाएं आवश्यक है, जिससे बच्चे की जरूरत पूरी होगी?

.....

.....

11. जहां बच्चे के लिए कोई स्थापन चिन्हित नहीं किया गया है, तो बच्चे के भविष्य की क्या योजना है?

.....

.....

12. सामाजिक कार्यकर्ता का अंतिम निर्णय क्या है?

.....

.....

हस्ताक्षर

(संरक्षण अधिकारी, गैर संस्थागत देखरेख)

प्रतिलिपि : अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति ।

107

प्रारूप–34

(किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम–2016)

{नियम–23(17)}

पालन पोषण देखरेख में बच्चे का अभिलेख

क) मामला सं. : .....

ख) बालक का नाम : .....

ग) आयु : .....

घ) लिंग : .....

ड.) बाल देखरेख संस्था का नाम व पता, यदि कोई हो, जहां बालक को पालन पोषण देखरेख में दिया गया है : .....

च) वैयक्तिक देखरेख योजना : .....

छ) निर्दिष्ट करने का कोई अन्य स्रोत : .....

ज) पालन पोषण देखरेख में रखे गए बच्चे का फोटो सहित ब्यौरा, पालन पोषण देखरेख प्रदानकर्ता / माता–पिता, जैविक माता–पिता, यदि उपलब्ध हो, का ब्यौरा.....

.....

झ) स्थापन का ब्यौरा–स्थापन की तारीख एवं अवधि सहित व्यक्तिगत अथवा सामूहिक देखरेख .....

ञ) जहां कहीं लागू हो फोटो सहित जैविक परिवार की गृह अध्ययन रिपोर्ट .....

ट) फोटो सहित पारिवारिक, व्यक्तिगत अथवा सामूहिक पालन पोषण देखरेख की गृह अध्ययन रिपोर्ट .....

ठ) बाल अध्ययन रिपोर्ट .....

ड) बाल कल्याण समिति का पता .....

ढ) बच्चा, पालन पोषण करने वाले परिवार, जैविक परिवार, यदि उपलब्ध हो, के साथ किए गए प्रत्येक दौरे का अभिलेख (संख्या एवं प्रमुख विवरण सहित दर्ज करें)

.....

त) निगरानी, देखरेख योजना के अनुपालन की सीमा एवं गुणवत्ता, बाल विकास के महत्वपूर्ण लक्ष्य, बच्चे की शैक्षिक प्रगति और पारिवारिक वातावरण में कोई परिवर्तन सहित स्थापना की सभी समीक्षाओं का अभिलेख .....

103

.....

थ) स्थापन के विस्तार अथवा समाप्ति के मामले में, समाप्ति की तारीख एवं कारण का अभिलेख .....

.....

द) पालन पोषण करने वाले परिवार को बच्चे को देने की तारीख : .....

ध) प्रदान की गई वित्तीय सहायता, यदि कोई हो : .....

न) नियुक्ति किए गए मामला कार्यकर्ता का नाम : .....

104

प्रारूप–35

(किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम–2016)

{नियम–23(18)}

पालन पोषण करने वाले परिवार/समूह पालन पोषण देखरेख का मासिक निरीक्षण प्रारूप
(जो लागू हो उसे भरें)

निरीक्षण की तारीख : .....

क) नाम : .....

ख) जन्मतिथि एवं आयु : .....

ग) लिंग : .....

घ) स्थापन की तारीख : .....

(बच्चे का नवीनतम फोटो चिपकाएं)

1. **पालन पोषण करने वाले माता–पिता का ब्यौराः**

क) पालन पोषण करने वाले माता–पिता का नाम : .....

ख) पता : .....

ग) संपर्क विवरण : .....

1) लैंडलाइन : .....

2) मोबाइल : .....

घ) आधार कार्ड संख्या : .....

ड.) माता–पिता का फोटो

(नवीनतम फोटो लगाएं)

(नवीनतम फोटो लगाएं)

105

3. पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चे के साथ विचार–विमर्श

क	परिवार का एक हिस्सा होते हुए बच्चे का अनुभव (क्या बच्चे की शारीरिक, भावनात्मक एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित देखभाल हुई है, के संदर्भ में) वर्णन करें। 1. स्वास्थ्य सूचकांक क) स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति – ख) बीमारी का कोई अन्य अभिलेख – ग) बालक का कोई अन्य उपचार किया जा रहा है – 2. भावनात्मक	☐ प्रसन्न एवं ठीक से समायोजित है। ☐ समायोजित होने की प्रक्रिया में है। ☐ असमायोजित
ख)	(i) बालक अपने अध्ययन में कैसा प्रदर्शन कर रहा है? बालक द्वारा पिछली परीक्षा में प्राप्त किए गए ग्रेड/अंकों के संदर्भ में जांच करें।	☐ हां ☐ नहीं ☐ कभी–कभी
	(ii) पालन पोषण करने वाले माता–पिता बालक से उसके अध्ययन, अतिरिक्त पाठ्यक्रम के बारे में नियमित वार्तालाप करते हैं।	☐ हां ☐ नहीं ☐ कभी–कभी
	(iii) क्या अभिभावक शिक्षक संघ की बैठकों में भाग लेते हैं?	☐ हां ☐ नहीं ☐ कभी–कभी
ग)	i) पालन पोषण करने वाले माता–पिता बालक के साथ अकेले अथवा अपने स्वयं के बच्चों के साथ कितना समय बिताते हैं।	☐ वार्तालाप करते समय ☐ भोजन करते समय ☐ खेलते समय ☐ टीवी देखते समय ☐ स्कूल जाते समय
	ii) वे परिवार के रूप में एक साथ समय कैसे और किस लिए बिताते हैं?	☐ साथ–साथ गृह कार्य करते समय या अन्य (ब्यौरा दें)
	iii) क्या पालन पोषण प्राप्त करने वाला बच्चा पालन पोषण करने वाले माता–पिता के साथ उन समस्याओं को साझा करता है जिन्हे वह या तो घर पर, या स्कूल में, या पड़ोस में सामना करता है या भावनात्मक	☐ हां ☐ नहीं ☐ कभी–कभी

106

	रूप से खुश नहीं है?	
घ)	क्या बालक को पालन पोषण करने वाले माता–पिता के जैविक बच्चों से सहयोग मिलता है? (क्या वे आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं)	☐ हॉ ☐ नहीं ☐ कभी–कभी
ड.)	क्या ऐसी कोई घटना घटित हुई है जो पोषक बच्चे को भेदभाव महसूस कराती हो?	☐ हॉ ☐ नहीं ☐ कभी–कभी
च)	क्या ऐसी कोई घटना घटित हुई है जो पोषक बच्चे को असुविधाजनक बनाती हो जैसे :– i) पालन पोषण करने वाले माता पिता, बडे भाई बहन, अन्य सदस्य ने किसी भी तरीके से छूआ हो; ii) पालन पोषण करने वाले माता पिता, बडे भाई बहन, अन्य सदस्य के साथ कोई ऐसी वार्तालाप हुई हो; iii) एसी कोई सामग्री : दृष्य–श्रव्य, मुद्रित जो आपको देखने, सुनने या पढ़ने को दी गई हो; iv) किसी भी समय आपके साथ यौन उत्पीड़न या कोई अन्य दुर्व्यवहार किया गया हो; यदि जवाब "हां" में है, तो बालक को वहां से तत्काल हटाने के उपाय करते हुए बालक को	 हां ☐ नहीं ☐ हां ☐ नहीं ☐ हां ☐ नहीं ☐ हां ☐ नहीं ☐

107

	सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए और बालक को चिकित्सीय, मनोवैज्ञानिक–सामाजिक उपचार में सहयोग किया जाए। पालन पोषण करने वाले माता पिता के विरूद्ध निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार कार्रवाई की जाए। क्या इसी तरह का उपचार/व्यवहार उनके जैविक बालक के साथ भी किया जा रहा है? तो जैविक बालकों को भी देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बच्चे माना जाए और उचित कार्रवाई की जाएं।	
छ)	क्या बच्चा अपने मूल परिवार के साथ संपर्क रखता है (टेलिफोन, पत्रों, दौरे के द्वारा)। उल्लेख करें	हां ☐ नहीं ☐
ज)	क्या आपको पालन पोषण करने वाले माता–पिता द्वारा किसी भी समय पीटा गया ?	हां ☐ नहीं ☐
झ)	क्या आपके साथ इस तरीके से बात की गई है कि आप अपमानित महसूस करते हों?	हां ☐ नहीं ☐
ञ)	क्या आप से घरेलू काम कराया जाता है?	हां ☐ नहीं ☐
ट)	क्या पालन पोषण करने वाले माता–पिता के जैविक बच्चे भी घरेलू काम कराते है?	हां ☐ नहीं ☐
5. पालन पोषण करने वाले माता–पिता के साथ बातचीत		
क)	परिवार में बच्चे के व्यवहार (भावनात्मक सहित) के बारे में पालन पोषण करने वाले माता–पिता के विचार	☐ प्रसन्न एवं ठीक से समायोजित, ☐ समायोजित होने की प्रक्रिया में, ☐ असमायोजित
ख)	घर एवं परिवार में अन्य सदस्यों के साथ उनके समायोजन के बारे में सोच है	☐ प्रसन्न एवं ठीक से समायोजित, ☐ समायोजित प्रक्रिया में है, ☐ असमायोजित
ग)	आप बच्चे को कैसे अनुशासित करते है?	☐ बालक को समझाकर, ☐ डांटकर, ☐ दंड देकर, ☐ बालक को पीटकर एवं

108

		☐ अन्य तरीके (उल्लेख करें)
घ)	ऐसे क्या व्यवहारिक लक्षण हैं जो चिंता का विषय है और अभिभावक उनको बच्चों के साथ कैसे हल करते हैं?	☐ सहयोग का अभाव, ☐ समन्वयन का अभाव, ☐ अंतर्मुखी, ☐ अक्रामक, ☐ संवादहीन, ☐ कोई अन्य
ङ)	क्या आप पालन पोषण प्राप्त करने वाले बालक और जैविक बच्चों के साथ समय बिताते है? वर्णन करें।	हां नहीं कभी–कभी
च)	बच्चे की शिक्षा एवं अन्य प्रतिभाओं की प्रगति के बारे में विचारः– (i) बालक स्कूल में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है (ii) यदि बालक स्कूल में अच्छा नहीं कर रहा है, तो क्या आपने– क) बालक से ख) स्कूल के शिक्षक से कारणों का पता लगाया है? (iii) क्या आप अभिभावक शिक्षक संघ की बैठकों में भाग लेते हैं?	 हां ☐ नहीं ☐ हां ☐ नहीं ☐ हां ☐ नहीं ☐ ☐ हां ☐ नहीं ☐ कभी–कभी
छ)	क्या पालन पोषण करने वाले माता–पिता निर्णय लेते समय बच्चे से परामर्श करते है?	☐ हॉ ☐ नहीं ☐ कभी–कभी
ज)	पालन पोषण करने वाले माता–पिता के निर्णयों के प्रति बच्चा अपनी स्वीकृति/अस्वीकृति कैसे दर्शाता है?	☐ प्रसन्नता से स्वीकार करना ☐ स्वीकार करना लेकिन अप्रसन्न रहना ☐ निर्णय स्वीकार करना और आक्रामक व्यवहार दिखाना
झ)	पालन पोषण करने वाले माता–पिता बच्चे के सामाजिक तंत्र से जागरूक हैं?	हां ☐ नहीं ☐
ञ)	बच्चे के सामाजिक संबंध के बारे में पड़ोसियों, स्कूल के दोस्तों एवं शिक्षकों के साथ विचार	☐ अच्छी व नियमित वार्तालाप ☐ आवधिक वार्तालाप
ट)	बच्चे के लिए उनकी क्या योजना है? वर्णन करें।	

ठ)	क्या पोषक बच्चा अपने मूल परिवार के साथ संपर्क रखता है? (टेलिफोन, पत्रों, भ्रमण के द्वारा)। उल्लेख करें।	☐ हॉ ☐ नहीं ☐ कभी–कभी
ड)	अभिभावक के रूप में पोषक बच्चे के बैंक खाते कौन देखभाल करता हैं?	
6. पालन पोषण करने वाले माता–पिता के जैविक बच्चों के साथ बातचीत :		
क)	ऐसे कार्य जो वे पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चे के साथ करते हैं	☐ भोजन करना ☐ खेलना ☐ टीवी देखना ☐ स्कूल जाना ☐ गृह कार्य साथ करना
ख)	क्या वे आपस में और पोषक बच्चे के साथ झगड़ा करते हैं? यदि हां, कितनी बार, किन मुद्दों पर और वे इसे कैसे हल करते हैं। कृपया उल्लेख करें।	☐ हॉ ☐ नहीं ☐ कभी–कभी
ग)	आप कैसा महसूस करते हैं जब आपके माता–पिता पोषक बच्चे के प्रति प्यार, दुलार एवं अपनापन दिखाते हैं?	☐ प्रसन्न ☐ अप्रसन्न ☐ गुस्सा ☐ ईर्ष्या
7. विद्यालय के शिक्षकों के साथ वार्तालाप :		
क)	विद्यालय में बच्चे के शैक्षणिक प्रदर्शन के बारे में जानकारी (यह देखने के लिए कि बच्चे ने कोई प्रगति की है या नहीं, प्रगति कार्ड से सत्यापित करें)	☐ अच्छा ☐ उचित ☐ संतोषजनक ☐ खराब
ख)	**शिक्षक की टिप्पणी :** यदि बच्चे ने उसके पालन–पोषण करने वाले माता–पिता के साथ सामंजस्य कर लिया है।	☐ प्रसन्न एवं ठीक से समायोजित, ☐ समायोजन प्रक्रिया में है, ☐ असमायोजित है
ग)	क्या पालन पोषण करने वाले माता–पिता अभिभावक शिक्षक संघ (पी.टी.ए.) की बैठकों में भाग लेते हैं?	☐ हॉ ☐ नहीं ☐ कभी–कभी
घ)	क्या वे बच्चे की पढाई में रूचि रखते हैं? (उसकी शैक्षिक उपलब्धियां, शिक्षकों एवं	☐ हॉ ☐ नहीं

110

	विद्यालय सहपाठियों के साथ उसके संबंधों के बारे में पूछताछ करें)	☐ निष्पक्ष
ड.	विद्यालय में बच्चे के व्यवहार का अवलोकन (शिक्षकों एवं कक्षा सहपाठियों के साथ उसके संबंध)	☐ प्रसन्न एवं समायोजित ☐ समायोजन प्रक्रिया में है ☐ असमायोजित
च)	बच्चे के बारे में विद्यालय में कोई अन्य विषय। यदि हां, तो विवरण दें।	
8. जन्मदाता माता–पिता के साथ बातचीत :		
क)	क्या जन्मदाता माता–पिता ने अपने बच्चे के साथ संपर्क बनाए रखा है (टेलीफोन पर बातचीत, पत्रों एवं दौरों के द्वारा)? कितने अंतराल पर?	☐ हॉ ☐ नहीं ☐ कभी–कभी
ख)	क्या बच्चा उनसे मिलकर प्रसन्न था?	☐ हॉ ☐ नहीं ☐ मुलाकात के समय परेशान
ग)	क्या बच्चे ने उनके समक्ष पालन पोषण देखरेखकर्ताओं / अभिभावकों / परिवार के बारे में कोई मुद्दा उठाया था?	हां ☐ नहीं ☐
घ)	क्या उनकी बच्चे के कल्याणकारी हितों के बारे में पालन पोषण करने वाले परिवार के साथ कोई वार्तालाप होती है?	☐ हॉ ☐ नहीं ☐ कभी–कभी
ड.)	बच्चे को वापस प्राप्त करने के लिए परिवार की स्थिति	☐ परिवार इच्छुक है और बालक को वापस प्राप्त करने की स्थिति में है। ☐ परिवार इच्छुक है लेकिन बालक को वापस प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है। ☐ परिवार बालक को वापस प्राप्त करने का अनिच्छुक है।
च)	उन्हे सरकार या अन्य एजेन्सी से पालन पोषण करने वाले परिवार से बच्चे को वापस प्राप्त करने के लिए कोई सहायता प्राप्त हुई है (यदि हां, ब्यौरा दें)	हां ☐ नहीं ☐
9. पड़ोसियों के साथ वार्तालाप		

111

क)	पड़ोसियों को किसी बालक के पालन पोषण करने के बारे में जानकारी है	हां ☐ नहीं ☐
ख)	बच्चे के प्रति पालन पोषण करने वाले परिवार का नजरिया एवं व्यवहार के बारे में जानकारी है।	☐ सकारात्मक एवं प्रसन्न ☐ उदासीन प्रवृत्ति ☐ नकारात्मक प्रवृत्ति ☐ बच्चे के प्रति दुर्व्यवहार
ग)	परिवार के सदस्यों और पोषक बच्चे अथवा पड़ोस एवं पोषक बालक के बीच कोई झगड़ा अथवा मुद्दा देखा गया (यदि हो, तो ब्यौरा दें)	हां ☐ नहीं ☐

तैयार करने वाले के हस्ताक्षर

प्रारूप–घ–1

निगरानी निर्देश (मॉनीटरिंग टूल्स)

(जिले मे पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम के लिए)

बाल कल्याण समिति को मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी (एस.सी.पी.सी.) को प्रतिलिपि भेजना।

1	जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम के लिए क्या गतिविधियां की गई? प्रकार और मामलों की संख्या निर्दिष्ट करें	
2	पालन पोषण कार्यक्रम के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई के साथ पहचाने गए और अधिकृत स्वयंसेवी संस्थाओं की संख्या? पहचान की गई अधिकृत की गई	☐ ☐
3	जिले में पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम से संबंधित क्या जानकारियां है? जानकारी के प्रकार विस्तृत विवरण लिखें	
4	क्या आपने पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम पर जिले में हितधारकों के लिए वकालत (एडवोकेसी) हेतु गतिविधियों का आयोजन किया है? यदि हां, तो एडवोकेसी के प्रकार और स्वरूप के बारे में विस्तृत विवरण लिखें	हां ☐ नहीं ☐ .....
5	क्या आपने किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है? यदि हां, तो प्रशिक्षण के प्रकार और स्वरूप के बारे में विस्तृत विवरण लिखें	हां ☐ नहीं ☐ .....
6	क्या आपने क्षमतावर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है? यदि हां, तो क्षमतावर्धन प्रशिक्षण के प्रकार और स्वरूप के बारे में विस्तृत विवरण लिखें	हां ☐ नहीं ☐ .....
7	पालन पोषण करने वाले माता–पिता/अभिभावकों के लिए पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम में देखरेख करने हेतु महीने में कितने विज्ञापन जारी किये गयें? क्या इसके लिए एक रोस्टर तैयार किया गया है?	
8	क्या आप भावी पालन पोषण करने वाले माता पिता या अभिभावकों के आंकडे संधारित करते है? यदि हां, तो विवरण दें।	हां ☐ नहीं ☐
9	आधार नंबर लिंक एवं रजिस्टर करने से कितने	☐

113

	पालन पोषण करने वाले अभिभावक और बच्चों को मदद मिली है? संख्या दर्ज करें	
10	आप जिले में पालन पोषण कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन कैसे करते है? उसकी बारंबारिता भी लिखे जिससे निगरानी करते हैं।	
11	आपने एक या अधिक कारणों सहित बाल कल्याण समिति को किसी पालन पोषण स्थानन को समाप्त करने सिफारिश की है? यदि हां, तो मामलों की संख्या एवं कारण लिखें	हां ☐ नहीं ☐ .....
12	क्या आपने पालन पोषण देखरेख स्थापन का विस्तार के लिए किसी भी मामले में सिफारिश की है. यदि हां– तो मामलों की संख्या एवं कारण लिखें	हां ☐ नहीं ☐ .....

13. कोई अन्य टिप्पणी :–

.....

.....

14. बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा टिप्पणियां –

.....

.....

हस्ताक्षर

जिला बाल संरक्षण अधिकारी (डीसीपीओ)

114

प्रारूप–घ–2

(झारखण्ड पालन पोषण देखरेख दिशा–निर्देश, 2018)

मॉनिटरिंग टूल

(दुर्व्यवहार, शोषण और दुरूपयोग के बच्चों द्वारा शिकायतों की जांच और हस्तक्षेप)

क. जिला बाल संरक्षण अधिकारी (डीसीपीओ) के साथ परिचर्चा

1. क्या आप पालन पोषण के मुद्दों पर प्राप्त शिकायतों को अभिलेख पुस्तिका/रोजनामचा में दर्ज करते है?	1. हॉ 2. नहीं	
2. दर्ज शिकायतों की संख्या (शिकायतकर्ताओं के अनुसार संख्या निर्दिष्ट करें)		
3. दर्ज शिकायतों की संख्या (जिसने शिकायत पंजीकृत की है उसके अनुसार संख्या निर्दिष्ट करें)	शिकायतें पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चे– पालन पोषण करने वाले माता–पिता – डीसीपीयू– डीसीपीओ– एसएफसीएसी– सीडब्ल्यूसी– एसएसए– चाइल्ड लाइन– वकील– शिक्षक– अन्य निर्दिष्ट–	संख्या
4. प्राप्त शिकायतों की प्रकृति (प्रकृति और संख्या को निर्दिष्ट करें)	क. दुर्व्यवहार का आरोप ख. आपराधिक आरोप ग. पालन पोषण देखरेख गृह में सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दौरा नहीं करना घ. सीपीओ के बारे में शिकायत ड. घटिया सुविधायें (जैसे खाना, रहने इत्यादि)	
5. शिकायतों की संख्या जिस पर संरक्षण अधिकारी (गैर–संस्थागत देखरेख) द्वारा कार्यवाही की गई		
बाल संरक्षण अधिकारी (गैर –संस्थागत) के विरूद्ध शिकायत के मामले में कार्यवाही करने की		

115

जिम्मेदारी किसके द्वारा ली गई?	
विवादों का विभिन्न समूहों में की गई कार्यवाही की प्रकार का विवरण	
पंजीकृत शिकायतों की स्थिति :	
शिकायतों की संख्या जिनका समाधान किया गया	
शिकायतों की संख्या जो लंबित है	
शिकायतों की संख्या जो प्रक्रिया में है	
मामलों की संख्या जिनमें अनुवर्तन (फोलो–अप) की आवश्यकता है	
शिकायतों की संख्या जिन पर कार्यवाही होना लंबित है	

6. कोई अन्य टिप्पणी:–

.....

.....

7. मूल्यांकनकर्ता द्वारा अन्य अवलोकन:–

.....

.....

हस्ताक्षर

नाम .....

116

प्रारूप–ड़–1

(झारखण्ड पालन पोषण देखरेख दिशा–निर्देश, 2018)

शिकायत प्रपत्र

दिनांक : .....

I. शिकायत दाखिल करने वाले व्यक्ति का नाम : .....

II. पता : .....

III. बच्चे का विवरण, यदि परिचित हो :–

a) नाम : .....

b) लिंग : .....

c) आयु : .....

d) जाति : .....

e) धर्म : .....

IV. बच्चे के पालन पोषण करने वाले माता–पिता कौन है? (यदि आप इन उत्तरों को जानते हैं तो यथासंभव अधिक जानकारी भरें)

a) नाम : .....

b) पता : .....

c) राज्य : .....

d) पिन कोड : .....

e) फोन नम्बर : .....

f) ई–मेल : .....

V. शिकायत की प्रकृति का विवरण (यानी पालक बच्चे का दुर्व्यवहार किया गया, सामाजिक कार्यकर्त्ता द्वारा पालन पोषण देखरेख गृह का दौरा न करना इत्यादि)

.....

.....

VI. अनुरोध (कार्रवाई / प्रतिक्रिया / परिणाम) :–

.....

.....

भवदीय

(हस्ताक्षर)

निम्नलिखित में से किसी को भी शिकायत की जा सकती है:–

1. अध्यक्ष / सदस्य, बाल कल्याण समिति
2. जिला बाल संरक्षण अधिकारी,
3. जिला प्रशासन से संबंधित विभाग

117

प्रारूप–ड़ –2

(झारखण्ड पालन पोषण देखरेख दिशा–निर्देश, 2018)

जांच–प्रारूप

इस दस्तावेज को पालन पोषण देखरेख शिकायत प्रपत्र के साथ संलग्न करना चाहिए।

1) शिकायत प्राप्ति की तिथि : .....

2) शिकायत प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम : .....

3) शिकायत किस कार्यालय में प्राप्त हुई थी : .....

4) शिकायत संख्या दर्ज करें : .....

5) जांच प्रभारी व्यक्ति का नाम और पदनाम : .....

6) की गई कार्यवाही : .....

7) कार्यवाही का परिणाम : .....

8) अनुवर्तन (फोलो–अप) कार्यवाही : .....

9) अनुवर्तन के लिए कौन जिम्मेदार है : .....

10) अनुवर्तन की तिथि : .....

11) आगामी अनुवर्तन की तिथियां : .....

दुर्व्यवहार या उपेक्षा के संदिग्ध बच्चे की तत्काल जरूरतों की पूर्ति हेतु चाइल्डलाइन–1098 या पुलिस को तुरंन्त फोन करें ।

हस्ताक्षर
(जांच प्रभारी)

112

प्रारूप–च

(झारखण्ड पालन पोषण देखरेख दिशा–निर्देश, 2018)

मामला दौरा प्रारूप (Case Visit Template)

1. प्रारंभिक विवरण :–

i. केस नबंर : .....

ii. बच्चे का नाम : .....

iii. दौरे का दिनांक : .....

iv. पालन पोषण देखरेख करने वाले माता–पिता का नाम : .....

v. परिवार में रहने वाले अन्य वयस्कों व्यक्तियों के नाम, जिनके साथ आउटरीच कार्यकर्ता या संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख) द्वारा वार्तालाप किया गया।

क. : .....

ख. : .....

ग. : .....

2. अवलोकन :–

i. परिवार में बदलाव :–

टिप्पणी :– .....

.....

.....

ii. पालन पोषण करने वाले परिवार के साथ संबंध :–

टिप्पणी :– .....

.....

.....

iii. सांस्कृतिक और विशिष्ट सांस्कृतिक विचार :–

टिप्पणी :– .....

.....

.....

iv. सामाजिक सहयोग और राहत :–

टिप्पणी :– .....

.....

119

.....

.....

v. सामाजिक सहायता और राहत :–

टिप्पणी :– .....

.....

.....

vi. सेवाएं और प्रशिक्षण :–

टिप्पणी :– .....

.....

.....

vii. पालन पोषण देखरेख गृह मे सुरक्षा और पर्यवेक्षण :–

टिप्पणी :– .....

.....

.....

viii. बच्चे का व्यवहार और अभिभावकों का हुनर :–

टिप्पणी :– .....

.....

.....

ix. बच्चे की शिक्षा / विद्यालय :–

टिप्पणी :– .....

.....

.....

x. बच्चे और पालक परिवार की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य स्थिति / जरूरते :–

टिप्पणी :– .....

.....

.....

xi. यात्रा के दौरान जैविक परिवार और अभिभावकों के साथ वार्तालाप साझा करना :–

टिप्पणी :– .....

.....

.....

.....

3. क्या आपने बच्चे के साथ व्यक्तिगत तौर पर बातचीत करने में समय व्यतीत किया?

हां ☐ नहीं ☐

4. यदि बातचीत नहीं की गई तो कारण बतायें

.....

.....

.....

द्वारा तैयार किया गया : .....

(सामाजिक कार्यकर्त्ता, संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख)

दिनांक : .....

121

प्रारूप–छ

(झारखण्ड पालन पोषण देखरेख दिशा–निर्देश, 2018)

सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी) सामग्री

1. देखरेख प्रदानकर्त्ता/पालन पोषण करने वाले माता–पिता रूप में चुनौतियां–

बच्चे के लिए अपने परिवार से अलग होना एक बहुत ही परेशान करने वाली घटना होती है जिसे बच्चा अनुभव या महसूस कर सकता है, इसलिए एक देखरेख प्रदानकर्त्ता/पालन पोषण करने वाले माता–पिता के रूप में अनेक चुनौतियां होती हैं तथा उच्च स्तर की वचनबद्धता आवश्यक है। दुर्व्यवहार एवं उपेक्षा से प्रभावित बच्चे एक चुनौतीपूर्ण व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं तथा उन्हें उच्च स्तर की शारीरिक, भावनात्मक एवं सामाजिक सहायता की आवश्यकता होती है।

अन्य चुनौतियों में निम्नलिखित सम्मिलित है–

- जिला बाल संरक्षण इकाई से संबंधित समस्याएं
- आपातकाल के दौरान अपर्याप्त सहयोग
- बच्चों की संयुक्त आवश्यकताओं के संबंध में बातचीत करने के दौरान तनाव प्रकट करना।
- समस्याजनक व्यवहार या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए सूचना और/या प्रशिक्षण की कमी।
- विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी।
- जैविक माता–पिता के या जैविक माता–पिता एवं बच्चों के मध्य विवादों को निपटने में समस्याएं।
- बच्चे/किशोर के माता–पिता से पुनः मिलन या किसी अन्य पालन पोषण देखरेख में स्थापना के समय बच्चे को अलविदा कहना।

2. देखरेख प्रदानकर्त्ता/पालन पोषण करने वाले माता–पिता के लिए सहायक बिन्दु–

देखरेख प्रदानकर्ता एवं पालन पोषण करने वाले माता–पिता के लिए पालन पोषण देखरेख की चुनौतियों से निपटने में कुछ सहायक बिन्दू निम्नानुसार है –

- पालन पोषण देखरेख में रखे गये बच्चें के बारे में जानना।
- बच्चों की क्षमताओं एवं जरूरत के क्षेत्रों की पहचान करना।
- बच्चें की किसी विशेष आवश्यकता के बारे में जागरूक रहना।
- दैनिक दिनचर्या एवं सीमाएं निर्धारित करना (उदाहरणार्थ खाने एवं सोने का समय) तथा बच्चें को समय पर नये परिवार में व्यवस्थित एवं परिवार के

साथ परिचित होने के लिए इस दिनचर्या को धीरे धीरे लागू करने की आवश्यकता हो सकती है।

- यदि बच्चा यह पता लगाने के लिए आपका परीक्षण करता है कि आप कितने ईमानदार एवं धैर्यशील है, उस समय धैर्य रखे।
- स्थिति के अनुसार आपको बहुत समझदार होने तथा ऐसा अधिक से अधिक बच्चे को दिखाने की आवश्यकता हैं, ताकि वह आप पर भरोसा कर सके।
- यदि घर में आपके स्वयं के बच्चे है तो आपको पर्याप्त रूप से पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चे की जरूरत को ध्यान में रखना होगा एवं बच्चे को आश्वासन देना होगा कि परिवार में उसका स्वागत है।
- जब आप एक पालन पोषण प्रदान करने वाले माता–पिता बनने का निर्णय लेते है, तो यह विचार करना महत्वपूर्ण कि आपका परिवार इसके बारे में कैसा महसूस करेगा तथा जहां तक संभव हो, तो ऐसे निर्णय लेने में परिवार को शामिल करें।
- पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चें की उचित अपेक्षाओं को जानने हेतु बच्चे के स्थापन को स्वीकार करते समय अपने मामला कार्यकर्ता के साथ होने वाले सम्भावित मुद्दों पर चर्चा करना आवश्यक है। मामला कार्यकर्ता के साथ सम्पर्क बनाये रखना भी आवश्यक है।
- यदि उपलब्ध है तो आप द्वारा स्थानीय सेवा के साथ–साथ सूचना संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है, यह एक पालन पोषण करने वाले माता–पिता को सहायता समूह से जुड़ने में मदद कर सकता है। यदि कोई स्थानीय समूह उपलब्ध नहीं है, तो आपके मामला कार्यकर्ता द्वारा आपको ऑनलाइन सहयोगी समूह संदर्भ में भेज सकता है।

3. **एक पालन पोषण करने वाले माता–पिता होने का प्रतिफल (रिवॉर्ड)** –
एक पालन पोषण करने वाले का माता–पिता होना, अत्यधिक अपेक्षा रखने वाला एवं थकान भरा कार्य हो सकता है, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्नानुसार है –
    - बच्चों को सुरक्षित रखनें एवं उसे अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना।
    - एक देखभाल समूह के अत्यधिक मूल्यवान एवं सहायक सदस्य के रूप में होना।
    - अपने सामाजिक एवं व्यक्तिगत संपर्क का विस्तार करना।
    - अपने अभिभावकीय (पेरेन्टिंग) कौशल एवं ज्ञान में वृद्धि करना तथा बच्चों के विकास से संबंधित नये तरीकों को विकसित करने मे अन्य माता–पिता की मदद करना।

4. एक पालन पोषणकर्ता बनने के चरण–

चरण 1.	जानकारी / विज्ञापन का अध्ययन	• इसमें एक पालन पोषणकर्ता होने के बारे में सामान्य जानकारी शामिल होगी। • सामग्री पढने के बाद एवं यदि आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आपको एक सूचना सत्र में भाग लेना चाहिए। • यदि आप अनिश्चित है कि आप एक पालन–पोषणकर्ता के रूप में उपयुक्त पात्र होगें, या नहीं तो जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय को फोन करे।
चरण 2	सूचना सत्र में भाग लेना	• सूचना सत्र में आप जिला बाल संरक्षण इकाई के अनुभवी कर्मचारियों से मिलेंगे तथा आपको प्रश्न पूछने एवं विभिन्न प्रकार के पालन पोषण देखरेख के बारे में जानने का अवसर मिलेगा।
चरण 3	रूचि की अभिव्यक्ति	• यदि आपने एवं आपके परिवार ने अगला कदम उठाने का फैसला कर लिया है, तो एक आवेदन पत्र को भर कर जिला बाल संरक्षण इकाई को वापस भेजें।
चरण 4	गृह दौरा	• जिला बाल संरक्षण इकाई का एक कार्मिक आपको फोन करके आपसे एवं आपके परिवार से मिलने का समय निश्चित करने के लिए कहेगा। यह हमारे लिए आपके बारे में अधिक जानने एवं आपके घर को देखने का अवसर है। यहां यह आपके लिए पालन पोषण के बारे में अधिक सुनने को अवसर है। यदि आप अभी भी आगे बढना चाहते है, तो कार्मिक द्वारा आपको एक आवेदन पत्र देना होगा।
चरण 5	जॉच / छानबीन	• यह आवेदन पत्र को जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय को भेजा जायेगा। इस आवेदन पत्र में आपसे आपके एवं आपके परिवार की पृष्ठभूमि के विवरण के बारे में पूछा जायेगा। • आपके आवेदन के एक भाग में जिला बाल संरक्षण इकाई को पुलिस एवं विभाग की जांच, निर्णयकर्ता के संपर्क करने तथा आपके चिकित्सक से स्वास्थ्य रिपोर्ट प्राप्त करने की अनुमति शामिल है।

चरण 6	मूल्यांकन	• जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा जांच हेतु कुछ जानकारी प्राप्त करने के बाद मूल्यांकन शुरू किया जायेगा। जिला बाल संरक्षण इकाई के किसी कार्मिक द्वारा आपसे एवं आपके परिवार से मिलने हेतु अनेक

		बार आपके घर दौरे (विजिट) किये जायेगें। • आप द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई के साथ मिलकर तय किया जायेगा कि किस प्रकार पालन पोषण देखरेख करना चाहते है तथा किस आयु एवं लिंग के बच्चे आपकी जीवनशैली के अनुसार सर्वोत्तम है। • जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा आपकी एक पालन पोषणकर्ता होने की तैयारी की क्षमता एवं योग्यता का निम्नानुसार आंकलन किया जायेगा– ○ एक दल (टीम) के भाग के रूप में कार्य करना। ○ एक पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चे की भावनात्मक, शैक्षणिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक आवश्यकताओं पर प्रतिकिया करना। ○ एक दुर्व्यवहार मुक्त एवं सुरक्षित घर प्रदान करना एवं ○ एक पालन पोषणकर्ता के रूप में सीखने एवं विकास करने की जिम्मेदारी लेना।
चरण 7	प्रशिक्षण	• आपको प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेने हेतु तैयार रहना आवश्यक होगा। • आप इन सत्रों में सीखेंगे कि बच्चों ने पालन पोषण देखरेख में क्यों प्रवेश लिया एवं उनके द्वारा अनुभव की गई समस्याएं, साथ–साथ आप एवं अन्य सहयोगी की भूमिका एवं जिम्मेदारियों के बारे में जानेगें।

125

चरण 8	अनुमोदन।	• जिला बाल संरक्षण इकाई के कर्मचारी द्वारा बाल कल्याण समिति एवं प्रायोजन एवं पालन पोषण देखरेख अनुमोदन समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी। इसके परिणामस्वरूप आपको एक पालन –पोषणकर्ता बनना चाहिए या नहीं, की अनुशंसा की जायेगी। • यदि आप अनुमोदित कर दिये जाते है, तो आपको एक पत्र प्राप्त होगा एवं बाल कल्याण समिति के साथ आपसे बंध पत्र पर हस्ताक्षर की मांग की जायेगी। • इस पूरी प्रकिया में थोडा हस्तक्षेप होगा तथा इसमें 3 माह का लम्बा समय लिया जा सकेगा। लेकिन हमारे लिए जानकारी सुनिश्चित करने यह आवश्यक है कि आप अन्य लोगों के बच्चों के लिए उपयुक्त, सुरक्षित एवं ध्यान रखने योग्य है। • यदि आप अनुमोदित नहीं होते है, तो भी आप अन्य माध्यमों से भी सहायता कर सकते है। आप स्वयंसेवक के रूप में अन्य माध्यमों से सहायता करने में सक्षम हो सकते है।

संभावित पालन पोषण देखरेख वाले बच्चे की काउंसलिंग (परामर्श) के संबंध में

विस्तारित टिप्पणी

1. बच्चें की समझ के स्तर के अनुसार बच्चे की काउंसलिंग (परामर्श) की जायेगी एवं बालक/बालिका को उनके जीवन में किये जाने वाले पालन पोषण देखरेख में स्थापन के बारे में सूचित करना। बच्चे को पालन पोषण देखरेख प्रकिया के दौरान सम्मिलित व्यक्ति से परिचित करवाया जायेगा तथा इस प्रक्रिया के दौरान बच्चों को अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। इस पूरी प्रक्रिया में बच्चें की सुरक्षा एवं सर्वोत्तम हित का विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा।

2. काउंसलिंग (परामर्श) सत्र के उद्देश्य :–
   - भावी पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चों को शिक्षित करने की शुरूआत के समय उनको बताना कि एक पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चे के रूप में वे क्या अपेक्षा कर सकते है।
   - एक बच्चे को उसके पिछले परिचित वातावरण से बाहर निकालने के परिणामस्वरूप हुई मानसिक क्षति के प्रभाव को कम करने के लिए।

- बच्चे को प्राप्त होने वाले सुरक्षा तथा गुणवत्तापूर्ण देखरेख के अधिकार को सुनिश्चित करना।

3. मार्गदर्शक नोट्स

1. क्या बच्चा पालन पोषण देखरेख की अवधारणा को समझता है?
   हां नहीं

   (यदि नहीं तो, जिला बाल संरक्षण इकाई, संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख), जिला बाल संरक्षण अधिकारी, बाल कल्याण समिति, प्रायोजन एवं पालन पोषण देखरेख अनुमोदन समिति एवं प्रकिया में प्रमुख हितधारकों इत्यादि की भूमिका सहित पालन पोषण देखरेख की अवधारणा एवं कानूनी पहलुओं सहित पूरी तरह व्याख्या करना।)

2. यदि बच्चा समाज में किसी/किन्ही व्यक्तियों से जुड़े रहना चाहता है और यह बच्चे के लिए उचित एवं सुरक्षित है, तो ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों का इस प्रक्रिया का हिस्सा होना सुनिश्चित किया जायेगा। चिन्हित किये गए व्यक्ति प्रथम संभावित पालन पोषण करने वाले माता–पिता है। फिर भी उनके द्वारा एक पालन पोषण देखरेखकर्ता/माता–पिता होने की प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। कृपया बच्चे के बताए गए सभी संबंधों को सूचीबद्ध करें। कभी--कभी बच्चे से जुड़े लोगों के समूह/"सर्कल" को चित्रित किया जायेगा, यह बहुत उपयोगी हो सकता है। बच्चों को उनके घर या समुदाय को चित्रित करने के लिए कहें एवं पूछे कि कौन इस समूह/सर्कल में है और कौन नहीं है, वे किसे सूचीबद्ध करते हैं?

<u>पालन पोषण देखरेख वाले बच्चों के जैविक माता–पिता की परामर्श के संबंध में विस्तारित नोट्स</u>

आवश्यकतानुसार मामला कार्यकर्ता के सहयोग से पालन पोषण करने वाले माता–पिता द्वारा पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चों के जैविक परिवारों के साथ बैठक आयोजित की जायेगी। इस पूरी प्रक्रिया में बच्चें की सुरक्षा एवं सर्वोत्तम हित का विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा।

एक पालन पोषण करने वाले माता–पिता को ध्यान में रखना चाहिए कि एक बच्चे के लिए उसके जैविक परिवार से संपर्क उसकी पहचान से संबंधित है। साक्ष्य आधारित अनुसंधान से पता चलता है कि बच्चों के जैविक परिवार की सुरक्षा एवं परिस्थितियां कैसी भी हो, फिर भी बच्चा उसके जैविक परिवार एवं जीवन से संबंध महसूस करता है। यदि यह संबंध सुरक्षित एवं उचित है, तो इन्हें बनाए रखा जा सकता है।

यदि ऐसा करना बच्चे के संबंध में सुरक्षित एवं उचित नहीं है, तो जैविक परिवारों को पालन पोषण करने वाले परिवार या पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चें कहां रहते हैं, के

बारे में नहीं बताया जायेगा। जैविक परिवारों को पालन पोषण करने वाले परिवार पर नकारात्मक प्रभाव (जैसे– पालन पोषण करने वाले परिवार से जबरन धन वसूल करना) डालने से रोकने के लिए उन्हें निरीक्षण दौरे के अर्न्तगत बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई या मामला प्रबंधन एजेंसी में बच्चे से मिलाना चाहिए।

किसी मामले पर आयोजित दौरे (विजिट) के संबंध में विस्तारित नोट्स

दौरे (विजिट) से पहले, रिकॉर्ड्स की समीक्षा करना एवं पिछले गृह दौरे के अनुवर्तन (फॉलोअप) के लिए नीचे दिये गये बिन्दुओं की सूची तैयार की जायेगी। इस सूची का उपयोग पालन पोषण परिवार के साथ चर्चा में पालन पोषण परिवार को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाएगा।

इस दौरे के दौरान पिछले दौरे से इन प्रमुख प्राथमिकताओं का पालन सुनिश्चित किया जायेगाः प्रत्येक विषय क्षेत्र के अन्तर्गत कुछ मार्गदर्शन प्रश्न तैयार किये गये हैं, जिन्हें आप चाहे तो उपयोग कर सकते हैं, ये प्रश्न केवल सुझाव हैं, नियम नहीं हैं। कृपया दिए गए प्रत्येक श्रेणी के अनुसार टिप्पणी के लिए पेपर का उपयोग किया जाये एवं परिवार की स्थिति के अनुसार अपने स्वयं के प्रश्नों का भी उपयोग किया जाए।

नीचे दिये गये विषयों पर प्राकृतिक एवं संवादात्मक तरीके से चर्चा की जायेगी। प्रत्येक विषय को सम्मिलित करते हुए पेपर में टिप्पणी हेतु निर्धारित स्थान पर टिप्पणी करना अनिवार्य है।

पालन पोषण देखरेखकर्ता/पालन पोषण करने वाले माता–पिता का गृह

I. **गृहस्थी में बदलाव** :– क्या घर में कोई नया रहने वाला, अस्थायी रूप से रह रहा है, या उसका सबसे ज्यादा समय यहां व्यतीत हो रहा है? नई नौकरी या वित्तीय स्थिति?

II. **पालन पोषण परिवार में रिश्ते** :– बच्चें कैसे रह रहे है? वयस्कों एवं बच्चों के बीच कैसे संबंध है? वयस्कों एवं वयस्कों के बीच कैसे संबंध है? परिवार में आपसी विवाद का सबसे बड़ा कारण क्या है? मुद्दों को कैसे हल किया जाता हैं?

III. **सांस्कृतिक एवं जातीय विचार** :– पालन पोषण करने वाले माता–पिता द्वारा अपने घर में रह रहे पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चों के बारें में जानने के लिए, बच्चों को सम्मान देने के लिए एवं उनकी मूल संस्कृति को बनाए रखने के लिए क्या किया जा रहा है? क्या पालन पोषण करने वाले माता–पिता को बच्चे के बारे में कोई प्रश्न हैं या जानकारी की आवश्यकता है?

IV. **सामाजिक सहायता एवं राहत** :– बच्चे के दोस्तों, विस्तारित परिवार, सहकर्मियों, समुदाय, धर्म एवं विद्यालय में से कौन पालन पोषण परिवार की मदद करता है एवं कौन सुझाव देता है? क्या बच्चे का घर से बाहर कोई सामाजिक/भावनात्मक संबंध या सहयोग है ?

V. **सेवाएं एवं प्रशिक्षण** :– बच्चे के लिए या पालन पोषण परिवार के अन्य सदस्यों के लिए कौनसे संसाधन/संदर्भ सेवाओं की आवश्यकता हैं– जैसे बाल देखभाल,

मादक द्रव्यों के सेवन आदि। प्रशिक्षण से पालन पोषण प्रदान करने वाले माता–पिता या पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चें क्या कौशल सीख रहे/वृद्धि करे हैं?

VI. **पालन पोषण गृह में सुरक्षा एवं पर्यवेक्षण** :– उदाहरणार्थ, क्या बच्चा घर में सुरक्षित महसूस करता है? क्या सुरक्षित एवं उचित अनुशासन का उपयोग किया जा रहा है? क्या घर में बच्चों के लिए पर्यवेक्षण का एक उचित स्तर है? क्या समुदाय घर में रहने वाले बच्चे को स्वीकार करता है? क्या घर में कोई खतरा है?

VII. **बाल व्यवहार एवं पालन पोषण कौशल** :– क्या कोई बच्चा चुनौतीपूर्ण व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है? पालन पोषण प्रदान करने वाले माता–पिता बच्चों के व्यवहार का प्रबंधन करने में कितने सक्षम एवं सफल है? क्या कार्य कर रहे है एवं नहीं कर रहे है?

VIII. **बच्चें की शिक्षा** :– बच्चा स्कूल में कैसा प्रदर्शन कर रहा है (सामाजिक एवं शैक्षिक मुद्दों सहित) ? बच्चे या परिवार को शिक्षा में सफलता पाने के लिए क्या आवश्यक है? क्या वे ट्यूशन ले रहे है?

IX. **बच्चें एवं पालन पोषण करने वाले परिवार की शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति/जरूरत**:– क्या बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा है? क्या बच्चे की आवश्यक एवं चल रही चिकित्सा जरूरतों की पूर्ति हो रही है? क्या हाल ही में पालन पोषण करने वाले माता–पिता ने बच्चें के स्वभाव या व्यवहार में कोई परिवर्तन को देखा है? क्या बच्चें या पालन पोषण करने वाले माता–पिता को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की समयावधि या गुणवत्ता के बारे में कोई प्रश्न है? क्या घर में कोई अन्य चिकित्सा या मानसिक स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित है?

X. **जैविक परिवार एवं साझा परिवार के साथ बातचीत और दौरे** :– क्या बच्चे को जैविक परिवार की आवश्यता एवं चिंता है या उनके साथ यात्रा करने की आवश्यकता हैं? पालन पोषण करने वाले माता–पिता कैसी प्रतिकिया करते हैं। बच्चे एवं जैविक परिवार के मध्य संपर्क बनाए रखने के लिए क्या कर रहे है? क्या कार्य किये गये है या क्या कार्य नहीं किये गये है? उन्हे क्या सहायता की आवश्यकता है?

अगर पालन पोषण करने वाले माता–पिता ने पहले भी पालन पोषण किया है, तो बच्चे ने परिवार में कितनी अच्छी तरह से समेकन किया है। अब बच्चा क्या कर रहा है? बच्चे के साथ बातचीत करने से पालन पोषण करने वाले माता–पिता/देखरेखकर्ता के व्यक्तित्व के बारें में पता चलेगा।

गृह अध्ययन के लिए विस्तारित नोट्स

1. बच्चें का विवरण :–

किस प्रकार का बच्चा है, यह पालन पोषण देखरेख कर्ता ध्यान रखेगा। (बच्चें का विवरण पालन पोषण देखरेखकर्ता के साथ बातचीत के बाद भरा जाएगा)

2. विवरण दें :–

- व्यक्तित्व
- पारिवारिक जीवन,
- अनुभव
- परिवार के विशिष्ट गुण जो बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप हो सकते है

(नोट :– उक्त विवरण की पहचान की शुरूआत इस प्रकार होनी चाहिए, जिससे एक बच्चे का परिवार के साथ संभावित मिलान हो सके)

3. पालन पोषण देखरेख प्रदानकर्त्ता की गृह अध्ययन रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होगी, जिसे विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी, बाल देखरेख संस्थान, जिला बाल संरक्षण इकाई के सामाजिक कार्यकर्त्ता द्वारा तैयार किया जायेगा एवं इसमें निम्न जानकारी को विस्तृत रूप से सम्मिलित किया जायेगा –

- सामाजिक स्थिति एवं परिवार की पृष्ठभूमि
- घर का विवरण
- घर में रहन–सहन का प्रत्यक्ष स्तर
- घर में सदस्यों के बीच वर्तमान संबंध
- अब तक घर में बच्चों के विकास की स्थिति
- रोजगार एवं आर्थिक स्थिति
- स्वास्थ्य विवरण
- आसपास उपलब्ध शिक्षा, चिकित्सा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधाओं का विवरण
- बच्चे को पालन पोषण देखरेख में रखने की इच्छा का कारण
- दादा–दादी एवं अन्य रिश्तेदारों का नजरिया / रूख
- पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चे के लिए अनुमानित योजनाएं
- पालन पोषणकर्त्ता(ओं) की कानूनी (लीगल) स्थिति
- प्रशिक्षण लेने की स्वेच्छा।

4. आवेदनकर्त्ता(ओं) का विवरण :–

पृष्ठभूमि :–

- माता–पिता एवं भाई–बहनों के विवरण के साथ परिवार की संरचना।
- परिवार के अन्य सदस्यों, बचपन के अनुभवों का महत्वपूर्ण विवरण।

रिश्ते (संबंध) :–

- वैवाहिक जीवन की अवधि
- प्रत्येक आवेदक अपनी साझेदारी को बढाने के लिए किन गुणों का प्रयोग करते हैं
- एक–दूसरे के लिए सकारात्मक रिश्ता कैसे बनाते है?
- आवेदक रिश्तों में आने वाली समस्याओं, तनाव एवं गुस्से से कैसे सामना करते हैं?
- आवेदक एक–दूसरे का सहयोग कैसे करते है?
- पालन पोषण देखरेख में स्थापन किस प्रकार संबंधों को प्रभावित कर सकता है इसके संबंध में प्रत्येक आवेदक का आकलन क्या होगा। (यह कई बार दौरे एवं बातचीत के बाद समझा जा सकता है)

निर्णय लेना :–

- इस संबंध में निर्णय कैसे लिया जाता है एवं प्रत्येक आवेदक इसको किस नजरिये/रूख से देखते है?
- क्या दोनों पक्षों के निर्णय लेने की प्रक्रिया में विस्तारित परिवार की भागीदारी है?
- यदि हां, तो यह जिस बच्चे का स्थापन होना है, उसे कैसे प्रभावित करेगा?
- साझेदारी की क्षमता एवं अतिसंवेदनशीलता क्या है?
    a. बच्चें
    b. बच्चों एवं उनके माता–पिता के रिश्ते (संबंध)
    c. भाई–बहन का एक पालन पोषण में रहने के प्रति बच्चों का नजरिया /रूख एवं तैयार रहना।
    d. प्रत्येक बच्चे एवं उसकी मनोदशा, कोई विशेष प्रतिभा एवं आवश्यकता तथा बच्चों को तैयारी में कैसे सम्मिलित किया गया है, का विवरण।

आवेदकों का सहयोगी समूह :–

आवेदकों द्वारा वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले सहयोगी समूह की एक सामान्य विस्तारित जानकारी प्रदान करें

- परिवार
- दोस्त
- पड़ौसी
- धार्मिक गतिविधियां
- सामुदायिक समूह
- स्थान का विवरण इत्यादि सहित

परिवार के अन्य महत्वपूर्ण सदस्य :–

- घर में रहते हैं या नहीं
- आवेदकों के साथ उनके रिश्ते (संबंध)
- घर में कितना समय व्यतीत करते है
- प्रस्तावित स्थापन के लिए उनका रूख/नजरिया
- आवेदकों के स्थापन मे उनकी स्वीकृति कितनी महत्वपूर्ण हैं

पारिवारिक जीवन शैली का विवरण :–

- यह उल्लेखित करना कि परिवार किसे महत्वपूर्ण मानता है जैसे – धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रथाएं कैसे महत्वपूर्ण हैं।
- परिवार में आपस में लगाव/स्नेह कैसे दिखता है,
- परिवार के सदस्य अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं
- निजता के संबंध में परिवार के सदस्यों की क्या अपेक्षाएं है?
- पूरे परिवार में शिक्षा, रूचि एवं अवकाश की गतिविधियों का क्या महत्व है?

अभिभावक की क्षमता :–

- आवेदकों का बच्चों की देखरेख एवं उनके साथ काम करने का अनुभव।
- उनके माता–पिता के समायोजन का विवरण।
- बच्चों के विकास से अभिभावक क्या समझते है?
- अपने स्वयं के बचपन के अनुभवों का उपयोग करेगें तथा उनमें से बच्चों की परवरिश में क्या दोहराएंगें एवं क्या बदलाव करेगें?
- माता–पिता स्वयं की अभिभावकीय क्षमता एवं संभावना तथा बच्चो की जरूरतों को पूरा करने में अभिभावकीय कौशल से क्या समझते हैं।

- किस हद तक वे अन्य परिवार के सदस्यों से अपेक्षा करेगें कि वे उनके बच्चों/स्थापन में रखे गये बच्चों की परवरिश में शामिल हो?
- एक बच्चा का अपने परिवार एवं व्यापक सहयोगी तंत्र में शारीरिक यौन शोषण से सुरक्षित होना कैसे सुनिश्चित किया जायेगा ?

अस्वीकार्य व्यवहार का प्रबंधन करना :–

- घर में किन नियमों का पालन किया जा रहा है?
- आवेदक स्वीकृति/अस्वीकृति कैसे दिखाते है?
- आवेदक अनुशासन के किन मापदण्डों का उपयोग करते है?
- सजा/दण्ड के प्रति आवेदक का क्या रूख/नजरिया हैं?
- आवेदक बच्चें की समस्याओं एवं कठिनाइयों के बारे में क्या सोचते है?
- उनकी जीवन शैली में क्या बदलाव की आवश्यकता होगी?

सामाजिक कार्यकर्ता का मूल्यांकन :–

सामाजिक कार्यकर्ता के संबंध में प्रारूप के माध्यम से एकत्रित की गई सूचनाओं का मूल्यांकन एवं इसके महत्व के साथ पालन पोषण कार्य हेतु आवेदक की क्षमता का विश्लेषण किया जाएगा।

बच्चों से संबंधित एवं बच्चों के साथ कार्य करने में आवेदकों की क्या कुशलता है?

आवेदक जैविक माता–पिता के साथ एवं एजेंसी के साथ कितनी अच्छी तरह कार्य करेगा? आवेदकों की क्षमता एवं संसाधन क्या है तथा अन्य कौन से क्षेत्र हैं, जहां उन्हे कठिनाई अनुभव हो सकती है? साथ ही सामाजिक कार्यकर्त्ता एवं आवेदकों के बीच असहमति के मुद्दे को भी यहां उल्लेखित किया जायेगा।

शिकायतों एवं अन्वेषण पर विस्तृत नोट्स

शिकायत कौन कर सकता हैं?

पालन पोषण से संबंधित शिकायत पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चे, पालन पोषण करने वाले माता–पिता, जिला बाल संरक्षण इकाई, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, संरक्षण अधिकारी (संस्थागत देखरेख), संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख), प्रायोजन एवं पालन पोषण देखरेख अनुमोदन समिति, बाल कल्याण समिति, विशेष दत्तक ग्रहण ऐजेंसी, चाइल्ड लाइन, अधिवक्ता, किशोर न्याय बोर्ड, विशेष दत्तक ग्रहण ऐजेंसी में नियुक्त

सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक, आमजन या स्वयंसेवी संस्था / एजेंसी के सदस्य सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा शिकायत की जा सकती है।

अन्वेषण कैसे किया जाता है?

किसी भी व्यक्ति द्वारा शिकायत हेतु निर्धारित प्रारूप भरकर पालन पोषण देखरेख के संबंध में शिकायत पंजीकृत की जा सकती है। इस प्रारूप को पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चे के वर्तमान जिले के क्षेत्राधिकार की जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति, विशेष दत्तक ग्रहण ऐजेंसी एवं प्रायोजन एवं पालन पोषण देखरेख अनुमोदन समिति को डाक पोस्ट द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। बाल कल्याण समिति तथा प्रायोजन एवं पालन पोषण देखरेख अनुमोदन समिति द्वारा स्वयं या जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से, बच्चे के सर्वोत्तम हित में स्थापन की एक आवधिक समीक्षा की जायेगी तथा पालन पोषण देखरेख के विस्तार या समाप्ति हेतु उचित कार्यवाही की जायेगी। यदि शिकायत संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख) के बारे में नहीं है, तो किसी शिकायत के लिए संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख) जिम्मेदार है एवं यदि शिकायत संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख) के बारे में है, तो यह शिकायत सीधे ही बाल कल्याण समिति को प्रस्तुत की जाएगी। संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखभाल) या बाल कल्याण समिति द्वारा पालन पोषण देखरेख शिकायत जांच प्रारूप के अनुसार संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखभाल) के रिपोर्टिंग अधिकारी को 24 घंटो के भीतर पालन पोषण देखरेख प्रारूप, पालन पोषण देखरेख शिकायत पत्र एवं शिकायत प्राप्त होने के 2 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।

यदि संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखभाल) या बाल कल्याण समिति द्वारा शिकायत का अन्वेषण के अनुसार समाधान नहीं किया गया हैं, तो शिकायत का निम्नानुसार अनुवर्तन (फॉलोअप) किया जायेगा –

1. पालन पोषण देखरेख प्रदानकर्त्ता (एवं अन्य) के साथ उसके घर पर अनौपचारिक साक्षात्कार किया जायेगा तथा साक्षात्कारकर्ता द्वारा रिकॉर्ड लेखबद्ध किये जायेगें एवं घर पर एक और औपचारिक साक्षात्कार के माध्यम से निर्णय का रिकॉर्ड लेखबद्ध किया जायेगा।

संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखभाल) या बाल कल्याण समिति द्वारा दुर्व्यवहार के आरोप के मामले में निर्धारित किया जाता है, देखरेखकर्त्ता, पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चे एवं शिकायतकर्ता (यदि यह कोई अलग व्यक्ति है, तो) का साक्षात्कार किया जाएगा। अन्य कोई व्यक्ति जिसके पास इस संबंध में जानकारी है, तो उसका भी साक्षात्कार किया जा सकता है।

यदि शिकायत किसी अपराध से संबंधित है तो, पुलिस अधिकारी द्वारा साक्षात्कार लिया जाएगा।

यदि अन्वेषण के दौरान बच्चे को पालन पोषण देखरेख में नुकसान होने की संभावना है, तो जांच के किसी भी स्तर पर बच्चे को पालन पोषण स्थापन से हटाने का निर्णय लिया जा सकता है। बच्चे के सर्वोत्तम हितों की सुरक्षा एवं महत्व को ध्यान में रखते हुए ऐसा निर्णय केवल संरक्षण अधिकारी–गैर संस्थागत देखभाल या बाल कल्याण समिति द्वारा विचार–विमर्श करने के पश्चात सावधानीपूर्वक लिया जाएगा। एक बच्चे को केवल बाल कल्याण समिति के अनुमोदन के साथ ही गृह से हटाया जा सकेगा।

अन्वेषण पूरा होने पर क्या होता है?

संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखभाल) या बाल कल्याण समिति द्वारा अन्वेषण के परिणाम संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखभाल) के रिपोर्टिंग अधिकारी, पालन पोषण देखरेखकर्ता एवं अन्वेषणकर्ता को लिखित रूप में भेजना सुनिश्चित किया जाएगा है। बाल कल्याण समिति अन्वेषण के परिणाम से बच्चे एवं उसके जैविक माता–पिता को सूचित करने के लिए जिम्मेदार होगी।

शिकायत एवं अन्वेषण के परिणाम का रिकॉर्ड पालन पोषण देखरेखकर्ता की पत्रावली में संधारित किया जाएगा।

यदि पालन पोषण देखरेखकर्त्ता, जिनका शिकायत के संबंध में अन्वेषण किया गया है, यदि वे अन्वेषण हेतु अपनाये तरीके के बारे में असंतुष्ट है, तो उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से शिकायत करने का अवसर दिया जाएगा।

अन्वेषण दौरे के चरण :–

किसी शिकायत के मामले में संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख) या बाल कल्याण समिति के द्वारा किया जाना वाला दौरा (विजिट) निम्नानुसार है:–

- अन्वेषण के पहले चरण में पालन पोषण देखरेख घर के वातावरण एवं आस–पड़ौस सहित पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चे की दैनिक गतिविधियों का मूल्यांकन सम्मिलित होगा।
- बच्चें के शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक एवं व्यवहारिक जानकारी पालन पोषण देखरेख प्राप्त करने वाले बच्चें के विद्यालय से प्राप्त की जाएगी। (यदि शैक्षिक शिकायत है)।
- पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चे की चिकित्सा जांच की जाएगी। (यदि चिकित्सा या दुरूपयोग की शिकायत है)।
- जिस व्यक्ति ने शिकायत की है, उस व्यक्ति का भी साक्षात्कार किया जाएगा।
- यदि जांच से पता चलता है कि पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चे स्थापन में समायोजन करने में असमर्थ है, तो उन्हे विशेष परामर्श दिया जाएगा एवं अंतिम निर्णय से पहले निरंतर अनुवर्तन (फॉलोअप) के माध्यम से अधिकतम 6 महीने के लिए अवलोकन में रखा जाएगा।

- यदि इस स्थिति में सुधार नहीं होता है तो बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चे के स्थापन से स्थानांतरण के आदेश जारी किए जायेगें।
- यदि पालन पोषण करने वाले माता–पिता द्वारा पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चे के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत सही पायी जाती है, तो बच्चे को तत्काल संरक्षण में लिया जाएगा।
- बच्चे को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा एवं बाल कल्याण समिति द्वारा स्थानांतरण के लिए एक उचित आदेश जारी किया जायेगा।
- पालन पोषण प्रदान करने वाले माता–पिता, जो बच्चे के साथ दुर्व्यवहार के अपराधी पाए गए है, उन पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी एवं उन्हें भविष्य में होने वाले स्थापन के लिए ब्लैक लिस्ट (काली सूची) में डाला जायेगा।
- जब कोई पालन पोषण प्रदान करने वाले परिवार, जिन्हें जानबूझकर गलत या बेईमान इरादे के साथ, उपयुक्त माना गया है, तो ऐसे मामले में जिम्मेदार कर्मचारियों (गृह अध्ययन आयोजित करने वाला व्यक्ति या बाल कल्याण समिति) पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चें या पालन पोषण प्रदान करने वाले माता–पिता की मृत्यु के मामले में :–

- यदि पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चे किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, तो संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख) द्वारा इस जानकारी से बच्चे के जैविक माता–पिता, अभिभावक, बाल कल्याण समिति, विशेष किशोर पुलिस इकाई को सूचित किया जायेगा।
- पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चे की मृत्यु होने पर 24 घंटे के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्राप्त करने के सभी प्रयास किए जायेगें।
- मृत्यु प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा तुरंत सक्षम प्राधिकारी एवं बाल कल्याण समिति को सूचित किया जायेगा।
- पालन पोषण प्रदान करने वाले माता–पिता की मृत्यु होने पर बच्चे को किसी मान्यता प्राप्त बाल गृह या जैविक परिवार में वापस भेज दिया जायेगा।

विचारणीय बिन्दुः–

बच्चे का सर्वोत्तम हित हमेशा सर्वोपरि माना जाएगा। मामले को जल्द से जल्द हल करना अन्वेषण का उद्देश्य होगा एवं प्रोटोकोल में समय–सीमा सम्मिलित की जायेगी। उदाहरण के लिए, अगर शिकायत की प्रकृति गंभीर मानी गई है, तो बच्चे को निश्चित समय के भीतर स्थापन से निकाल दिया जायेगा एवं 24 घंटे के भीतर आपातकालीन देखभाल की व्यवस्था की जायेगी।

पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को बच्चे के शोषण के बारें में एवं कार्यक्रम में बच्चों की सुरक्षा में उनकी भूमिका एवं जिम्मेदारियों को भी समझना महत्वपूर्ण होगा। बाल संरक्षण नीति को लागू करने के लिए सभी जिम्मेदार हितधारकों का उचित प्रशिक्षण प्राप्त करना एवं आवधिक रिफ्रेशर कार्यक्रम से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा।

बाल दुर्व्यवहार को प्रकरण की अधिकता एवं गंभीरता के आधार पर छोटे, गंभीर एवं जघन्य अपराध के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा एवं इसके लिए रिपोर्टिंग प्रारूप विकसित किया जायेगा। सभी दुर्व्यवहार (छोटे, गंभीर एवं जघन्य) के मामलों की सूचना बाल कल्याण समिति को दी जायेगी एवं समिति द्वारा अग्रिम कार्यवाही निर्धारित की जायेगी।

बाल दुर्व्यवहार या उपेक्षा के समस्त संदिग्ध एवं प्रमाणित मामलें में बच्चे के संरक्षण एवं बचाव पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा। इसी समय बच्चे को उपचारात्मक उपाय प्रदान किये जायेगें एवं सम्मलित सभी व्यक्तियों की संरक्षण की जिम्मेदारी ली जायेगी। प्रभावित व्यक्तियों को आवश्यक परामर्श एवं सहयोग प्रदान किया जायेगा।

बाल दुर्व्यवहार के समस्त मामलों में कार्यान्वित करने वाले सहभागी द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई को त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।

बच्चों की भागीदारी को महत्व दिया जायेगा एवं उन्हें सभी तरह के दुर्व्यवहार के विरूद्ध बोलने, स्वयं के संरक्षण के लिए अभिकर्ता के रूप में कार्य करने एवं उनके साथियों की सुरक्षा करने के लिए सशक्त किया जाएगा।

तात्कालिक आवश्यकता एवं बाल दुर्व्यवहार एवं उपेक्षा के संदिग्ध मामलों में चाइल्ड लाइन को 1098 पर एवं पुलिस को सूचित किया जायेगा।